

1. बोर्ड का गठन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 प्रावधानों के अंतर्गत 28 मार्च 1985 को हुआ था। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में पुनर्गठित बोर्ड के 21 सदस्य और 10 सह-योजित सदस्य हैं। संरचना इस प्रकार है:

1. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष
2. केन्द्रीय विद्युत मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
3. केन्द्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
4. केन्द्रीय रेल मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
5. केन्द्रीय जहाज़रानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
6. मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार	सदस्य
7. मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार	सदस्य
8. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
9. उप-राज्यपाल, एन.सी.टी.-दिल्ली	सदस्य
10. मुख्यमंत्री, एन.सी.टी.-दिल्ली सरकार	सदस्य
11. राज्य शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
12. नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री, हरियाणा सरकार	सदस्य
13. शहरी विकास मंत्री, राजस्थान सरकार	सदस्य
14. शहरी विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
15. मुख्य सचिव, एन.सी.टी.-दिल्ली सरकार	सदस्य
16. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	सदस्य
17. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	सदस्य
18. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
19. सचिव, आवास एवं शहरी विकास, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
20. मुख्य नियोजक, नगर और ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार	सदस्य
21. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	सदस्य सचिव

1. CONSTITUTION OF THE BOARD

The National Capital Region Planning Board was constituted on the 28th March 1985 under the provisions of National Capital Region Planning Board Act, 1985. The Board under the chairmanship of the Union Minister of Urban Development has 21 members of the re-constituted Board and the 10 co-opted members. The composition is as under:

Union Minister of Urban Development, Government of India	Chairman
Union Minister of Power, Government of India	Member
Union Minister of Communications and Information Technology, Government of India	Member
Union Minister of Railways, Government of India	Member
Union Minister of Shipping, Road Transport and Highways, Government of India	Member
Chief Minister, Government of Haryana	Member
Chief Minister, Government of Rajasthan	Member
Chief Minister, Government of Uttar Pradesh	Member
Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi	Member
Chief Minister, Government of National Capital Territory of Delhi	Member
Minister of State for Urban Development, Government of India	Member
Minister of Town and Country Planning, Government of Haryana	Member
Minister of Urban Development, Government of Rajasthan	Member
Minister, Urban Development, Government of Uttar Pradesh	Member
Chief Secretary, Government of National Capital Territory of Delhi	Member
Chief Secretary, Government of Haryana	Member
Chief Secretary, Government of Rajasthan	Member
Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India	Member
Secretary, Housing and Urban Development, Government of Uttar Pradesh	Member
Chief Planner, Town and Country Planning Organization, Government of India	Member
Member Secretary, National Capital Region Planning Board	Member Secretary

सह-योजित सदस्य

1. मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश सरकार
2. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार
3. प्रधान सलाहकार (एच.यू.डी.), योजना आयोग, भारत सरकार
4. सचिव, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
5. सचिव, जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
6. सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
7. सचिव, विद्युत विभाग, भारत सरकार
8. सचिव, शहरी विकास और आवास विभाग, पंजाब सरकार
9. सचिव, शहरी विकास और आवास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार
10. उप-अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रकार्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 7 के अंतर्गत, बोर्ड के प्रकार्य इस प्रकार हैं:

- (क) क्षेत्रीय योजना और प्रकार्यात्मक योजनाएं तैयार करना;
- (ख) प्रत्येक भागीदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उप-क्षेत्रीय योजनाओं और परियोजना योजनाओं को तैयार करने की व्यवस्था करना;
- (ग) भागीदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से क्षेत्रीय योजना, प्रकार्यात्मक योजनाओं, उप-क्षेत्रीय योजनाओं और परियोजनाओं के प्रवर्तन तथा कार्यान्वयन को समन्वित करना;
- घ) भागीदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र परियोजना निरूपण द्वारा तैयार करने के संदर्भ में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अथवा उप-क्षेत्रों में प्राथमिकताओं का निर्धारण और क्षेत्रीय योजना में सूचित अवस्थाओं के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास को चरणों में उचित और व्यवस्थित क्रमादेशन से सुनिश्चित करना;
- ङ) केन्द्रीय और राज्य योजना निधियों तथा राजस्व के अन्य स्रोतों के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चयनित विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए और पर्यवेक्षण की व्यवस्था करना;

Co-opted Members

Chief Minister, Government of Madhya Pradesh

Chairman, Railway Board, Government of India

Principal Advisor (HUD), Planning Commission, Government of India

Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India

Secretary, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Government of India

Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India

Secretary, Department of Power, Government of India

Secretary, Department of Urban Development and Housing, Government of Punjab

Secretary, Department of Urban Development and Housing, Government of Madhya Pradesh

Vice-chairman, Delhi Development Authority


2. FUNCTIONS OF THE NCR PLANNING BOARD

Under Section 7 of the NCR Planning Board Act, 1985, the functions of the Board are:

- (a) to prepare the Regional Plan and the Functional Plans;
- (b) to arrange for the preparation of Sub-regional Plans and Project Plans by each of the participating States and the Union Territory;
- (c) to coordinate the enforcement and implementation of the Regional Plan, Functional Plans, Sub-regional Plans and Project Plans through the participating States and the Union Territory;
- (d) to ensure proper and systematic programming by the participating States and the Union Territory in regard to project formulation, determination of priorities in the National Capital Region or Sub-regions and phasing of development of the National Capital Region in accordance with stages indicated in the Regional Plan ;
- (e) to arrange for and oversee the financing of selected development projects in the National Capital Region through Central and State Plan funds and other sources of revenue.

क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन को समन्वित तथा निगरानी करने और भूमि उपयोगों के नियंत्रण के लिए संतुलित नीतियों को विकसित करना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवसंरचना का विकास करना ताकि क्षेत्र में किसी भी अव्यवस्थित विकास को टालने के लिए बोर्ड को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। सांविधिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड एक समन्वयन और निगरानी करने वाली निकाय है तथा संबंधित राज्यों में योजनाओं के निष्पादन करने की जिम्मेदारी भागीदारी राज्यों अथवा उनके अधिकृत कार्यान्वित अभिकरणों की है। बोर्ड को काउंटर-मैग्नेट संकल्पना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर किसी भी शहरी क्षेत्र का चयन तथा विकास के लिए वित्तपोषण करने के लिए भी अधिकृत है ताकि क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत, योजना समिति नामक एक समिति का गठन किया गया जो बोर्ड को उसके प्रकार्यों को निभाने में सहयोग करेगी। संरचना इस प्रकार है:



The Board is further empowered to coordinate and monitor the implementation of the Regional Plan and to evolve harmonised policies for control of land uses and development of infrastructure in the National Capital Region so as to avoid any haphazard development of the region. The statutory National Capital Region Planning Board is a coordinating and monitoring body and the responsibility of executing the schemes in the concerned States remains with the participating States or their authorized implementing agencies. The Board is also empowered to select and finance the development of any urban area outside the National Capital Region under the counter-magnet concept in order to achieve the objectives of the Regional Plan.

The Board, under the provisions of the Section 4 of NCR Planning Board Act, 1985, constituted a committee called the Planning committee for assisting the Board in the discharge of its functions. The composition is as under:

Member Secretary	NCR Planning Board	Chairman
Joint Secretary	Ministry of Urban Development dealing with Housing and Urban Development	
Secretary	In-charge of Urban Development, Haryana In-charge of Urban Development, Rajasthan In-charge of Urban Development Uttar Pradesh In-charge of Urban Development NCT-Delhi	
Vice-chairman	Delhi Development Authority	
Chief Planner	Town and Country Planning Organization	
Director	Town Planning Department, Haryana	
Chief Town Planner	Government of Rajasthan	
Chief Town Planner	Government of Uttar Pradesh	
Representative each	from Ministries of Shipping, Road Transport and Highways, Communications and Information Technology, Railways, Department of Power, Department of Environment	Members
Representative Chairman-cum-Managing Director Chief Regional Planner	Planning Commission HUDCO NCR Planning Board	Co-opted Members

1. अध्ययन दल

क्षेत्रीय योजना-2021 को तैयार करने के लिए निम्नलिखित अध्ययन दलों को गठित किया गया:

- क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नीति जोन, जनसांख्यिकीय रूपरेखा और सेटलमेंट पैटर्न
- ख) क्षेत्रीय भूमि उपयोग और ग्रामीण विकास
- ग) परिवहन और संचार सहित भौतिक अवसंरचना,
- घ) विद्युत, जल, मल-जल व्यवस्था, ठोस कचरा, जल-निकासी, सिंचाई आदि सहित उपयोगिता तथा सेवा अवसंरचना
- ङ) शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरंजन, कानून व व्यवस्था आदि सहित सामाजिक अवसंरचना
- च) पर्यटन, धरोहर, प्रदूषण, आपदा प्रबंधन आदि सहित पर्यावरण
- छ) सांस्थगत ढांचा
- ज) संसाधन संग्रहण, वित्तपोषण आदि सहित आर्थिक तथा वित्त नीति

1. STUDY GROUPS

Following are the study groups constituted for preparation of Regional Plan-2021:

NCR Policy zones, demographic profile and settlement pattern

Regional land use and rural development

Physical infrastructure including transport and communications

Utility and service infrastructure including power, water, sewerage, solid waste, drainage, irrigation etc.

Social infrastructure including education, health, shelter, recreation, law and order etc.

Environment including tourism, heritage, pollution, disaster management etc.

Institutional Framework

Economic and Fiscal Policy including resource mobilisation, funding etc.

2. अध्ययन दलों और उप-दलों के सदस्य

अध्ययन दल I : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नीति ज़ोन, जनसांख्यिकीय रूपरेखा और सेटलमेंट पैटर्न

सदस्य

1. श्री डी.एस. मेशराम (अध्यक्ष)
पूर्व मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन
107, ध्रुव अपार्टमेंट्स, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली
2. डा. आर.बी. सिंह,
भूगोल विभाग,
दिल्ली अर्थशास्त्र विद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय,
उत्तरी कैम्पस, दिल्ली
3. डा. एस.के. कुलश्रेष्ठ,
माननीय निदेशक सी.आर.डी.टी. (आई.टी.पी.आई.), नगर
नियोजन संस्थान, भारत
4-ए, रिंग रोड, आई.पी.एस्टेट,
नई दिल्ली
4. प्रो. कृष्णा गोपाल,
भूगोल विभाग,
पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

5. उप महापंजीयक
भारत की जनगणना, मान सिंह रोड,
नई दिल्ली
6. मुख्य समन्वयक नियोजक (रा.रा.क्षे.),
नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग,
हरियाणा सरकार,
सेक्टर 18ए, चंडीगढ़,
हरियाणा
7. मुख्य नगर नियोजक (रा.रा.क्षे.),
नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग,
राजस्थान सरकार,
नगर नियोजन भवन,
प. नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान
8. मुख्य समन्वयक नियोजक (रा.रा.क्षे.),
नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग
नगर निगम भवन, ॥ तल
नवयुग मार्केट, गाजियाबाद

9. श्री ए.के. जैन,
अपर आयुक्त (योजना)
दिल्ली विकास प्राधिकरण,
विकास भीनार, आई.पी. एस्टेट
नई दिल्ली
10. रच. श्री के.ए.रेड्डी,
(संयोजक)
संयुक्त निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो.
(अक्टूबर 2001 तक)
11. श्री जे.एन.बर्मन,
(संयोजक)
संयुक्त निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो.
12. श्री मनमोहन सिंह,
(सह-संयोजक)
उप निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो.
(मई 2001 तक)
13. सुश्री अंजली पंचोती,
(सह-संयोजक)
सहायक निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो.

सह-योजित सदस्य

1. श्री एम.एल.चोटानी,
सह-नगर और ग्राम योजनाकार
नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन
विकास भवन, ई-ब्लॉक,
आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली
2. डा. आर. पी. सिंह,
सहायक महापंजीयक
भारत की जनगणना,
पश्चिमी ब्लॉक-1, आर.के.पुरम,
नई दिल्ली
3. सुश्री एम.जेड.बावा,
संयुक्त निदेशक (योजना),
दिल्ली विकास प्राधिकरण,
डी-6 वसंत कुंज, नई दिल्ली
4. श्री अब्दुल कायूम,
पूर्व नगर और ग्राम योजनाकार
नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन ए.ओ.-20, कलाकुंज,
शालीमार बाग, नई दिल्ली

5. श्री बी.के. जैन,
निदेशक (योजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण
डी-6 वसंत कुंज,
नई दिल्ली
6. श्री क्षीरसागर,
नगर और ग्राम योजनाकार,
नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन
विकास भवन, ई-ब्लॉक, आई. पी. एस्टेट,
नई दिल्ली

उप-दल 1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नीति ज़ोन

उप-दल 2: जनसांख्यिकीय रूपरेखा

उप-दल 3: रा.रा.क्षे. सेटलमेंट पैटर्न

2. MEMBERS OF THE STUDY GROUPS AND SUB-GROUPS

Study Group I: NCR Policy zones, demographic profile and settlement pattern

Members

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Shri D.S. Meshram (Chairman)
Former Chief Planner, TCPO,
107, Dhruva Apartments, I.P.Estate,
New Delhi | 5. Deputy Registrar General,
Census of India, Man Singh Road,
New Delhi | 9. Shri A.K. Jain,
Addl. Commissioner (Planning),
Delhi Development Authority,
Vikas Minar, I.P. Estate,
New Delhi. |
| 2. Dr. R.B. Singh,
Department of Geography,
Delhi School of Economics,
Delhi University,
North Campus, Delhi | 6. Chief Coordinator Planner (NCR),
Town and Country Planning Department,
Government of Haryana,
Sector 18A, Chandigarh,
Haryana | 10. Late Shri K.A. Reddy, (Convener)
Joint Director, NCRPB
(Up to October 2001) |
| 3. Dr. S.K. Kulshrestha,
Honorary Director CRDT (ITPI),
Institute of Town Planners, India
4-A, Ring Road, I.P. Estate,
New Delhi | 7. Chief Town Planner (NCR),
Town and Country Planning Department,
Government of Rajasthan,
Nagar Niyojan Bhawan,
Pt. Nehru Marg, Jaipur, Rajasthan | 11. Shri J. N. Barman, (Convener)
Joint Director, NCRPB |
| 4. Prof. Krishna Gopal,
Dept of Geography,
Punjab University, Chandigarh | 8. Chief Coordinator Planner (NCR),
Town and Country Planning Department,
Nagar Nigam Bhawan, 11nd Floor,
Navyug Market, Ghaziabad | 12. Shri Manmohan Singh, (Co-convener)
Deputy Director, NCRPB
(Up to May 2001) |
| | | 13. Ms. Anjali Pancholy, (Co-convener)
Assistant Director, NCRPB |

Co-opted Members

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Shri M. L. Chotani,
Associate Town and Country Planner,
Town and Country Planning
Organisation, Vikas Bhawan, E-Block,
I.P. Estate, New Delhi | 3. Ms. M.Z.Bawa,
Joint Director (Planning),
Delhi Development Authority,
D-6, Vasant Kunj, New Delhi | 5. Shri B. K. Jain,
Director (Planning), DDA
D-6 Vasant Kunj, New Delhi |
| 2. Dr. R. P. Singh,
Assistant Registrar General,
Census of India,
West Block-1, R.K. Puram, New Delhi | 4. Shri Abdul Qaiyum,
Former Town and Country Planner,
TCPO, AO-20, Kalakunj,
Shalimar Bagh, New Delhi | 6. Shri Kshirsagar,
Town and Country Planner,
Town and Country Planning
Organisation, Vikas Bhawan, E-Block,
I.P. Estate, New Delhi |

Sub-group 1: NCR Policy zones

Sub-group 2: Demographic profile

Sub-group 3: NCR settlement pattern

अध्ययन दल II : क्षेत्रीय भूमि उपयोग और ग्रामीण विकास

सदस्य

1. प्रो. एच.बी.सिंह (अध्यक्ष)
योजना और वास्तुकला विद्यालय
नई दिल्ली
2. प्रो. पदमा वासुदेवन,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
नई दिल्ली
3. डा. वी. राधवरस्वामी,
प्रधान-भूमि उपयोग, राष्ट्रीय दूर संवेदी अभिकरण
भारत सरकार, हैदराबाद
4. प्रो.(सुश्री) अतिया हड्डीब,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली
5. प्रो. कावस कपड़िया,
योजना और वास्तुकला विद्यालय
नई दिल्ली

सह-योजित सदस्य

1. प्रो. शोवन साहा,
योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
2. श्री एस.सी.गुप्ता,
योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली

उप दल 1: क्षेत्रीय भू-उपयोग

6. श्री के.टी. गुरुमुखी,
मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नि. संगठन, नई दिल्ली
7. श्री यू.के. श्रीवास्तव,
मुख्य नगर नियोजक
रा.रा.क्षे. योजना और निगरानी कक्ष, राजस्थान
8. श्री एस.के.जामन,
मुख्य समन्वयक नियोजक
रा.रा.क्षे. योजना और निगरानी कक्ष, उत्तर प्रदेश
9. श्री आर.सी. अग्रवाल,
मुख्य समन्वयक नियोजक
रा.रा.क्षे. योजना और निगरानी कक्ष,
हरियाणा
10. श्री चन्द्र बल्लभ,
अपर आयुक्त
दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली

3. डा. ए. पन्नीरसेलवम,
योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली
4. प्रो. एस. सुनेजा,
योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली

उप दल 2: ग्रामीण विकास

11. श्री चंद्र भूटिया,
सह-नगर और ग्राम योजनाकार,
रा.रा.क्षे.योजना और नि. कक्ष, एन.सी.टी-दिल्ली सरकार

12. श्री जे.एन. बर्मन,
(संयोजक)
संयुक्त निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो.

13. श्री एस. सुरेन्द्र,
(सह-संयोजक)
उप निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो.

5. प्रो. महावीर,
योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली

6. श्री मनु भट्टाचार्य,
सलाहकार-एन.एच.डी., आई.एन.टी.ए.सी.एच., नई दिल्ली

अध्ययन दल III : परिवहन तथा संचार सहित भौतिक अवसंरचना

सदस्य

1. डा. पी.के. सिकदर (अध्यक्ष),
निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था
मथुरा रोड, नई दिल्ली
2. श्री पी.एस. राणा,
निदेशक, निगमित योजना, एच.यू.टी.सी.ओ.,
भारत पर्यावास केन्द्र, लोदी रोड, नई दिल्ली

3. प्रो. ए.के. शर्मा,
प्रधान, परिवहन योजना विभाग,
योजना और वास्तुकला विद्यालय,
4. ब्लॉक-बी, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली

4. श्री सी.सी. भट्टाचार्य,
मुख्य अभियंता, (यातायात एवं परिवहन),
सड़क परिवहन मंत्रालय,
परिवहन भवन, नई दिल्ली

5. श्री अनुराग मिश्रा, सीटीपीएम,
उत्तर रेलवे, रेलवे बोर्ड,
रेल भवन, नई दिल्ली

Study Group II: Regional land use and rural development

Members

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Prof. H.B. Singh, (Chairman)
School of Planning and Architecture,
New Delhi | 6. Shri K.T. Gurmukhi,
Chief Planner, TCPO, New Delhi | 11. Shri Chandu Bhutia,
Associate Town and Country Planner,
NCR Planning Cell, Government of NCT-Delhi |
| 2. Prof. Padma Vasudevan,
Indian Institute of Technology,
New Delhi | 7. Shri U. K. Srivastava,
Chief Town Planner
NCR Planning Cell, Rajasthan | 12. Shri J. N. Barman, (Convenor)
Joint Director, NCRPB |
| 3. Dr. V. Raghavswamy,
Head-Landuse, NRSA,
Government of India, Hyderabad | 8. Shri S. K. Zaman,
Chief Coordinator Planner,
NCR Planning Cell, UP | 13. Shri S. Surendra, (Co-convenor)
Deputy Director, NCRPB |
| 4. Prof. (Ms.) Atiya Habib,
Jawahar Lal Nehru University,
New Delhi | 9. Shri R. C. Aggarwal,
Chief Coordinator Planner,
NCR Planning and Monitoring Cell,
Haryana | |
| 5. Prof. Kavas Kapadia,
School of Planning and Architecture,
New Delhi | 10. Shri Chandra Bhallabh,
Additional Commissioner,
Delhi Development Authority, New Delhi | |

Co-opted Members

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Prof. Shovan Saha,
School of Planning and Architecture,
New Delhi | 3. Dr. A. Panneerselvam,
School of Planning and Architecture,
New Delhi | 5. Prof. Mahavir,
School of Planning and Architecture,
New Delhi, |
| 2. Shri S.C. Gupta,
School of Planning and Architecture,
New Delhi. | 4. Prof. S. Suneja,
School of Planning and Architecture,
New Delhi, | 6. Shri Manu Bhatnagar,
Advisor-NHD, INTACH, New Delhi |

Sub-group 1: Regional land use

Sub-group 2: Rural development

Study Group III: Physical infrastructure including transport and communications

Members

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Dr. P.K. Sikdar, (Chairman)
Director, Central Road Research Institute,
Mathura Road, New Delhi | 3. Prof. A. K. Sharma,
Head, Department of Transport Planning
School of Planning and Architecture
4, Block-B, I.P. Estate, New Delhi | 4. Shri C.C. Bhattacharya,
Chief Engineer, (Traffic and Transportation),
Ministry of Surface Transport,
Transport Bhawan, New Delhi |
| 2. Shri P.S. Rana,
Director, Corporate Planning, HUDCO,
India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi | | 5. Shri Anurag Mishra, CTPM,
Northern Railway, Railway Board,
Rail Bhawan, New Delhi |

- | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|--|
| 6. | श्री एस.के.जैन,
कार्यपालक निदेशक (मेट्रो परियोजना),
रेलवे बोर्ड, रेल भवन,
नई दिल्ली | 11. | श्री जी. शरन,
महासचिव (जनरल),
भारतीय सड़क कांग्रेस
जामनगर हाउस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली | 15. | सह नगर नियोजक
रा.रा.क्षे. योजना और निगरानी कक्ष,
एन.सी.टी.-दिल्ला सरकार,
बी-ब्लॉक, विकास भवन,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली |
| 7. | सुश्री गीता बनर्जी,
निदेशक, दूरसंचार (दीर्घकालिक योजना),
दूरसंचार विभाग,
संचार भवन, नई दिल्ली | 12. | श्री यू.के. श्रीवास्तव,
मुख्य नगर नियोजक, (रा.रा.क्षे.),
नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग,
राजस्थान सरकार,
नगर नियोजन भवन, ज्वाहर लाल नेहरू मार्ग,
जयपुर, राजस्थान | 16. | जा. एन.बी. जोहरी,
संयुक्त निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो.
(संयोजक) |
| 8. | श्री ए.के.भार्गव,
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी),
टी.री.आई.एल., टी.सी.आई.एल. भवन, जी.के.1-48, दिल्ली | 13. | श्री आर.सी. अग्रवाल,
मुख्य समन्वयक नियोजक, (रा.रा.क्षे.),
मार्फत मुख्य प्रशासक
एच.यू.टी.ए. (हुडा) आफिस, एस.सी.ओ., सेक्टर-6
पंचकुला, हरियाणा | 17. | श्री उत्पल डेका
सहायक निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो.
(जून 2001 तक)
(सह-संयोजक) |
| 9. | श्री विजय रिसबुद,
आयुक्त (योजना),
दिल्ली विकास प्राधिकरण,
विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली | 14. | श्री एस.के.जामन,
मुख्य समन्वयक नियोजक, (रा.रा.क्षे.),
नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग,
॥ तल नगर निगम भवन,
नवयुग मार्केट के निकट, गाजियाबाद, उ.प्र. | 18. | श्री दिनेश अरोड़ा
सहायक निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो.
(सह-संयोजक) |
| 10. | श्री आई.एम.सिंह,
प्रमुख अभियंता, (लोक निर्माण विभाग),
एन.सी.टी.-दिल्ली सरकार,
करतूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली | | | | |

अध्ययन दल IV : विद्युत, जल, मल-जल व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन, जल-निकासी और सिंचाई आदि सहित उपयोगिता और सेवा अवसंरचना

सदस्य

- | | | | | | |
|----|---|----|--|-----|---|
| 1. | श्री ओ.पी. चड्ढा, (अध्यक्ष)
पूर्व मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग वि.-हरियाणा,
315, सेक्टर-15, फरीदाबाद, हरियाणा | 5. | श्री ए.के. कौल,
मुख्य अभियंता,
उ.प्र. जल निगम, जल निगम कालोनी,
राज नगर, गाजियाबाद, उ.प्र. | 8. | निदेशक, राष्ट्रीय दूर संवेदी अभिकरण,
बालानगर, हैदराबाद |
| 2. | श्री रामा प्रसाद,
सलाहकार, सी.पी.एच.ई.ई.ओ.,
शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली | 6. | श्री एस.के. कुलश्रेष्ठ,
मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग,
राजस्थान सरकार, 2-सिविल लाइन,
रेलवे हॉस्पिटल के निकट,
जयपुर, राजस्थान | 9. | प्रो. डा. एस.डी. जोअदार,
प्रधान, भौतिकी योजना विभाग,
योजना और वास्तुकला विद्यालय,
4 ब्लॉक-बी, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली |
| 3. | डा. एस.बी. सिंह,
निदेशक, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड
जामनगर हाउस, नई दिल्ली | 7. | श्री वी.के. गुप्ता,
मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग,
हरियाणा, 13-18 बै. सेक्टर-4, पंचकुला, हरियाणा | 10. | जा. एस.मुखोपाध्याय,
मुख्य अभियंता,
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण,
सेवा भवन, कमरा नं. 712,
उत्तरी विंग, पश्चिमी ब्लॉक,
आर.के. पुरम, नई दिल्ली |
| 4. | श्री एस.एन. कटारिया,
निदेशक (यूटी डिवीजन),
केन्द्रीय जल आयोग,
सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली | | | | |

- | | | |
|--|--|---|
| 6. Shri S.K. Jain,
Executive Director (Metro Project),
Railway Board, Rail Bhawan,
New Delhi | 11. Shri G. Sharan,
Secretary (General),
Indian Road Congress,
Jamnagar House, Shahjahan Road,
New Delhi | 15. Associate Town Planner,
NCR Planning and Monitoring Cell,
Government of NCT-Delhi,
B-Block, Vikas Bhawan,
I.P.Estate, New Delhi |
| 7. Ms. Geeta Banerjee,
Director,
Telecom (Long Term Planning),
Department of Telecommunications,
Sanchar Bhavan, New Delhi | 12. Shri U.K. Srivastava,
Chief Town Planner (NCR),
Town and Country Planning Department,
Government of Rajasthan,
Nagar Niyojan Bhawan,
J.L. Nehru Marg, Jaipur, Rajasthan | 16. Dr. N.B. Johri, (Convenor)
Joint Director, NCRPB |
| 8. Shri A.K. Bhargava,
Executive Director (Technical),
TCIL, TCIL Bhawan, G.K.1-48, Delhi | 13. Shri R.C. Aggarwal,
Chief Coordinator Planner (NCR),
C/O Chief Administrator,
HUDA Office, SCO, Sector – 6,
Panchkula, Haryana | 17. Shri Utpal Deka, (Co-convenor)
Assistant Director, NCRPB
(Up to June 2001) |
| 9. Shri Vijay Risbud,
Commissioner (Planning),
Delhi Development Authority,
Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi | 14. Shri S.K. Zaman,
Chief Coordinator Planner (NCR),
Town and Country Planning Department,
IIInd Floor, Nagar Nigam Bhawan,
Near Navyug Market, Ghaziabad, U.P. | 18. Shri Dinesh Arora, (Co-convenor)
Assistant Director, NCRPB |
| 10. Shri I.M. Singh,
Engineer-in-Chief, PWD,
Government of NCT Delhi,
Kasturba Gandhi Marg, New Delhi | | |

Study Group IV: Utility and service infrastructure including power, water, sewerage, solid wastes, drainage, irrigation etc.

Members

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Shri O.P.Chadha, (Chairman)
Former Chief Engineer, PHED-Haryana,
315, Sector-15, Faridabad, Haryana | 5. Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi
Shri A.K. Kaul,
Chief Engineer,
U.P.Jal Nigam, Jal Nigam Colony,
Raj Nagar, Ghaziabad, U.P. | Haryana, Bay 13-18,
Sector 4, Panchkula, Haryana |
| 2. Shri Rama Prashad,
Advisor, CPHEEO,
Ministry of Urban Development,
Nirman Bhawan, New Delhi | 6. Shri S.K. Kulshreshtha,
Chief Engineer,
Public Health Engineering Department,
Government of Rajasthan,
2, Civil Lines, Near Railway
Hospital, Jaipur, Rajasthan | 8. Director, NRSA,
Balanagar, Hyderabad |
| 3. Dr. S.B. Singh,
Director, Central Ground Water Board,
Jamnagar House, New Delhi | 7. Shri V.K. Gupta,
Chief Engineer,
Public Health Engineering Department, | 9. Prof. Dr. S.D. Joaddar,
Head, Deptt. of Physical Planning,
School of Planning & Architecture,
4 Block -B, I.P. Estate, New Delhi |
| 4. Shri S.N. Kataria,
Director (UT Division),
Central Water Commission, | | 10. Dr. S. Mukhopadhyay,
Chief Engineer,
Central Electricity Authority,
Sewa Bhavan, Room No.712,
North Wing, West Block,
R.K.Puram, New Delhi |

- | | | |
|--|--|--|
| <p>11. श्री ए.के. मिलिक,
निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण,
सेवा भवन, उत्तरी विंग,
पश्चिमी ब्लाक, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली</p> <p>12. श्री जी.आर. शर्मा,
मुख्य अभियंता,
डी.एच.बी.वी.एन., पोस्ट आफिस,
विद्युत घर, शाकुरबरती, दिल्ली</p> | <p>13. श्री यू.के. श्रीवारस्तव,
मुख्य नगर नियोजक (रा.स.क्ष.),
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
राजस्थान सरकार,
नगर नियोजन भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान</p> <p>14. श्री एस.के. जामन,
मुख्य समन्वयक नियोजक, (रा.स.क्ष.),
रा.स.क्ष. योजना और निगरानी कक्ष,
नगर नियम भवन,
नवयुग मार्किट, गाजियाबाद, उ.प्र.</p> | <p>15. नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन,
रा.स.क्ष. योजना और निगरानी कक्ष,
एन.सी.टी.-दिल्ली सरकार,
बी-ब्लॉक, विकास भवन,
आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली</p> <p>16. श्री राजीव मल्होत्रा
(संयोजक)
संयुक्त निदेशक, रा.स.क्ष.यो.बो.</p> <p>17. श्री एस.के. रोहिला,
(सह-संयोजक)
सहायक निदेशक, रा.स.क्ष.यो.बो.</p> |
|--|--|--|

सह-योजित सदस्य

- | | | |
|--|--|--|
| <p>1. श्री जे.एस. आहतवालिया,
अधीक्षण अभियंता (लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग-अलवर),
राजस्थान सरकार,
2. सिविल लाइन, रेलवे अस्पताल के निकट,
जयपुर, राजस्थान</p> <p>2. श्री एस.के. हुरिया,
(पूर्व मुख्य इंजीनियर, एच.एस.ई.बी.),
344, सेक्टर 16-ए,
फरीदाबाद, हरियाणा</p> <p>3. श्री पी.के. जैन (सेवा निवृत्त),
मुख्य इन्जीनियर, दिल्ली जल बोर्ड,
ई-3, वाटर वर्क्स फ्लैट्स,
करोलबाग टर्मिनल, नई दिल्ली</p> | <p>4. सुश्री ऊषा रघुपति,
सह प्रोफेसर, एन.आई.यू.ए., प्रथम तल,
कोर-IV ब, भारत पर्यावास केन्द्र,
लोदी रोड, नई दिल्ली</p> <p>5. श्री एम.एल. कंसल,
मुख्य अभियंता (सेवा निवृत्त),
सी-109, प्रीत विहार, दिल्ली</p> <p>6. श्री ए.के. गुप्ता,
मुख्य अभियंता,
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग,
एन.सी.टी. दिल्ली सरकार, चौथा तल, आईएसबीटी भवन,
कश्मीरी गेट, दिल्ली</p> | <p>7. श्री आर.के. गर्ग,
अधीक्षण अभियंता,
सिंचाई विभाग,
जल संसाधन मंडल,
3, शामनार्थ मार्ग, दिल्ली</p> <p>8. मुख्य अभियंता (गंगा),
सिंचाई विभाग,
गंगा भवन, मेरठ, उ.प्र.</p> <p>9. डा. एस.पी. बंसल,
निदेशक (योजना), दारका,
दिल्ली विकास प्राधिकरण,
मंगलाचुरी, पालम, नई दिल्ली</p> |
|--|--|--|

उप-दल 1: विद्युत

अध्ययन दल V: शिक्षा, आवास, मनोरंजन, कानून व व्यवस्था आदि सहित सामाजिक अवसंरचना

सदस्य

- | | |
|---|---|
| <p>1. श्री विनय डॉ. लाल, (अध्यक्ष)
निदेशक, सोसाइटी फार डेवलपमेंट स्टडीज,
कोर VI अ, भारत पर्यावास केन्द्र, नई दिल्ली</p> <p>2. प्रो. सुबीर साहा
प्रधान, आवास विभाग,
योजना और वास्तुकला विद्यालय,
4-ब्लाक-बी, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली</p> | <p>3. प्रो. (डा.) अमिताभ कुम्हु
सी.एस.आर.डी., जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली</p> <p>4. प्रो. जे.एच. अंसारी,
भौतिकी योजना विभाग,
योजना और वास्तुकला विद्यालय,
4-ब्लाक-बी, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली</p> |
|---|---|

उप-दल 2: जल, मर्द-जल व्यवस्था और ठोस कचरा प्रबंधन

उप-दल 3: जल-निकारी और सिंचाई

- | |
|--|
| <p>5. डा. एस.के. अग्रवाल,
दिल्ली अर्थशास्त्र विद्यालय,
उत्तरी कैम्पस,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली</p> <p>6. सुश्री मधुश्री मजूमदार,
एन.आई.यू.ए., कोर IV-ब,
भारत पर्यावास केन्द्र, लोदी रोड, नई दिल्ली</p> |
|--|

- | | | |
|--|---|--|
| 11. Shri A.K. Malik,
Director, Central Electricity Authority,
Sewa Bhavan, North Wing,
West Block, R.K. Puram,
New Delhi | 13. Shri U.K. Srivastava,
Chief Town Planner (NCR),
Town and Country Planning Department,
Government of Rajasthan,
Nagar Niyojan Bhawan,
J.L.Nehru Marg, Jaipur, Rajasthan | 15. Associate Town Planner,
NCR Planning and Monitoring Cell,
Government of NCT Delhi,
B-Block, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi |
| 12. Shri G.R. Sharma,
Chief Engineer,
DHBVN, Post Office,
Power House, Shakurbasti, Delhi | 14. Shri S.K. Zaman,
Chief Coordinator Planner (NCR),
NCR Planning and Monitoring Cell,
Nagar Nigam Buidling,
Navyug Market, Ghaziabad, U.P. | 16. Shri Rajeev Malhotra (Convenor)
Joint Director, NCRPB |
| | | 17. Shri S. K. Rohilla (Co-convenor)
Assistant Director, NCRPB |

Co-opted Members

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Shri J.S. Aluwalia,
Suptd. Engineer (PHED-Alwar),
Government of Rajasthan,
2, Civil Lines, Near Railway Hospital,
Jaipur, Rajasthan | 4. Ms. Usha Raghupathy,
Associate Professor, NIUA, 1st Floor,
Core IV B, India Habitat Centre,
Lodhi Road, New Delhi | 7. Shri R. K. Garg,
Superintending Engineer,
Irrigation Department,
Water Resources Circle,
3, Shyam Nath Marg, Delhi |
| 2. Shri S.K. Huria,
(Former Engineer-in-Chief, HSEB),
344, Sector 16-A,
Faridabad, Haryana | 5. Shri M.L. Kansal,
Chief Engineer (Retired),
C-109, Preet Vihar, Delhi | 8. Chief Engineer (Ganga),
Irrigation Department,
Ganga Bhawan, Meerut, UP |
| 3. Shri P.K. Jain (Retd.),
Engineer-in-Chief, Delhi Jal Board,
E-3, Water Works Flats,
Karol Bagh Terminal, New Delhi | 6. Shri A. K. Gupta
Chief Engineer,
Irrigation and Flood Control Department,
GNCTD, 4 th Floor, ISBT Building,
Kashmiri Gate, Delhi | 9. Dr. S. P. Bansal
Director (Planning), Dwarka,
Delhi Development Authority,
Manglapuri, Palam, New Delhi |

Sub group 1: Power

Sub-group 2: Water, sewerage and solid waste management

Sub-group 3: Drainage and irrigation

Study Group V: Social infrastructure including education, shelter, recreation, law and order etc. Members

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Shri Vinay D. Lall, (Chairman)
Director,
Society for Development Studies,
Core VI-A, India Habitat Centre,
New Delhi | 3. Prof. (Dr.) Amitabh Kundu,
CSRD, Jawahar Lal Nehru University,
New Delhi | 5. Dr. S.K. Aggarwal,
Delhi School of Economics,
North Campus,
Delhi University, Delhi |
| 2. Prof. Subir Saha,
Head, Department of Housing,
School of Planning and Architecture,
4-Block-B, I.P. Estate, New Delhi | 4. Prof. J.H. Ansari,
Dept. of Physical Planning,
School of Planning and Architecture,
4-Block-B, I.P. Estate, New Delhi | 6. Ms. Madhu Shree Majumdar,
NIUA, Core IV-B,
India Habitat Centre,
Lodhi Road, New Delhi |

7. श्री यू.के. श्रीवास्तव,
मुख्य नगर नियोजक(रा.रा.क्षे.)
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
राजस्थान सरकार,
नगर नियोजन भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
जयपुर, राजस्थान
8. श्री आर.सी. अग्रवाल,
मुख्य समन्वयक नियोजक (रा.रा.क्षे.),
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार,
सेक्टर-6, पचकुला, हरियाणा

सह-योजित सदस्य

1. श्री एस.पी. जाखनवाल,
प्रोफेसर एवं सलाहकार,
सोसाइटी फार डेवलपमेंट स्टडीज,
कोर VI-आ, भारत पर्यावास केन्द्र, नई दिल्ली
2. श्री चन्द्र बल्लभ,
अपर आयुक्त, महा योजना-2021 ईकाई,
दिल्ली विकास प्राधिकरण, डी-6, वसंत कुंज,
(उत्तरी पारपथ के निकट), नई दिल्ली

9. श्री एस.के. जामन,
मुख्य समन्वयक नियोजक (रा.रा.क्षे.),
रा.रा.क्षे. योजना और निगरानी कक्ष,
द्वितीय तल, नगर निगम भवन,
नवयुग मार्किट के निकट, गाजियाबाद, उ.प्र.
10. श्री चंदू भूटिया,
सह-नगर और ग्राम योजनाकार,
एल एंड बी विभाग, दिल्ली सरकार,
विकास भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली
11. श्री वी. कौ. ठाकोर (संयोजक)
संयुक्त निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो.

12. श्री शिशुपालन (सह-संयोजक)
उप निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो.
(फरवरी-2001 तक)
13. सुश्री अंजली पंचोली, (सह-संयोजक)
सहायक निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो.

उप-दल 1: क्षेत्रीय योजना-2001 की समीक्षा

उप-दल 4: शिक्षा, रसायन, सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य सामाजिक अवसंरचना

अध्ययन दल VI : पर्यटन, धरोहर, प्रदूषण और आपदा प्रबंधन सहित पर्यावरण

सदस्य

1. प्रो. ए.के. मैत्रा, (अध्यक्ष)
निदेशक,
योजना और वास्तुकला विद्यालय,
4,ब्लॉक-ब, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली
2. सदस्य सचिव,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
परिवेश भवन,
पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली

उप-दल 2: अनौपचारिक बस्तियां

उप-दल 5: आवास और अंकड़ा संचय, निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली

3. श्री ए.एस. आर्य,
प्रोफेसर इमरीटस,
ईई-1,72/6, सिविल लाइंस,
रुडकी विश्वविद्यालय, रुडकी
4. सदस्य सचिव,
आई.एन.टी.ए.सी.एच., 71-लोदी एस्टेट, नई दिल्ली

5. श्री ए.जी. कृष्ण मैनन,
निदेशक, टीवीबी स्कूल ऑफ हैबिटाट स्टडीज,
सेक्टर ३, पॉकेट II, वसंत कुंज, नई दिल्ली
6. श्रीमती सुनीता नारायण,
निदेशक,
सेक्टर फॉर साईंस एंड एनवायरमेंट,
41, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली

- | | | |
|---|---|---|
| 7. Shri U.K. Srivastava,
Chief Town Planner (NCR),
Town and Country Planning Department,
Government of Rajasthan,
Nagar Niyojan Bhawan,
J.L. Nehru Marg, Jaipur, Rajasthan | 9. Shri S.K. Zaman,
Chief Coordinator Planner (NCR),
NCR Planning and Monitoring Cell,
2nd Floor, Nagar Nigam Bhawan,
Near Navyug Market, Ghaziabad, UP | 12. Shri P. Sisupalan, (Co-convenor)
Deputy Director, NCRPB
(Up to February 2001) |
| 8. Shri R.C. Aggarwal,
Chief Coordinator Planner (NCR),
Town and Country Planning Department,
Government of Haryana,
Sector-6, Panchkula, Haryana | 10. Shri Chandu Bhutia,
Associate Town and Country Planner,
L&B Department, Government of Delhi,
Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi | 13. Ms. Anjali Pancholy, (Co-convenor)
Assistant Director, NCRPB |

Co-opted Members

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Shri S.P.Jakhanwal,
Professor and Advisor,
Society for Development Studies,
Core VI A, India Habitat Centre,
New Delhi | 3. Dr. (Ms.) Stuti Lall,
Society for Development Studies,
Core VI A, India Habitat Centre,
New Delhi | 6. Shri Sabir Ali
Planner,
Centre for Social Development,
Lodhi Road, New Delhi |
| 2. Shri Chandra Ballabh,
Addl. Commissioner, MP- 2021 Unit,
DDA D-6, Vasant Kunj
(Near Fly Over), New Delhi | 4. Shri Tanmay Kumar,
Collector, Alwar, Rajasthan | 7. Dr. Ashok Kumar
Assistant Professor, Physical Planning,
School of Planning and Architecture,
I.P. Estate, New Delhi |
| | 5. Shri Manjeet Singh,
Additional Commissioner
(Slum and Wing), Slum and J.J. Wing
Vikas Kutir, I.P. Estate, New Delhi | 8. Shri Ajay Suri
Associate Professor
Society for Development Studies
India Habitat Centre, New Delhi |

Sub-group 1: Review of Regional Plan-2001
Sub-group 4: Education, medical, security, PDS and other social infrastructure

Sub-group 2: Informal settlements

Sub-group 3: Housing
Sub-group 5: Database, monitoring and evaluation system

Study Group VI: Environment including tourism, heritage, pollution, disaster management etc.

Members

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Prof. A.K. Maitra, (Chairman)
Director,
School of Planning and Architecture,
4, Block-D, I.P. Estate, New Delhi | 3. Shri A. S. Arya,
Professor Emeritus,
EE-1, 72/6, Civil Lines,
University of Roorkee, Roorkee | 5. Shri A.G. Krishna Menon,
Director, TVB, School of Habitat Studies,
Sector D, Pocket II,
Vasant Kunj, New Delhi |
| 2. Member Secretary,
Central Pollution Control Board,
Parivesh Bhawan,
East Arjun Nagar, Delhi | 4. Member Secretary,
INTACH, 71, Lodhi Estate, New Delhi | 6. Mrs. Sunita Narain,
Director,
Centre for Science and Environment,
41, Tughalakabad Institutional Area,
New Delhi |

- | | | | | | |
|----|---|-----|--|-----|---|
| 7. | श्री पंकज कुमार,
सदस्य सचिव,
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति,
आई.एस.वी.टी. कश्मीरी गेट, दिल्ली | 10. | श्री यू.के. श्रीवारस्तव,
मुख्य नगर नियोजक(रा.रा.क्षे.)
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
राजस्थान सरकार,
नगर नियोजन भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान | 12. | मुख्य समन्वयक नियोजक (रा.रा.क्षे.)
रा.रा.क्षे. कक्ष, नगर निगम भवन,
नवयुग मार्किट, गाजियाबाद, यूपी |
| 8. | निदेशक,
पर्यटन मंत्रालय,
भारत सरकार | 11. | मुख्य समन्वयक नियोजक (रा.रा.क्षे.),
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
हरियाणा सरकार,
सेक्टर 18 अ, चंडीगढ़, हरियाणा | 13. | श्री चंदू भूटिया,
सह-नगर और ग्राम योजनाकार,
एल एंड बी विभाग, दिल्ली सरकार
विकास भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली |
| 9. | श्री टी.सी. गुप्ता,
निदेशक,
वी.एम.टी.पी.सी., निर्माण भवन, नई दिल्ली | 14. | श्री राजीव मल्होत्रा,
(संयोजक)
संयुक्त निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो. | | |
| | | 15. | श्री सुरेश के. रोहिल्ला,
(सह-संयोजक)
सहायक निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो. | | |

सह-योजित सदस्य

- | | | | | | |
|----|---|-----|--|-----|--|
| 1. | डा. एस. मुखर्जी,
स्कूल ऑफ एनवायरमेंट साइंस,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली | 7. | डा. दुर्गेश राय,
भूकंप इंजीनियरिंग विभाग
रुडकी विश्वविद्यालय,
रुडकी, उ.प्र. | 13. | श्री रघु बाबू
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड |
| 2. | डा. ए.के. सिन्हा,
अधीक्षक पुरातत्वविद
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दिल्ली सर्कल,
सफदरजग टुम्ब, नई दिल्ली | 8. | श्री एस.सी. गुप्ता,
सेवा निवृत्त अपर आयुक्त, (योजना), डीडीए.
अ-5, गोल्फ विव्हू अपार्टमेंट्स,
साकेत, नई दिल्ली | 14. | सुश्री संयुक्ता भादुरी,
सहायक प्रोफेसर
पर्यावरण योजना विभाग,
योजना और वास्तुकला विद्यालय |
| 3. | सुश्री सविता भंडारी,
निदेशक (भू-दृश्य),
दिल्ली विकास प्राधिकरण,
विकास मीनार, नई दिल्ली | 9. | निदेशक,
केन्द्रीय जल आयोग,
सेवा भवन, आर.के. पुर्स,
नई दिल्ली | 15. | श्रीमती मीनाक्षी धोते,
सहायक प्रोफेसर
पर्यावरण योजना विभाग,
योजना और वास्तुकला विद्यालय |
| 4. | श्री वी.के. जैन,
निदेशक (योजना), एमपीपीआर-I, डी-6,
वसंत कुंज, ऊर्योपारपथ के निकट, नई दिल्ली | 10. | निदेशक,
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण,
पुष्पा भवन, पुष्प विहार, दिल्ली | 16. | श्री आनंद कुमार,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड |
| 5. | श्री रतीश नंदा,
परामर्शदाता, (धरोहर व संस्करण),
1557, सेक्टर ३, पाकेट १, वसंत कुंज, नई दिल्ली | 11. | श्री जे.के. प्रसाद,
उप मुख्या, बी.एम.टी.पी.सी., कोर V-अ,
भारत पर्यावास केन्द्र,
लोदी रोड, नई दिल्ली | 17. | श्री अजय राघव,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड |
| 6. | डी.आई.जी.,
वन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. परिसर, नई दिल्ली | 12. | श्री मनु भट्टानागर,
सलाहकार, एन.एच.डी., आई.एन.टी.ए.सी.एच.
71, लोदी एस्टेट, नई दिल्ली | 18. | श्री सिद्धार्थ यादव,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड |
| | | | | 19. | सुश्री मीनाक्षी सिंह,
प्रोजेक्ट एसोसिएट, इ.एन.वी.आई.एस.
सेंटर ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स,
योजना और वास्तुकला विद्यालय |

- | | | | | | |
|----|---|-----|--|-----|---|
| 7. | Shri Pankaj Kumar,
Member Secretary,
Delhi Pollution Control Committee,
ISBT, Kashmere Gate, Delhi | 10. | Shri U.K. Srivastava,
Chief Town Planner (NCR),
Town and Country Planning Department,
Government of Rajasthan,
Nagar Niyojan Bhawan,
J.L. Nehru Marg, Jaipur, Rajasthan | 12. | Chief Coordinator Planner (NCR),
NCR Cell, Nagar Nigam Bhawan,
Navyug Market, Ghaziabad, UP |
| 8. | Director,
Ministry of Tourism,
Government of India | 11. | Chief Coordinator Planner (NCR),
Town and Country Planning Department,
Government of Haryana,
Sector 18 A, Chandigarh, Haryana | 13. | Shri Chandu Bhutia,
Associate Town and Country Planner,
L&B Department, Government of Delhi,
Vikas Bhawan, I.P. Estate,
New Delhi |
| 9. | Shri. T. C. Gupta,
Director,
BMTPC, Nirman Bhawan, New Delhi | | | 14. | Shri Rajeev Malhotra, (Convenor)
Joint Director, NCRPB |
| | | | | 15. | Shri Suresh K. Rohilla, (Co-convenor)
Assistant Director, NCRPB |

Co-opted Members

- | | | | | | |
|----|--|-----|--|-----|---|
| 1. | Dr. S. Mukherjee,
School of Environment Sciences,
Jawahar Lal Nehru University,
New Delhi | 7. | Dr. Durgesh Rai,
Department of Earthquake,
Engineering, University of Roorkee,
Roorkee, U.P. | 13. | Shri Raghu Babu,
CPCB |
| 2. | Dr. A.K. Sinha,
Suptd. Archeologist, A.S.I. Delhi Circle,
Safdarjung Tomb, New Delhi | 8. | Shri S.C. Gupta,
Retired Addl. Commissioner (Planning), DDA
A-5, Golf View Apartments,
Saket, New Delhi | 14. | Ms. Sanjukta Bhaduri,
Assistant Professor,
Department of Environmental
Planning, SPA |
| 3. | Ms. Savita Bhandari,
Director (Landscape),
Delhi Development Authority,
Vikas Minar, New Delhi | 9. | Director,
Central Water Commission,
Sewa Bhawan, R.K. Puram,
New Delhi | 15. | Ms. Meenakshi Dhote,
Assistant Professor,
Department of Environmental
Planning, SPA |
| 4. | Shri B.K. Jain,
Director (Planning), MPPR-I, D-6,
Vasant Kunj, Near Flyover, New Delhi | 10. | Director,
Geological Survey of India,
Pushpa Bhavan, Push Vihar, Delhi | 16. | Shri Anand Kumar,
CPCB |
| 5. | Shri Ratish Nanda,
Consultant (Heritage and Conservation),
1557, Sector B, Pocket 1,
Vasant Kunj, New Delhi | 11. | Shri J.K. Prashad,
Deputy Chief, BMTPC, Core V-A,
India Habitat Centre,
Lodhi Road, New Delhi | 17. | Shri Ajay Raghav,
CPCB |
| 6. | D.I.G.,
Forests, Ministry of Environment and
Forests, Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, New Delhi | 12. | Shri Manu Bhatnagar,
Advisor, NHD, INTACH,
71, Lodhi Estate, New Delhi | 18. | Shri Sidharath Yadav,
CPCB |
| | | | | 19. | Ms. Meenakshi Singh,
Project Associate,
ENVIS Centre on Human Settlements, SPA |

उप-दल 1: पर्यावरण

अध्ययन दल VII : संस्थागत निक ढांचा

सदस्य

1. श्री के.सी. शिवरामाकृष्णन, (अध्यक्ष)
सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च,
धर्म मार्ग, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली
2. श्री डो.एस. मेशराम,
अध्यक्ष,
नगर नियोजन संस्थान, भारत,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली
3. प्रो. जी.के. मिश्रा,
भारतीय जन प्रशासन संस्थान,
रिंग रोड, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली
4. श्री रमेश नारायण स्वामी,
प्रधान सचिव,
शहरी विकास,
एन.सी.टी.-दिल्ली सरकार,
विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली

5. श्री वी.एम. बंसल,
सचिव एवं आयुक्त,
दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई.एन.ए., दिल्ली

उप-दल 2: धरोहर और पर्यटन

6. सुश्री निशा सिंह,
उप सचिव (दिल्ली डिवीज़न),
शहरी विकास मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली
7. श्री ओ.पी. माथूर,
निदेशक, एन.आई.पी.एफ.पी.,
स्पेशल(कुतुब) इंस्टीट्यूशनल एरिया,
सतसंग विहार, नई दिल्ली
8. श्री ई.एफ.एन. रिबेरो,
निदेशक, ए.एम.डी.ए., सीरी इंस्टीट्यूशनल
एरिया, खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली
9. श्री एन.सी. वाधवा,
निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
हरियाणा सरकार, सेक्टर 18 अ,
चंडीगढ़, हरियाणा
10. श्री बी.आर. मेहता,
अध्यक्ष, वास्तुकला परिषद्, कोर VI-अ,
प्रथम तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोदी रोड, नई दिल्ली

उप-दल 3: आपदा प्रबंधन

11. श्री ए.बी. पवार,
अध्यक्ष, भारतीय भवन-निर्माण समिति
सेक्टर-VI, आर.के. पुरम, नई दिल्ली
12. सुश्री शील सेठी,
कानूनी सलाहकार (रा.स.क्ष.यो.बो.),
89, संतनगर, नई दिल्ली
13. श्री यू.के. श्रीवास्तव,
राज्य मुख्य नगर नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
राजस्थान सरकार,
नगर नियोजन भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
जयपुर, राजस्थान
14. श्री बी.सी. दत्ता,
मुख्य क्षेत्रीय नियोजक, रा.स.क्ष.यो.बो.
15. डा. एन.बी. जौहरी,
संयुक्त निदेशक, रा.स.क्ष.यो.बो.
(संयोजक)

अध्ययन दल VIII: संसाधन संग्रहण और वित्तपोषण आदि सहित आर्थिक व वित्त नीति

सदस्य

1. डा. वी.के.तिवारी (अध्यक्ष)

निदेशक, एन.आई.यू.ए.,
भारत पर्यावास केन्द्र, कोर IV-ब,
प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली

2. प्रो. एम.सी. पुरोहित,
प्रोफेसर,
जन वित्त एवं नीति का राष्ट्रीय संस्थान
स्पेशल (कुतुब) इंस्टीट्यूशनल एरिया,
सतसंग विहार, नई दिल्ली

3. प्रो. एस. गंगोपाध्याय,

भारतीय संख्यकीय संस्थान,
सतसंग विहार,
कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली

4. प्रो. गंगाधर झा,

एन.आई.यू.ए. भारत पर्यावास केन्द्र,
कोर IV-ब, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली

5. प्रो. अरुण मिश्रा,

इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ,
दिल्ली विश्वविद्यालय, उत्तरी कैम्पस दिल्ली

6. प्रो. डी.बी. गुप्ता,

नेशनल कॉसिल ऑफ एप्लाइड,
इकोनॉमिक रिसर्च,
आई.पी. एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली

Sub-group 1: Environment**Sub-group 2: Heritage and tourism****Sub-group 3: Disaster management****Study Group VII: Institutional Framework****Members**

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Shri K.C. Shivramakrishnan, (Chairman)
Centre for Policy Research,
Dharam Marg, Chanakyapuri
New Delhi | 6. Ms. Nisha Singh,
Deputy Secretary (DD),
Ministry of Urban Development,
Nirman Bhawan, New Delhi | 11. Shri A.B. Pawar,
President, Indian Building Congress,
Sector-VI, R.K. Puram, New Delhi |
| 2. Shri D.S. Meshram,
President,
Institute of Town Planners India,
I.P. Estate, New Delhi | 7. Shri O.P. Mathur,
Director, NIPFP,
Special (Qutub) Institutional Area,
Satsang Vihar, New Delhi | 12. Mrs. Shiel Sethi,
Legal Advisor (NCRPB),
89, Sant Nagar, New Delhi |
| 3. Prof. G.K. Mishra,
Indian Institute of Public Administration,
Ring Road, I.P. Estate, New Delhi | 8. Shri E.F.N. Rebeiro,
Director, AMDA, Siri Institutional Area,
Khel Gaon Marg, New Delhi | 13. Shri U.K. Shrivastava,
State Chief Town Planner,
Town and Country Planning Department,
Government of Rajasthan,
Nagar Niyojan Bhawan,
J.L. Nehru Marg, Jaipur, Rajasthan |
| 4. Shri Ramesh Narain Swamy,
Principal Secretary,
Urban Development,
NCT Government of Delhi,
Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi | 9. Shri N.C. Wadhwa,
Director,
Department of Town and Country Planning,
Government of Haryana, Sector 18 A,
Chandigarh, Haryana | 14. Shri B.C. Datta,
Chief Regional Planner, NCRPB |
| 5. Shri V.M. Bansal,
Secretary and Commissioner,
DDA, Vikas Sadan, INA, Delhi | 10. Shri B.R. Mehta,
President, Council of Architecture,
Core VI-A, First Floor,
India Habitat Centre,
Lodhi Road, New Delhi | 15. Dr. N.B. Johri, (Convenor)
Joint Director, NCRPB |

Study Group VIII: Economic and Fiscal Policy including resource mobilization, funding etc.**Members**

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Dr. V.K. Tewari, (Chairman)
Director, NIUA,
India Habitat Centre, Core IV-B, 1 st Floor
Lodhi Road, New Delhi | 3. Prof. S. Gangopadhyay,
Indian Statistical Institute,
Satsang Marg, Qutub Institutional Area
New Delhi | 5. Prof. Arup Mitra,
Institute of Economic Growth,
Delhi University, North Campus, Delhi |
| 2. Prof. M. C. Purohit,
Professor,
National Institute of Public Finance and Policy,
Special (Qutub) Institutional Area,
Satsang Vihar, New Delhi | 4. Prof. Gangadhar Jha,
NIUA, India Habitat Centre,
Core IV-B, 1 st Floor,
Lodhi Road, New Delhi | 6. Prof. D.B. Gupta,
National Council of Applied,
Economics Research,
I.P. Estate, Ring Road, New Delhi |

- | | | | | | |
|----|---|-----|---|-----|---|
| 7. | श्री यू.के. श्रीवास्तव,
मुख्य नगर नियोजक(रा.रा.क्षे.)
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
राजस्थान सरकार,
नगर नियोजन भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान | 9. | श्री एस.के. जामन,
मुख्य समन्वयक नियोजक (रा.रा.क्षे.),
रा.रा.क्षे. योजना और निगरानी कक्ष,
द्वितीय तल, नगर निगम भवन,
नवयुग मार्किट के निकट, गाजियाबाद, उ.प्र. | 11. | श्री वी. के. ठाकुर (संयोजक)
संयुक्त निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो. |
| 8. | श्री आर.सी. अग्रवाल,
मुख्य समन्वयक नियोजक (रा.रा.क्षे.),
हरियाणा सरकार,
सेक्टर-6, पंचकुला, हरियाणा | 10. | श्री चंदू भूटिया,
सह-नगर और ग्राम योजनाकार्,
एल. एंड बी., विभाग, दिल्ली सरकार,
विकास भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली | 12. | श्री पी. शिशुपालन (सह-संयोजक)
उप निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो.
(फरवरी, 2001 तक) |
| | | | | 13. | सुश्री अंजली पंचोली, (सह-संयोजक)
सहायक निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो. |

सह-योजित सदस्य

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | श्री बी. के. जैन,
निदेशक (एमपीडी-2021),
दि. वि. प्रा., महा योजना 2021 ईकाई, डी-6,
वसंत कुंज, नई दिल्ली | 2. | श्री ए.एन. गुप्ता,
निदेशक (वित्त), एच.यू.डी.सी.ओ. (हड्डी),
भारत पर्यावास केन्द्र, लोदी रोड, नई दिल्ली |
|----|---|----|---|

उप-दल 1 : आर्थिक गतिविधियां और वित्त नीति

उप-दल 2 : संसाधन संग्रहण और वित्तपोषण

3. राष्ट्रीय दूर संवेदी अभिकरण, दल के सदस्य (आंकड़ा संचय उत्पन्न करने और मानचित्र तैयार करने में सहयोगी)

- | | | | | | |
|----|--|----|--|----|---|
| 1. | डा. वी. राघवस्वामी,
दल निदेशक
एल.यू. एण्ड यू.एस./आर.एस. एण्ड जी.आई.एस.-ए.ए.
समग्र समन्वयकर्ता | 3. | डा. के.एच.पी. दुर्गा राव,
वैज्ञानिक | 5. | डा. एस. के. सुब्रह्मण्यम,
वरिष्ठ वैज्ञानिक |
| 2. | प्रो. वी. के. झा,
प्रधान, आर.आर.एस.एस.सी., देहरादून | 4. | श्री बी. रमेश,
वरिष्ठ वैज्ञानिक | 6. | श्री तापस रंजन मार्था,
वैज्ञानिक |

7. Shri U.K. Srivastava, Chief Town Planner (NCR), Town and Country Planning Department, Government of Rajasthan, Nagar Niyojan Bhawan, J.L. Nehru Marg Jaipur, Rajasthan	9. Shri S.K. Zaman, Chief Coordinator Planner (NCR) NCR Planning and Monitoring Cell, 2nd Floor, Nagar Nigam Bhavan, Near Navyug Market, Ghaziabad, UP	11. Shri V K Thakore (Convenor) Joint Director, NCRPB
8. Shri R.C. Aggarwal, Chief Coordinator Planner (NCR) Town and Country Planning Department, Government of Haryana, Sector -6, Panchkula, Haryana	10. Shri Chandu Bhutia, Associate Town and Country Planner, L&B Department, Government of Delhi, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi	12. Shri P. Shisupalan, (Co-convenor) Assistant Director, NCRPB (Up to February 2001)

Co-opted Members

- | | |
|--|---|
| 1. Shri B.K. Jain,
Director (MPD-2021), DDA
MP 2021 Unit, D-6, Vasant Kunj,
New Delhi | 2. Shri A.N. Gupta,
Director (Finance), HUDCO,
IHC, Lodhi Road, New Delhi |
|--|---|

Sub-group 1: Economic activities and fiscal policy

Sub-group 2: Resource mobilisation and funding

3. MEMBERS OF NRSA TEAM (associated with the creation of database generation and preparation of maps)

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Dr. V. Raghavswamy,
Group Director,
LU&US/RS&GIS-AA
Overall Coordinator | 3. Dr. K. H. V. Durga Rao,
Scientist | 5. Dr. S. K. Subrahmanyam,
Senior Scientist |
| 2. Prof. V. K. Jha,
Head, RRSSC, Dehradun | 4. Shri B. Ramesh,
Senior Scientist | 6. Shri Tapas Ranjan Martha
Scientist |

कार्य दल

योजना में संबंधित क्षेत्रों के विषय में अतिरिक्त कार्यनीतियां तथा चरणबद्धता बनाने के लिए एक कार्यदल गठित किया गया। इस दल ने क्षेत्रीय योजना -2001 की समीक्षा की सिफारिशों के संदर्भ में क्षेत्रीय योजना-2021 मसौदे का प्रारंभिक मूल्यांकन किया। आगे इस दल ने योजना समिति की 48वीं बैठक के निर्णय के अनुसरण करते हुए राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम सूचनाओं की जांच करी।

दल का गठन इस प्रकार है :

1. श्री सैयद एस. शफी
पूर्व मुख्य नियोजक,
टी.सी.पी.ओ. तथा शहरी नियोजन एवं विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ
फ्लैट सं. 22, हौज खास, एस.एफ.एस. अपार्टमेंट, नई दिल्ली
(अध्यक्ष)
2. श्री आर. सी. अग्रवाल
पूर्व मुख्य क्षेत्रीय नियोजक एवं परामर्शदाता,
रा.रा.क्षे.यो.बो.
3. श्री राजीव मल्होत्रा
संयुक्त निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो.
4. श्री के. एस. चन्द्रशेखर
संयुक्त निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो.
(सचिव)
5. श्री एस. सुरेन्द्र
उप निदेशक, रा.रा.क्षे.यो.बो.

WORKING GROUP

A Working Group was constituted for further strategizing and phasing the Plan in respect of relevant areas. This Group also undertook a preliminary appraisal of draft Regional Plan-2021 in the context of recommendations of Review Plan-2001. This Group further examined the latest inputs received from the State Governments pursuant to the decision of 48th meeting of the Planning Committee.

The constitution of the Group is as under:

1. Shri Syed S. Shafi, (Chairman)
Former Chief Planner
TCPO and Former UN Expert on Urban Planning and Development
Flat No. 22, Hauz Khas SFS Apartments
New Delhi
2. Shri R. C. Aggrawal
Former Chief Regional Planner and
Consultant, NCRPB
3. Shri Rajeev Malhotra
Joint Director, NCRPB
4. Shri K. S. Chandrashekhar
Joint Director, NCRPB
5. Shri S. Surendra, (Secretary)
Deputy Director, NCRPB

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 12 के अंतर्गत प्रकाशन

DANIK JAGRAN, JAIPUR 27/12/04

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

फर्म-ए

(नियम 23 देखें)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियम, 1985 के नियम 23 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन सूचना एवंद्वारा यह सूचित किया जाता है कि:

1. (क) राष्ट्रीय योजना 2021 का मरीदा तैयार कर लिया गया है, और
 - (ख) नियोजन के लिए उसकी एक प्रति प्रथम तल, कोर-IV भी, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यालय में और आम जनता की सुविधा के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय संजयनी क्षेत्र योजना और मोनीटरिंग कक्षों के कार्यालयों में भी अस्थाँत।
 - (i) मुख्य समन्वयक नियोजक, मार्केट मुख्य प्रशासक, हुड़ा, एस.सी.ओ., सेक्टर-6, पंचकुला, हरियाणा।
 - (ii) मुख्य नगर नियोजन (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), नगर और ग्राम योजना विभाग, राजस्थान सरकार, नगर नियोजन भवन, जयाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
 - (iii) मुख्य समन्वयक नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कथ, नगर और ग्राम नियोजन विभाग, नियन भवन, नवपुण मार्केट, काण्डी भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश।
 - (iv) मुख्य समन्वयक नियोजक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कथ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, कमरा सं. 507, 5वां लेवल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
- सभी कार्य दिवसों को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर बाद 3.00 बजे तक इस नोटिस के पैरा 3 में उल्लिखित तरीख तक उपलब्ध रहेगी।
2. मसौदा क्षेत्रीय योजना के संबंध में आपत्तियां और सुझाव आंमत्रित किए जाते हैं।
 3. आपत्तियां और सुझाव दिनांक 9 फरवरी, 2005 व इससे पहले सदस्य संचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रथम तल, कोर-IV भी, भारत पर्यावास, केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेजे जा सकते हैं।
- आपत्तियां अथवा सुझाव भेजने वाले व्यक्ति से अनुरोध है कि वह अपना नाम और पता भी अवश्य दें।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 27.12.04

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

टेलीफोन: 1076(5)04

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली

मर्मोदा शंकरीय योजना - 2021 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
देखा किया गया है

केवल यो लापता है
रह गए हैं

इसका लालू नाईव लगभगी हैर में सूचित और
उपलिखित लिखा गया है। इस लालू में आम जनता से
अपीलिंग/उत्तराधिकारी बताए गये ग्रन्त अनुरोध वाले
ने दिनांक 27.12.2004 को एक उपराषेक दृष्टि
नहीं भी रख रहे हैं।

कृपया अपने आपत्तियां/सुझाव
दिनांक 9.2.2005 तक अवश्य भेज दें।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कार्यालय, लोधी राजधानी केवल सेवा की,
कोर-4-बी, जल संकाय भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
फोन: 011-24642163

यह योजना दा. रा.सी.योजना बोर्ड, नई दिल्ली के उपर कार्यालय और दिल्ली, अप्पोल
(हरियाणा), गोपीनाथाराम (क.प.) और जयपुर (राजस्थान) नियन लागी दा. रा.सी. योजना के
कक्षों में भी प्रदर्शित की गई है। इस योजना हिन्दी और अंग्रेजी में 225/- रुपये के गुरुत्व पर लिखी के
लिए भी उपलब्ध है।

सेवा कोड: 004660

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नई दिल्ली

देखा किया गया है

तारीख
9.3.2005
तक वर्द्धाएँ
रह गई हैं।

इस संघर्ष में आम जनता से आपत्तियां/सुझाव प्राप्त करने के
लिए दिनांक 27.12.2004 को अपीलिंग/उत्तराधिकारी द्वारा दोनों
29/30.1.2005 को भी अनुरोध उत्तराधिकारी से प्रकाशित किया
गया था।

जनता और दिनेश संगठनों के अनुरोध पर मसौदा शोकीद
योजना - 2021 के संबंध में आपत्तिया / सुझाव प्राप्त करने
की तारीख को 9.3.2005 तक बढ़ाया गया है।

कृपया अपनी आपत्तियां/सुझाव निम्नलिखित पाते पर भेजें:

सदस्य सचिव, नाईव सचिव, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
फोन: 011-24642163

यह योजना दा. रा.सी.योजना बोर्ड, नई दिल्ली के उपर कार्यालय और दिल्ली, अप्पोल
(हरियाणा), गोपीनाथाराम (क.प.) और जयपुर (राजस्थान) नियन लागी दा. रा.सी. योजना के
कक्षों में भी प्रदर्शित की गई है। इस योजना हिन्दी और अंग्रेजी में 225/- रुपये के गुरुत्व पर लिखी के लिए भी उपलब्ध है।

दृष्टि: 2004/659

185

PUBLICATION UNDER SECTION 12 OF THE NCRPB ACT, 1985

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

FORM A
(See Rule 23)

NOTICE UNDER SUB-SECTION 1 OF SECTION 12 OF THE NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD ACT 1985 READ WITH RULE 23 OF THE NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD RULES, 1985.

Notice is hereby given that:

- (1) (a) The draft of the Regional Plan 2021 has been prepared, and
 (b) A copy thereof will be available for inspection in the office of the National Capital Region Planning Board situated at 1st Floor, Core-IVB, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi and for convenience of the public, also in the offices of the NCR Planning and Monitoring Cells as under:
 - (i) Chief Coordinator Planner, C/o Chief Administrator, HUDA, SCO, Sector-6, Panchkula, Haryana.
 - (ii) Chief Town Planner (NCR) Town and Country Planning Department, Govt. of Rajasthan, Nagar Niyan Bhawan, Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur, Rajasthan.
 - (iii) Chief Coordinator Planner, NCR Cell, Town & Country Planning Deptt., Nagar Niyan Bhawan, Navyug Market, Commercial Building, 2nd Floor, Ghaziabad, U.P.
 - (iv) Associate Town & Country Planner, NCR Planning Cell, Govt. of NCT, Delhi, Room No. 507, 5th Level, B-Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi, on all working days from 11 a.m. to 3 p.m. till the date mentioned in Para 3 hereinafter.
- (2) Objections and suggestions are hereby invited to the Draft Regional Plan.
- (3) Objections and suggestions may be sent in writing to the Member Secretary, National Capital Region Planning Board situated at 1st Floor, Core-IVB, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi on or before 9th February, 2005.

Any person making the objection or suggestions should also give his name and address.

Member Secretary
National Capital Region Planning Board

Place: New Delhi. Date: 27.12.2004.
 dapp 1076(5)2004 (937989_1)

HINDUSTAN TIMES 27/12/04

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD, NEW DELHI

Draft Regional Plan- 2021 of NCR

Only Two weeks left

Prepared for a balance and harmonised development of National Capital Region (NCR) and Notified for inviting objections / suggestions from public in leading Newspapers on 27.12.2004

Send your objections / suggestions Latest by 9.2.2005

To Member Secretary, National Capital Region Planning Board Core IV-B, First Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003. Fax: 24642163

The Plan is displayed at NCR Planning Board, New Delhi and all the NCR Planning Cells at Delhi, Chandigarh (Haryana), Ghaziabad (UP) & Jaipur (Rajasthan). The Plan is also available on sale both in Hindi & English at a price of Rs. 225/-

**NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD,
 NEW DELHI**

Draft Regional Plan- 2021 of NCR

DATE EXTENDED UPTO 9.3.2005

Prepared Notified on 27.12.2004 and also advertised on 29/01/2005 in leading Newspapers for inviting objections / suggestions from public.

On the request of public and various organizations, the date for receiving objections / suggestions on draft Regional Plan-2021 has been extended up to 9.3.2005.

Send your objections / suggestions to:
 Member Secretary, National Capital Region Planning Board
 Core IV-B, First Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road,
 New Delhi-110003. Fax: 24642163

The Plan is displayed at NCR Planning Board, New Delhi and all the NCR Planning Cells at Delhi, Chandigarh (Haryana), Ghaziabad (UP) & Jaipur (Rajasthan). The Plan is also available on sale both in Hindi & English at a price of Rs. 225/- in cash.

HINDUJU SAKHA

THE TIMES OF INDIA 8/2/05

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 13 तथा रा.रा.क्से. योजना बोर्ड नियम, 1985 के नियम 27 के अन्तर्गत अधिसूचना

2252	भारत का वारपत्र, विकासपत्र 17, 2005 (भाइपट 26, 1927)	[पाँग III]—खण्ड 4
<p style="text-align: center;">राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड</p> <p style="text-align: center;">प्रधान बी</p> <p style="text-align: center;">(कृपया नियम 27 देखें)</p> <p style="text-align: center;">नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2005</p> <p>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियमावली, 1985 के नियम 27 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 13 की उप-धारा 1 के अधीन सूचना।</p> <p>यह सूचित किया जाता है कि:-</p> <p>(1) (क) अंतिम क्षेत्रीय योजना (Final Regional Plan) तैयार कर ली गई है; और</p> <p>(ख) उसकी एक प्रति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कोर-IV-बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केन्द्र, "लोधी" रोड, नई दिल्ली-110 003 स्थित कार्यालय में सभी कार्यदिवसों को 11:00 बजे प्रातः से 3:00 बजे दोपहर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड</p> <p style="text-align: right;">ठार्डीवीपी 1076 (11)05</p>		

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

प्रपत्र-बी

(देखें नियम-27)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 की धारा-13 की उप-धारा-1 के साथ पठनीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियमों 1985 के नियम 27 के अंतर्गत सूचना।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि

1. (क) अंतिम क्षेत्रीय योजना तैयार कर लिया गया है और
- (ख) इसकी प्रति कोर-IV बी, प्रथम तल, इंडिया हैविटेट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में स्थित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के कार्यालय में 11:00 बजे से 15:00 बजे तक सभी कार्य दिवस पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

स्थान—नई दिल्ली

दिनांक -3 अक्टूबर 2005

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

1069982-1

NOTIFICATION UNDER SECTION 13 OF THE NCRPB ACT, 1985 AND RULE 27 OF THE NCRPB RULES, 1985

Part III—Sec. 4] THE GAZETTE OF INDIA, SEPTEMBER 17, 2005 (BHADRA 26, 1927) 2363

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
FORM B
(See Rule 27)
New Delhi, the 23rd August 2005

Notice under Sub-section 1 of Section 13 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 read with Rule 27 of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985

Notice is hereby given that:-

(1) (a) The final Regional Plan has been prepared; and
(b) A copy thereof will be available for inspection in the office of the National Capital Region Planning Board situated at Core-IV B, 1st Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110 003 on all working days from 11.00 A.M. to 3.00 P.M.


MEMBER SECRETARY
NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

Form B (See Rule 27)

Notice under Sub-section 1 of Section 13 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 read with Rule 27 of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985.

Notice is hereby given that:-

- (1) (a) The final Regional Plan has been prepared; and
(b) A copy thereof will be available for inspection in the office of the National Capital Region Planning Board situated at Core-IV B, 1st Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003 on all working days from 11.00 A.M. to 3.00 P.M.

MEMBER SECRETARY
NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

Place: New Delhi
Dated : 3rd October 2005
davp 1076(11)2005

(1070013_1)

2021 के लिए एन.सी.टी.-दिल्ली में शहरीकरण योग्य भूमि की उपलब्धता

क्र.सं.	भूमि उपयोग	क्षेत्रफल		टिप्पणी
		(हेक्टेयर)	(कुल क्षेत्रफल का %)	
1	2	3	4	5
1.	एन.सी.टी.-दिल्ली का कुल भौगोलिक क्षेत्र	1,48,300.00	100.00	
2.	निर्मित क्षेत्र (आई.आर.एस.आई. सी.एल. आई.एस.एस-III उपग्रह आंकड़ों 1999 के अनुसार)	70,162.00	47.31	
3.	प्राकृतिक विशेषताओं को संरक्षित करना (वन, वन्य जीव अभयारण्य, रिझ, यमुना नदी तथा अन्य जलाशयों/नालों)	19,509.10	13.16	वन-303.56 हेक्टेयर, वन्य जीव अभयारण्य-28.54 हेक्टेयर, रिझ-7777 हेक्टेयर, यमुना नदी-9700 हेक्टेयर, अन्य जलाशयों/नालों-170 हेक्टेयर
4.	उप-योग (निर्मित+प्राकृतिक विशेषताएं)	89,671.10	60.47	
5.	दिल्ली में उपलब्ध शेष भूमि (1-4)	58,628.90	39.53	
6.	निम्न के लिए भूमि आरक्षित रखना :			
(i)	2051 तक उत्पन्न ठोस कचरे का निपटान [सेनिटरी लैंडफिल, प्रक्रिया के लिए तथा साविधिक हरित क्षेत्र (अनुलग्नक 4/II)]	10,000.00	6.74	
(ii)	मैट्रो सेवाएं/उपयोगिताएं जैसे विद्युत संयंत्र, ग्रिड स्टेशन, जल एवं मल-जल शोधन संयंत्र आदि	10,000.00	6.74	
(iii)	एन.सी.टी.-दिल्ली में दुग्धशाला क्षेत्र, बागवानी, हारित पट्टी आदि सहित कृषि जोन	11,000.00	7.42	
7.	क्र.सं.6 का उप-योग	31,000.00	20.90	
8.	शहरीकरण के लिए प्रस्तावित/वास्तविक भूमि उपलब्ध (5-7)	27,628.90	18.63	
9.	कुल शहरीकरण योग्य क्षेत्र 2021 (1999 तक निर्मित क्षेत्र सहित) (2+8)	97,790.90	65.94	
10.	जनसंख्या, 225 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर की दर से 97,790.90 हेक्टेयर में समायोजित किया जा सके=220 लाख			

AVAILABILITY OF URBANISABLE LAND IN NCT-DELHI FOR 2021

S. No.	Land Use	Area		Remarks
		(in Hectares)	(%age to total area)	
1	2	3	4	5
1.	Total geographical area of NCT-Delhi	1,48,300.00	100.00	
2.	Built-up area (as per IRS IC LISS III satellite data 1999)	70,162.00	47.31	
3.	Natural features to be conserved (forest, wild life sanctuary, ridge, river Yamuna and other water bodies/drains)	19,509.10	13.16	Forest-303.56 hectares, Wild life sanctuary- 28.54 hectares, Ridge-7777 hectares, river Yamuna-9700 hectares, Other water bodies/drains-170 hectares
4.	Sub-Total (Built-up + Natural features)	89,671.10	60.47	
5.	Balance land available in NCT-Delhi (1-4)	58,628.90	39.53	
6.	Land to be kept reserved for: (i) Disposal of solid wastes generated up to 2051 [sanitary landfill, processing and statutory green belts] (refer Annexure 4/II) (ii) Metro services/utilities e.g. power plants, grid stations, water and sewerage treatment plants etc. (iii) Agriculture zone in NCT-Delhi including dairy farming, horticulture, green belts etc.	10,000.00 10,000.00 11,000.00	6.74 6.74 7.42	
7.	Sub-total of S.No.6	31,000.00	20.90	
8.	Proposed/actual land available for urbanization (5-7)	27,628.90	18.63	
9.	Total urbanisable area 2021 (including built-up area 1999) (2+8)	97,790.90	65.94	
10.	Population, which can be accommodated in 97,790.90 hectares @ 225 PPH=220 lakhs			

एन.सी.टी.-दिल्ली में जल की उपलब्धता

(वर्ष 2021 तक मौजूदा ज्ञात जल के स्रोतों द्वारा तथा जनसंख्या जो संपोषित हो जाएगी)

1.	आबादी (2021)	220 लाख
2.	जल आपूर्ति की दर	225 एलपीसीडी
3.	वर्ष 2021 में 15% नुकसान (743 एमएलडी) सहित 220 लाख आबादी के लिए जल की आवश्यकता	5,693 एमएलडी लगभग, 5,700 एमएलडी
4.	विभिन्न ज्ञात स्रोतों से उपलब्ध स्वच्छ जल	
i)	सतही जल-यमुना तथा पश्चिमी यमुना नहर (डब्ल्यू.जे.सी.)	409 एडएलडी (90 एमजीडी)
	क) चन्द्रावल जलकल यमुना नदी पर-वजीराबाद बैराज	545 एमएलडी (120 एमजीडी)
	ख) वजीराबाद जलकल यमुना नदी पर-वजीराबाद बैराज	908 एमएलडी (200 एमजीडी)
	ग) हैदरपुर जलकल-पश्चिमी यमुना नहर	182 एमएलडी (40 एमजीडी) [*]
	घ) नांगलोई जलकल-पश्चिमी यमुना नहर	91 एमएलडी (20 एमजीडी) ^{**}
	ड) एन.सी.टी.-दिल्ली समानांतर शाखा (नहर की लाईनिंग)	2,135 एमएलडी
	उपयोग (i)	
ii)	शाहदरा जलकल-अपर गंगा नहर से जल	454 एमएलडी (100 एमजीडी)
iii)	टिहरी बांध से अपेक्षित जल	635 एमएलडी (140 एमजीडी) [@]
iv)	उपलब्ध उप-सतही जल	370 एमएलडी (81 एमजीडी)
v)	उप-सतही जल जो कि यमुना बाढ़ क्षेत्र से उनकी सुरक्षा के बाद एन.सी.टी.-दिल्ली में भूमिगत जल की प्रतिपूर्ति से उपलब्ध होगा	200 एमएलडी (44 एमजीडी)
	योग (i) - (v)	3,794 एमएलडी लगभग, 3,800 एमएलडी
5.	पेय जल की मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल	1,900 एमएलडी
6.	रिसाइकिल्ड अपशिष्ट जल गंदे पानी (क्र.सं.3 का लगभग 50%, अर्थात् 3,800 एमएलडी) का उपयोग अ-पेय प्रयोजन करने अंतराल को कम करना	1,900 एमएलडी

नोट :

* इस समय 91 एमएलडी उपलब्ध है।

** कार्य चल रहा है

@ कार्य चल रहा है

AVAILABILITY OF WATER IN NCT-DELHI

(Up to the year 2021 from existing known sources of water and the population it can sustain)

1.	Population (2021)	220 lakhs
2.	Rate of water supply	225 lpcd
3.	Water requirement for 220 lakhs population in the year 2021 including 15% losses (743 mld)	5693 mld say, 5700 mld
4.	Fresh Water available from various known sources	
i)	Surface Water-Yamuna and WJC	
a)	Chandrawal waterworks-river Yamuna at Wazirabad barrage	409 mld (90 mgd)
b)	Wazirabad waterworks-river Yamuna at Wazirabad barrage	545 mld (120 mgd)
c)	Haiderpur waterworks-Western Yamuna canal	908 mld (200 mgd)
d)	Nagloi waterworks-Western Yamuna canal	182 mld (40 mgd)*
e)	NCT-Delhi parallel branch (lining of canal)	91 mld (20 mgd)**
	Sub-total (i)	2,135 mld
ii)	Shahdara waterworks-water from Upper Ganga canal	454 mld (100 mgd)
iii)	Water expected from Tehri Dam	635 mld (140 mgd) [@]
iv)	Sub-surface water available	370 mld (81 mgd)
v)	Sub-surface water which can be available from Yamuna flood planes after protecting the same for ground water recharging in NCT-Delhi	200 mld (44 mgd)
	Total (i)-(v)	3,794 mld say, 3,800 mld
5.	Gap between demand and supply of drinking water	1,900 mld
6.	Gap to be bridged by use of recycled waste water (about 50% of S. No. 3 i.e., 3,800 mld) for non-potable purpose	1,900 mld

Note:

* 91 mld available at present

** Work in progress

@ Work in progress

वर्ष 2051 तक दिल्ली में सेनिटरी लैंड फिलिंग के लिए भूमि की आवश्यकता

क्र.सं.	ब्यारा	2001-2021	2022-2035	2036-2051
1	2	3	4	5
क)	कचरे का उत्पादन			
i)	प्रति व्यक्ति कचरा उत्पादन प्रति दिन	685 ग्राम	685 ग्राम	685 ग्राम
ii)	पूर्वानुमानित जनसंख्या	वर्ष 2021: 220 लाख	वर्ष 2035: 260 लाख ¹	वर्ष 2051: 300 लाख
iii)	कचरा उत्पादन (ब्लाक वर्च का प्रारंभ)	6,000 मे.टन/प्रति दिन	15,000 मे.टन/प्रति दिन	18,000 मे.टन/प्रति दिन
iv)	कचरा उत्पादन (ब्लाक वर्च का अंत)	15,000 मे.टन/प्रति दिन	18,000 मे.टन/प्रति दिन	20,550 मे.टन/प्रति दिन
ख)	सेनिटरी लैंडफिल की कार्य अवधि	20 वर्ष	15 वर्ष	15 वर्ष
ग)	कुल कचरा उत्पादित	=0.5(6000+15000)x365x20 =76.65x10 ⁶ मे.टन	=0.5(15000+18000)x365x15 =90.34x10 ⁶ मे.टन	=0.5(18000+20550)x365x15 =105.53x10 ⁶ मे.टन
घ)	कुल कचरा आयतन (पूर्वानुमानित घनत्व 0.85 मे.टन/मी. ³)	=76.65 x 10 ⁶ /0.85 = 90.18x10 ⁶ मी. ³	= 90.34x10 ⁶ /0.85=106.28x10 ⁶ मी. ³	=105.53x10 ⁶ /0.85=124.15x 10 ⁶ मी. ³
ङ)	दैनिक कवर का आयतन	=0.1x90.18x10 ⁶ =9.02x10 ⁶ मी. ³	=0.1x106.28x10 ⁶ =10.63x10 ⁶ मी. ³	=0.1x124.15x10 ⁶ =12.42x10 ⁶ मी. ³
च)	लाइनर और कवर प्रणाली का आयतन	0.125x90.18x10 ⁶ =11.27x10 ⁶ मी. ³	0.125x106.28x10 ⁶ =13.29x10 ⁶ मी. ³	0.125x124.15x10 ⁶ =15.52x10 ⁶ मी. ³
छ)	कचरा, लाइनर व कवर प्रणाली के आयतन का प्रथम आंकड़न (घ) + (ङ) + (च)	(90.18+9.02+11.27)x10 ⁶ =110.47x10 ⁶ मी. ³	(106.28+10.63+13.29)x10 ⁶ =130.20x10 ⁶ मी. ³	(124.15+12.42+15.52)x10 ⁶ =152.09x10 ⁶ मी. ³
ज)	लैंडफिल की संभावित आकृति (भूमि से आंशिक नीचे और आंशिक ऊपर)	नक्शे में आयताकार लम्बाई:चौड़ाई = 2:1	नक्शे में आयताकार लम्बाई:चौड़ाई = 2:1	नक्शे में आयताकार लम्बाई:चौड़ाई = 2:1
झ)	क्षेत्र प्रतिबंध	शून्य	शून्य	शून्य
ऋ)	संभाव्य अधिकतम ऊँचाई	10 मीटर (आधा भूमि के नीचे और आधा भूमि के ऊपर)	10 मीटर (आधा भूमि के नीचे और आधा भूमि के ऊपर)	10 मीटर (आधा भूमि के नीचे और आधा भूमि के ऊपर)
ट)	क्षेत्र की आवश्यकता	=110.47x10 ⁶ /10 मी. ² =11.05 वर्ग कि.मी.	=130.20x10 ⁶ /10 मी. ² =13.02 वर्ग कि.मी.	=152.09x10 ⁶ /10 मी. ² =15.21 वर्ग कि.मी.
ठ)	क्षेत्र जो होगा प्रत्येक का करीब-करीब क्षेत्र आयाम	3.7 वर्ग कि.मी. (3 भिन्न स्थानों को पूर्वानुमानित करते हुए) 2.7 कि.मी. x1.4 कि.मी. (2700 मी. x1400 मी.)	3.26 वर्ग कि.मी. (4 भिन्न स्थानों को पूर्वानुमानित करते हुए) 2.5 कि.मी. x 1.3 कि.मी. (2500 मी. x1300 मी.)	3.80 वर्ग कि.मी. (4 भिन्न स्थानों को पूर्वानुमानित करते हुए) 2.7 कि.मी. x1.4 कि.मी. (2700 मी. x1400 मी.)
ड)	लैंडफिल जगहों के आसपास साधारण को रखने के लिए लैंडफिल के चारों ओर अतिरिक्त 30 मीटर भूमि की आवश्यकता होगी			
ढ)	अनुसूची III के अनुसार, पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 27.09.1999 की अधिसूचना सं.583 के पैरा 10, लैंडफिल स्थलों के आसपास विकास मनाही के लिए 500 मीटर चौड़ी प्रतिरोधक जोन बना के रखनी चाहिए तथा नगर के योजना विभागों के भूमि उपयोग नक्शों में स्पष्टित करना चाहिए।			
ण)	पैरा (ड व ढ) को शामिल करते हुए प्रत्येक स्थल का करीब-करीब आयाम	3760 मी. x2460 मी.	3560 मी. x2360 मी.	3760 मी. x 2460 मी.
त)	100% कूड़ा कचरा लैंडफिल स्थल में जाएगा पूर्वानुमानित करते हुए वर्ष 2021 तक एन.सी.टी.-दिल्ली के लिए सेनिटरी लैंडफिल स्थल के लिए आवश्यक कुल क्षेत्र	3760 मी. x2460 मी. x3 = 3.76 कि.मी. x2.46 कि.मी. x3 = 27.75 वर्ग कि.मी.	3560 मी. x 2360 मी. x4 = 3.56 कि.मी. x2.36 कि.मी. x4 = 33.61 वर्ग कि.मी.	3760 मी. x 2460 मी. x4 = 3.76 कि.मी. x2.46 कि.मी. x4 = 37 वर्ग कि.मी.

नोट:

- * अनुमान उपलब्ध नहीं होने पर, अतः मध्य की संख्या के आधार पर पूर्वानुमान को आंका गया है ।
- ठोस कचरे के निपटान के लिए जो वर्ष 2051 तक एन.सी.टी.-दिल्ली में उत्पन्न होगा, सेनिटरी लैंड फिलिंग के जरिए 100 वर्ग कि.मी. भूमि की आवश्यकता होगी यह पूर्वानुमानित कर की 100% निपटान लैंडफिल से होगा ।
 - भूमि आवश्यकता की गणना के लिए पूर्वानुमान:
 - ठोस कचरे का घनत्व = 0.85 मे.टन/मी.³
 - प्रस्तावित फिलिंग की अधिकतम ऊँचाई/गहराई 10 मीटर इस आधार पर कि आधा भूमि के नीचे और आधा भूमि के ऊपर तथा लैंडफिल की संभावित आकृति आयताकार होगी ।
 - 2001-2021 अवधि सेनिटरी लैंडफिलिंग स्थलों के लिए तीन भिन्न स्थान प्रस्तावित किए गए हैं । 2022-2035 की अवधि के लिए चार स्थान तथा 2036-2051 अवधि के लिए भी चार स्थान हैं ।
 - सेनिटरी लैंडफिल के जरिए सभी ठोस कचरे का निपटान किया जायेगा ।
 - भूमि क्षेत्र आवश्यकता घट जाएगी यदि केवल 50% कचरा सेनिटरी लैंडफिल तथा फिलिंग की ऊँचाई/गहराई में परिवर्तन के जरिए से निपटान अगर किया जाएगा । भूमि आवश्यकता वर्ष 2021 तक 15.7 वर्ग कि.मी. होगी यदि 50% कचरा सेनिटरी लैंडफिल के जरिए निपटान किया जाएगा । इस से अतिरिक्त, आगे किलिंग की ऊँचाई/गहराई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो, भूमि आवश्यकता वर्ष 2021 तक 7.35 वर्ग कि.मी. होगी ।

ANNEXURE 4/IIB

LAND REQUIREMENT FOR SANITARY LAND FILLING IN DELHI UP TO THE YEAR 2051

S. No.	Particulars	2001-2021	2022-2035	2036-2051
1	2	3	4	5
a)	Generation of wastes			
i)	Per capita waste generation per day	685 gms	685 gms	685 gms
ii)	Projected Population	Year 2021: 220 lakhs	Year 2035: 260 lakhs*	Year 2051: 300 lakhs
iii)	Waste generation (beginning of block year)	6,000 MT/day	15,000 MT/day	18,000 MT/day
iv)	Waste generation (end of the block year)	15,000 MT/day	18,000 MT/day	20,550 MT/day
b)	Assuming life of sanitary landfill	20 years	15 years	15 years
c)	Total waste generated	=0.5(6000+15000)x365x20 = 76.65 x 10^6 MT	=0.5(15000+18000)x365x15 = 90.34 x 10^6 MT	=0.5(18000+20550)x365x15 = 105.53x 10^6 MT
d)	Total waste volume (assumed density 0.85 MT/m ³)	=76.65 x 10^6 /0.85 = 90.18 x 10^6 m ³	=90.34 x 10^6 /0.85 = 106.28 x 10^6 m ³	=105.53 x 10^6 /0.85 = 124.15 x 10^6 m ³
e)	Volume of daily cover	=0.1 x 90.18 x 10^6 = 9.02 x 10^6 m ³	=0.1 x 106.28 x 10^6 = 10.63 x 10^6 m ³	=0.1 x 124.15 x 10^6 = 12.42 x 10^6 m ³
f)	Volume of liner and cover system	0.125 x 90.18 x 10^6 = 11.27 x 10^6 m ³	0.125 x 106.28 x 10^6 = 13.29 x 10^6 m ³	0.125 x 124.15 x 10^6 = 15.52 x 10^6 m ³
g)	First Estimate of volume requirement of waste, liner and cover systems (d)+(e)+(f)	(90.18+9.02+11.27) x 10^6 = 110.47 x 10^6 m ³	(106.28+10.63+13.29) x 10^6 = 130.20 x 10^6 m ³	(124.15+12.42+15.52) x 10^6 = 152.09 x 10^6 m ³
h)	Likely shape of landfill (Partly below and partly above ground)	Rectangular in plan Length: Width = 2:1	Rectangular in plan Length: Width = 2:1	Rectangular in plan Length: Width = 2:1
i)	Area restriction	Nil	Nil	Nil
j)	Possible maximum height	10 metres (half below ground and half above ground)	10 metres (half below ground and half above ground)	10 metres (half below ground and half above ground)
k)	Area required	=110.47 x 10^6 /10 m ² = 11.05 sq kms	=130.20 x 10^6 /10 m ² = 13.02 sq kms	=152.09 x 10^6 /10 m ² = 15.21 sq kms
l)	Area will be	3.7 sq kms (Assuming 3 different locations)	3.26 sq kms (Assuming 4 different locations)	3.80 sq kms (Assuming 4 different locations)
	Approximate Dimension of each	2.7 km x 1.4 km (2700 m x 1400 m)	2.5 km x 1.3 km (2500 m x 1300 m)	2.7 km x 1.4 km (2700 m x 1400 m)
m)	Additional 30 metres land will be required around the landfill to place the equipments around landfill sites			
n)	As per Schedule III, para 10 of Notification No. 583 dated 27.09.1999 of MOE&F, a 500 metres wide buffer zone of no development be maintained around landfill site and shall be incorporated in the town planning departments land use plans.			
o)	Approximate dimension of each site incorporating para (m&n)	3760 m x 2460 m	3560 m x 2360 m	3760 m x 2460 m
p)	Total area required for sanitary landfill site for NCT-Delhi up to the year 2021 assuming 100% garbage will go to landfill site	3760 m x 2460 m x 3 = 3.76 km x 2.46 km x 3 = 27.75 sq kms	3560 m x 2360 m x 4 = 3.56 km x 2.36 km x 4 = 33.61 sq kms	3760 m x 2460 m x 4 = 3.76 km x 2.46 km x 4 = 37 sq kms

Note:

- * As the projection was not available, it has been worked out on the basis of assumption for the mid value
- 1. Land requirement for disposal of solid wastes, which will be generated in NCT-Delhi up to the year 2051, through sanitary land filling is 100 sq kms assuming 100% disposal through landfill.
- 2. Assumptions for calculation of land requirement:
 - (i) Density of solid waste=0.85MT/m³.
 - (ii) Maximum height/depth of filling proposed is 10 metres on the basis of half below ground and half above ground and likely shape of landfill will be rectangular.
 - (iii) Three different locations have been proposed for sanitary landfill sites during the period 2001-2021, four locations for 2022-2035 and four locations for 2036-2051.
 - (iv) All solid waste will be disposed off through sanitary landfill.
- 3. Land area requirement will reduce if only 50% waste is disposed off through sanitary landfill and change in height/depth of filling. Land requirement will be 15.7 sq kms up to the year 2021 in case 50% waste is disposed off through sanitary landfill. In addition to this, if depth/height of filling is increased to 20 metres, the land requirement up to the year 2021 will be 7.35 sq kms.

अनुलग्नक 4/III

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों/नगरों की जनसंख्या, 1981-2001 तथा वर्ष 2011 और 2021 के लिए पूर्वानुमान

क्र.सं.	उप-क्षेत्र/शहर/नगर	श्रेणी	नगरीय स्थिति 2001	जनसंख्या			दशक वृद्धि		धातीय पद्धति		वार्टस फार्मूला		अनुपात पद्धति	
				1981	1991	2001	1981-1991	1991-2001	2011	2021	2011	2021	2011	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	हरियाणा													
1	<u>पानीपत जिला</u>													
1	पानीपत	I	यू.ए.	1,37,927	1,91,212	3,54,148	38.63	85.21	4,96,231	6,95,318	6,10,521	9,26,928	5,34,121	7,02,929
2	समालखा	III	एम.सी.	13,532	18,384	29,866	35.86	62.46	40,149	53,973	47,932	70,229	45,043	59,279
3	आसन खुर्द	V	सी.टी.	-	-	8,066	-	-	-	-	-	-	12,165	16,010
2	<u>सोनीपत जिला</u>													
4	सोनीपत	I	यू.ए.	1,09,369	1,43,922	2,25,074	31.59	56.39	2,99,243	3,97,852	3,52,763	5,10,353	3,39,453	4,46,737
5	गोहाना	III	एम.सी.	26,188	32,496	48,532	24.09	49.35	63,703	83,616	73,764	1,04,904	73,195	96,328
6	गनौर	IV	एम.सी.	16,489	20,952	29,006	27.07	38.44	37,324	48,028	41,679	57,319	43,746	57,572
7	खरखोदा	V	एम.सी.	9,279	13,151	18,763	41.73	42.67	24,331	31,551	27,593	38,491	28,298	37,242
3	<u>रोहतक जिला</u>													
8	रोहतक	I	यू.ए.	1,66,767	2,16,096	2,94,577	29.58	36.32	3,77,593	4,84,003	4,18,064	5,70,467	4,44,277	5,84,689
9	मेहम	IV	एम.सी.	11,722	15,083	18,174	28.67	20.49	22,634	28,188	23,038	29,040	27,410	36,073
10	कालनौर	IV	एम.सी.	12,380	14,524	16,853	17.32	16.04	20,819	25,718	20,518	25,040	25,417	33,451
4	<u>झज्जर जिला</u>													
11	बहादुरगढ़	I	यू.ए.	37,488	57,235	1,26,746	52.68	121.45	1,89,712	2,83,960	2,36,119	3,71,103	1,91,156	2,51,571
12	झज्जर	III	एम.सी.	24,247	27,693	39,002	14.21	40.84	50,406	65,146	56,796	78,757	58,822	77,413
13	बेरी	IV	एम.सी.	13,490	14,508	16,162	7.55	11.40	19,798	24,251	18,765	21,976	24,375	32,079
14	लंगावन	V	सी.टी.		-	8,008	-	-	-	-	-	-	12,078	15,895
15	संखोल	V	सी.टी.	-	-	5,179	-	-	-	-	-	-	7,811	10,280
5	<u>फरीदाबाद जिला</u>													
16	फरीदाबाद	I	एम.को.	3,30,864	6,17,717	10,55,938	86.70	70.94	14,41,618	19,68,168	17,45,461	25,96,447	15,92,550	20,95,872
17	पलवल	I	एम.सी.एल.	47,328	59,168	1,00,722	25.02	70.23	1,37,333	1,87,250	1,66,106	2,46,800	1,51,907	1,99,917
18	होड़ल	III	एम.सी.	18,740	25,635	38,309	36.79	49.44	50,293	66,025	58,251	82,863	57,777	76,037
19	हाथिन	IV	एम.सी.	6,553	7,863	10,916	19.99	38.83	14,056	18,100	15,720	21,648	16,463	21,667
20	हसनपुर	V	एम.सी.	5,190	7,130	9,090	37.38	27.49	11,466	14,463	12,174	15,980	13,709	18,042
21	तिलपट	V	सी.टी.	-	-	6,369	-	-	-	-	-	-	9,606	12,641
6	<u>गुडगांव जिला</u>													
22	गुडगांव	I	यू.टी.	1,00,877	1,35,884	2,28,820	34.70	68.39	3,10,950	4,22,558	3,75,051	5,55,524	3,45,103	4,54,172
23	सोहना	III	एम.सी.	12,667	16,348	27,520	29.06	68.64	37,483	50,960	45,227	67,019	41,581	54,722

ANNEXURE 4/III

POPULATION OF NCR CITIES/TOWNS, 1981-2001 AND PROJECTIONS FOR THE YEAR 2011 AND 2021

S. No.	Sub-region/City/Town	Class	Civic Status 2001	Population			Decadal Growth		Exponential Method		Water's Formula		Ratio Method		
				1981	1991	2001	1981-1991	1991-2001	2011	2021	2011	2021	2011	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	Haryana														
1	<u>Panipat district</u>														
1	Panipat	I	UA	1,37,927	1,91,212	3,54,148	38.63	85.21	4,96,231	6,95,318	6,10,521	9,26,928	5,34,121	7,02,929	
2	Samalkha	III	MC	13,532	18,384	29,866	35.86	62.46	40,149	53,973	47,932	70,229	45,043	59,279	
3	Asan Khurd	V	CT	-	-	8,066	-	-	-	-	-	-	12,165	16,010	
2	<u>Sonepat district</u>														
4	Sonepat	I	UA	1,09,369	1,43,922	2,25,074	31.59	56.39	2,99,243	3,97,852	3,52,763	5,10,353	3,39,453	4,46,737	
5	Gohana	III	MC	26,188	32,496	48,532	24.09	49.35	63,703	83,616	73,764	1,04,904	73,195	96,328	
6	Ganaur	IV	MC	16,489	20,952	29,006	27.07	38.44	37,324	48,028	41,679	57,319	43,746	57,572	
7	Kharkhoda	V	MC	9,279	13,151	18,763	41.73	42.67	24,331	31,551	27,593	38,491	28,298	37,242	
3	<u>Rohtak district</u>														
8	Rohtak	I	UA	1,66,767	2,16,096	2,94,577	29.58	36.32	3,77,593	4,84,003	4,18,064	5,70,467	4,44,277	5,84,689	
9	Maham	IV	MC	11,722	15,083	18,174	28.67	20.49	22,634	28,188	23,038	29,040	27,410	36,073	
10	Kalanaur	IV	MC	12,380	14,524	16,853	17.32	16.04	20,819	25,718	20,518	25,040	25,417	33,451	
4	<u>Jhajjar district</u>														
11	Bahadurgarh	I	UA	37,488	57,235	1,26,746	52.68	121.45	1,89,712	2,83,960	2,36,119	3,71,103	1,91,156	2,51,571	
12	Jhajjar	III	MC	24,247	27,693	39,002	14.21	40.84	50,406	65,146	56,796	78,757	58,822	77,413	
13	Beri	IV	MC	13,490	14,508	16,162	7.55	11.40	19,798	24,251	18,765	21,976	24,375	32,079	
14	Ladrawan	V	CT	-	-	8,008	-	-	-	-	-	-	12,078	15,895	
15	Sankhol	V	CT	-	-	5,179	-	-	-	-	-	-	7,811	10,280	
5	<u>Faridabad district</u>														
16	Faridabad	I	M. Corp	330,864	617,717	1,055,938	86.70	70.94	14,41,618	19,68,168	17,45,461	25,96,447	15,92,550	20,95,872	
17	Palwal	I	MCI	47,328	59,168	100,722	25.02	70.23	1,37,333	1,87,250	1,66,106	2,46,800	1,51,907	1,99,917	
18	Hodal	III	MC	18,740	25,635	38,309	36.79	49.44	50,293	66,025	58,251	82,863	57,777	76,037	
19	Hathin	IV	MC	6,553	7,863	10,916	19.99	38.83	14,056	18,100	15,720	21,648	16,463	21,667	
20	Hasanpur	V	MC	5,190	7,130	9,090	37.38	27.49	11,466	14,463	12,174	15,980	13,709	18,042	
21	Tilpat	V	CT	-	-	6,369	-	-	-	-	-	-	9,606	12,641	
6	<u>Gurgaon district</u>														
22	Gurgaon	I	UA	1,00,877	1,35,884	2,28,820	34.70	68.39	3,10,950	4,22,558	3,75,051	5,55,524	3,45,103	4,54,172	
23	Sohna	III	MC	12,667	16,348	27,570	29.06	68.64	37,483	50,960	45,227	67,019	41,581	54,722	

क्र.सं.	उप-क्षेत्र/शहर/नगर	प्रेणी	नगरीय स्थिति 2001	जनसंख्या			दशक वृद्धि		धारीय पद्धति		वार्टस फार्मला		अनुपात पद्धति	
				1981	1991	2001	1981-1991	1991-2001	2011	2021	2011	2021	2011	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	फिरोजपुर डिरका	IV	एम.सी.	9,400	12,413	17,755	32.05	43.04	23,039	29,895	26,160	36,534	26,778	35,241
25	ताओरु	IV	एम.सी.	6,912	12,534	17,328	81.34	38.25	22,289	28,672	24,871	34,181	26,134	34,393
26	हेली मंडी	IV	एम.सी.	10,140	13,263	17,081	30.80	28.79	21,596	27,305	23,088	30,503	25,761	33,903
27	पटोदी	IV	एम.सी.	8,422	11,278	16,085	33.91	42.62	20,856	27,042	23,649	32,983	24,259	31,926
28	युनहाना	IV	एम.सी.	4,325	8,697	13,179	101.09	51.54	17,368	22,888	20,231	28,935	19,876	26,158
29	तुह	IV	एम.सी.	5,992	7,492	11,039	25.03	47.34	14,437	18,881	16,620	23,508	16,649	21,911
30	दुंदाहेड़ा	IV	सी.टी.	4,604	6,767	10,626	46.98	57.03	14,144	18,827	16,698	24,192	16,026	21,091
31	फारलकनगर	V	एम.सी.	6,367	8,046	9,521	26.37	18.33	11,811	14,651	11,842	14,706	14,359	18,898
7	<u>रेवाड़ी जिला</u>													
32	रेवाड़ी	I	एम.सी.एल.	51,562	75,342	1,00,684	46.12	33.64	1,28,429	1,63,820	1,40,559	1,89,771	1,51,850	1,99,842
33	धारहेड़ा	IV	एम.सी.एल.	5,266	10,848	18,892	106.00	74.15	25,944	35,627	31,549	47,170	28,493	37,498
34	बावल	IV	सी.टी.	7,760	9,010	12,144	16.11	34.78	15,523	19,842	17,075	23,161	18,315	24,104
35	रेवाड़ी (ग्रामीण)	VI	सी.टी.	-	-	4,454	-	-	-	-	-	-	6,717	8,840
II	<u>राजस्थान</u>													
1	अलवर जिला													
36	अलवर	I	यू.ए.	145,795	210,146	2,66,203	44.14	26.68	3,35,282	4,22,288	3,35,959	4,36,259	3,49,426	4,43,422
37	भिवाड़ी	III	सी.टी.	1,729	15,285	33,877	784.04	121.64	50,724	75,949	57,013	90,278	44,468	56,430
38	खेरथल	III	एम.	15,962	22,741	32,005	42.47	40.74	41,356	53,439	43,533	60,108	42,011	53,312
39	राजगढ़	III	एम.	-	20,223	25,009	-	23.67	31,327	39,240	30,965	39,528	32,828	41,658
40	बेहरोर	III	एम.	1,085	16,238	22,856	1,396.59	40.76	29,535	38,166	31,091	42,933	30,001	38,072
41	तिजारा	IV	एम.	12,199	15,399	19,921	26.23	29.37	25,214	31,913	25,548	33,639	26,149	33,183
42	खेरली	IV	एम.	-	12,263	15,506	-	26.45	19,522	24,577	19,542	25,344	20,354	25,829
43	गोविंदगढ़	IV	सी.टी.	-	7,991	10,089	-	26.25	12,697	15,980	12,700	16,454	13,243	16,806
44	किशनगढ़	V	सी.टी.	-	-	9,473	-	-	-	-	-	-	12,435	15,779
III	<u>उत्तर प्रदेश</u>													
1	<u>मेरठ जिला</u>													
45	मेरठ	I	यू.ए.	5,36,615	849,799	11,61,716	58.36	36.70	14,90,153	19,11,444	15,17,842	20,87,016	14,53,500	18,23,742
46	मवाना	II	एम.बी.	37,620	51,701	69,191	37.43	33.83	88,289	1,12,658	89,160	121,075	86,569	1,08,621
47	सरधाना	III	एम.बी.	30,138	42,980	48,314	42.61	12.41	59,291	72,762	54,404	64,137	60,449	75,847
48	कियोर	III	एन.बी.	13,791	19,270	23,614	39.73	22.54	29,519	36,900	28,574	36,500	29,545	37,071
49	हसतिनापुर	III	एन.पी.	11,637	15,081	21,249	29.60	40.90	27,465	35,501	28,291	39,546	26,586	33,358
50	सेवाल खास	IV	एन.पी.	10,278	14,402	18,451	40.12	28.11	23,300	29,423	23,074	30,462	23,085	28,966
51	लावर	IV	एन.पी.	11,535	14,471	18,035	25.45	24.63	22,631	28,397	22,104	28,608	22,565	28,313
52	परिक्षितगढ़	IV	एन.पी.	11,328	13,677	17,369	20.74	26.99	21,889	27,585	21,584	28,321	21,732	27,267
53	फलौदा	IV	एन.पी.	10,357	13,970	17,206	34.88	23.16	21,533	26,948	20,901	26,806	21,528	27,011
54	करनावल	IV	एन.पी.	9,895	11,047	12,609	11.64	14.14	15,528	19,109	14,392	17,243	15,776	19,794
55	खरखोदा	IV	एन.पी.	8,708	10,550	12,593	21.15	19.36	15,651	19,452	14,926	18,654	15,756	19,769

S. No.	Sub-region/City/Town	Class	Civic Status 2001	Population			Decadal Growth		Exponential Method		Water's Formula		Ratio Method	
				1981	1991	2001	1981-1991	1991-2001	2011	2021	2011	2021	2011	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	Firozepur Jhirka	IV	MC	9,400	12,413	17,755	32.05	43.04	23,039	29,895	26,160	36,534	26,778	35,241
25	Taoru	IV	MC	6,912	12,534	17,328	81.34	38.25	22,289	28,672	24,871	34,181	26,134	34,393
26	Hailiey Mandi	IV	MC	10,140	13,263	17,081	30.80	28.79	21,596	27,305	23,088	30,503	25,761	33,903
27	Pataudi	IV	MC	8,422	11,278	16,085	33.91	42.62	20,856	27,042	23,649	32,983	24,259	31,926
28	Punhana	IV	MC	4,325	8,697	13,179	101.09	51.54	17,368	22,888	20,231	28,935	19,876	26,158
29	Nuh	IV	MC	5,992	7,492	11,039	25.03	47.34	14,437	18,881	16,620	23,508	16,649	21,911
30	Dundahera	IV	CT	4,604	6,767	10,626	46.98	57.03	14,144	18,827	16,698	24,192	16,026	21,091
31	Farukknagar	V	MC	6,367	8,046	9,521	26.37	18.33	11,811	14,651	11,842	14,706	14,359	18,898
7	<u>Rewari district</u>													
32	Rewari	I	MCl	51,562	75,342	1,00,684	46.12	33.64	1,28,429	1,63,820	1,40,559	1,89,771	1,51,850	1,99,842
33	Dharuhera	IV	MCl	5,266	10,848	18,892	106.00	74.15	25,944	35,627	31,549	47,170	28,493	37,498
34	Bawal	IV	CT	7,760	9,010	12,144	16.11	34.78	15,523	19,842	17,075	23,161	18,315	24,104
35	Rewari (Rural)	VI	CT	-	-	4,454	-	-	-	-	-	-	6,717	8,840
II	Rajasthan													
1	<u>Alwar district</u>													
36	Alwar	I	UA	1,45,795	2,10,146	2,66,203	44.14	26.68	3,35,282	4,22,288	3,35,959	4,36,259	3,49,426	4,43,422
37	Bhiwadi	III	CT	1,729	15,285	33,877	784.04	121.64	50,724	75,949	57,013	90,278	44,468	56,430
38	Khairthal	III	M	15,962	22,741	32,005	42.47	40.74	41,356	53,439	43,533	60,108	42,011	53,312
39	Rajgarh	III	M	-	20,223	25,009	-	23.67	31,327	39,240	30,965	39,528	32,828	41,658
40	Behror	III	M	1,085	16,238	22,856	1,396.59	40.76	29,535	38,166	31,091	42,933	30,001	38,072
41	Tijara	IV	M	12,199	15,399	19,921	26.23	29.37	25,214	31,913	25,548	33,639	26,149	33,183
42	Kherli	IV	M	-	12,263	15,506	-	26.45	19,522	24,577	19,542	25,344	20,354	25,829
43	Govindgarh	IV	CT	-	7,991	10,089	-	26.25	12,697	15,980	12,700	16,454	13,243	16,806
44	Kishangarh	V	CT	-	-	9,473	-	-	-	-	-	-	12,435	15,779
III	Uttar Pradesh													
1	<u>Meerut district</u>													
45	Meerut	I	UA	5,36,615	8,49,799	11,61,716	58.36	36.70	14,90,153	19,11,444	15,17,842	20,87,016	14,53,500	18,23,742
46	Mawana	II	MB	37,620	51,701	69,191	37.43	33.83	88,289	1,12,658	89,160	1,21,075	86,569	1,08,621
47	Sardhana	III	MB	30,138	42,980	48,314	42.61	12.41	59,291	72,762	54,404	64,137	60,449	75,847
48	Kithaur	III	NP	13,791	19,270	23,614	39.73	22.54	29,519	36,900	28,574	36,500	29,545	37,071
49	Hastinapur	III	NP	11,637	15,081	21,249	29.60	40.90	27,465	35,501	28,291	39,546	26,586	33,358
50	Sewal Khas	IV	NP	10,278	14,402	18,451	40.12	28.11	23,300	29,423	23,074	30,462	23,085	28,966
51	Lawar	IV	NP	11,535	14,471	18,035	25.45	24.63	22,631	28,397	22,104	28,608	22,565	28,313
52	Parikshitgarh	IV	NP	11,328	13,677	17,369	20.74	26.99	21,889	27,585	21,584	28,321	21,732	27,267
53	Phalauda	IV	NP	10,357	13,970	17,206	34.88	23.16	21,533	26,948	20,901	26,806	21,528	27,011
54	Karnawal	IV	NP	9,895	11,047	12,609	11.64	14.14	15,523	19,109	14,392	17,243	15,776	19,794
55	Kharkhoda	IV	NP	8,708	10,550	12,593	21.15	19.36	15,651	19,452	14,926	18,654	15,756	19,769

क्र.सं.	उप-क्षेत्र/शहर/नगर	श्रेणी	नगरीय स्थिति 2001	जनसंख्या			दशक वृद्धि		धातीय पद्धति		वार्टस फार्मूला		अनुपात पद्धति	
				1981	1991	2001	1981-1991	1991-2001	2011	2021	2011	2021	2011	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	दोराला	IV	एन.पी.	9,146	10,025	10,685	9.61	6.58	12,974	15,754	11,439	12,643	13,369	16,774
57	बेहसुमा	IV	एन.पी.	7,906	9,060	10,561	14.60	16.57	13,059	16,148	12,275	15,014	13,214	16,579
58	अमीनगर उर्फ मुरबारल	V	सी.टी.	-	-	5,500	-	-	-	-	-	-	6,881	8,634
59	मोहिउद्दीनपुर	V	सी.टी.	-	-	4,850	-	-	-	-	-	-	6,118	7,677
2	<u>बागपत जिला</u>													
60	बरौत	II	एम.बी.	46,292	67,705	85,078	46.26	26.59	1,07,932	1,35,920	1,06,263	1,39,114	107,235	1,34,550
61	खेकड़ा	III	एन.पी.	24,984	35,191	40,335	40.85	14.62	49,698	61,235	46,208	55,595	50,466	63,321
62	बागपत	III	एम.बी.	17,157	24,939	36,384	45.36	45.89	47,458	61,902	49,451	70,336	45,522	57,118
63	छपरीली	IV	एन.पी.	13,805	16,008	17,798	15.96	11.18	21,793	26,684	19,842	23,108	22,268	27,941
64	टिकरी	IV	एन.पी.	11,315	12,784	13,427	12.98	5.03	16,258	19,685	14,161	15,334	16,799	21,079
65	दोघाट	IV	एन.पी.	10,019	12,310	13,263	22.87	7.74	16,139	19,637	14,351	16,090	16,594	20,821
66	अग्रवाल मंडी	IV	एन.पी.	9,353	10,871	12,405	16.23	14.11	15,271	18,798	14,156	16,956	15,521	19,474
67	अमीनगर सराय	IV	एन.पी.	6,837	8,274	10,112	21.02	22.21	12,633	15,782	12,211	15,564	12,652	15,875
3	<u>गाजियाबाद जिला</u>													
68	गाजियाबाद	I	एम.को.	2,87,170	5,11,759	9,68,256	78.21	89.20	13,66,611	19,28,856	14,89,453	23,22,451	12,11,449	15,20,035
69	हापुड़	I	एम.बी.	1,02,837	1,46,262	2,11,983	42.23	44.93	2,76,020	3,59,402	2,87,019	4,06,944	2,65,226	3,32,786
70	लोनी	I	एन.पी.	10,259	36,561	1,20,945	256.38	230.80	2,20,926	4,03,558	2,17,289	3,71,270	1,51,322	1,89,868
71	मोदीनगर	I	ग्र.ए.	87,665	1,23,279	1,39,929	40.63	13.51	1,72,063	2,11,578	1,58,939	1,89,321	1,75,074	2,19,670
72	बेहता हाजीपुर	II	सी.टी.	4,058	30,360	94928	648.15	210.60	1,66,028	2,92,320	1,67,298	283,970	1,17,982	1,48,036
73	मुरादनगर	II	एम.बी.	26,047	44,395	74,151	70.44	67.03	1,00,515	1,36,253	1,08,124	1,62,422	92,775	1,16,407
74	पिलखुआ	II	एम.बी.	37,884	50,162	66,907	32.41	33.38	85,305	1,08,762	86,025	1,16,581	83,712	1,05,035
75	धरोटी खुर्द	III	सी.टी.	-	-	34,044	-	-	-	-	-	-	42,595	53,445
76	गढ़मुक्तेश्वर	III	एम.बी.	17,914	25,241	33,847	40.90	34.10	43,210	55,164	43,673	59,377	42,348	53,135
77	दासना	III	एन.पी.	13,037	16,963	24,434	30.11	44.04	31,764	41,292	32,964	46,597	30,571	38,358
78	फरीदनगर	IV	एन.पी.	9,116	10,940	11,272	20.01	3.03	13,599	16,406	11,651	12,257	14,103	17,696
79	ओ.एफ. मुरादनगर	IV	सी.टी.	9,026	12,792	10,756	41.72	-15.92	12,536	14,611	8,431	4,716	13,458	16,886
80	निवारी	V	एन.पी.	7,078	8,841	9,921	24.91	12.22	12,171	14,931	11,154	13,125	12,413	15,575
81	पाटला	V	एन.पी.	7,847	9,181	9,733	17.00	6.01	11,806	14,320	10,363	11,371	12,178	15,280
82	बाबुगढ़	V	एन.पी.	2,389	3,581	5,939	49.90	65.85	8,033	10,866	8,631	12,934	7,431	9,323
4	<u>गोतम बुद्ध नगर जिला</u>													
83	नोएडा	I	सी.टी.	37,000	1,46,514	3,05,058	295.98	108.21	4,45,731	6,51,274	4,86,073	7,75,378	3,81,678	4,78,901
84	दादरी	II	एम.बी.	19,723	32,883	57,416	66.72	74.61	78,912	1,08,456	85,426	1,30,193	71,837	90,136
85	जेवर	III	एन.पी.	15,275	21,376	27,016	39.94	26.38	34,009	42,811	33,455	43,747	33,802	42,412
86	राबुपुरा	IV	एन.पी.	8,999	10,769	13,046	19.67	21.14	16,267	20,283	15,646	19,801	16,323	20,481
87	दनकौर	IV	सी.टी.	7,935	9,531	11,999	20.11	25.89	15,091	18,980	14,817	19,320	15,013	18,837
88	सलारपुर खादर	IV	सी.टी.	-	-	10,750	-	-	-	-	-	-	13,450	16,876
89	जहांगीरपुर	V	एन.पी.	6,447	8,206	9,510	27.28	15.89	11,745	14,505	10,999	13,378	11,899	14,929

S. No.	Sub-region/City/Town	Class	Civic Status 2001	Population			Decadal Growth		Exponential Method		Water's Formula		Ratio Method	
				1981 5	1991 6	2001 7	1981-1991 8	1991-2001 9	2011 10	2021 11	2011 12	2021 13	2011 14	2021 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	Daurala	IV	NP	9,146	10,025	10,685	9.61	6.58	12,974	15,754	11,439	12,643	13,369	16,774
57	Behsuma	IV	NP	7,906	9,060	10,561	14.60	16.57	13,059	16,148	12,275	15,014	13,214	16,579
58	<i>Aminagar urf Bhurbaral</i>	V	CT	-	-	5,500	-	-	-	-	-	-	6,881	8,634
59	<i>Mohiuddinpur</i>	V	CT	-	-	4,890	-	-	-	-	-	-	6,118	7,677
2	<u>Baghpat district</u>													
60	Baraut	II	MB	46,292	67,705	85,708	46.26	26.59	1,07,932	1,35,920	1,06,263	1,39,114	1,07,235	1,34,550
61	Khekada	III	NP	24,984	35,191	40,335	40.85	14.62	49,698	61,235	46,208	55,595	50,466	63,321
62	Baghpat	III	MB	17,157	24,939	36,384	45.36	45.89	47,458	61,902	49,451	70,336	45,522	57,118
63	Chhaprauli	IV	NP	13,805	16,008	17,798	15.96	11.18	21,793	26,684	19,842	23,108	22,268	27,941
64	Tikri	IV	NP	11,315	12,784	13,427	12.98	5.03	16,258	19,685	14,161	15,334	16,799	21,079
65	Doghat	IV	NP	10,019	12,310	13,263	22.87	7.74	16,139	19,637	14,351	16,090	16,594	20,821
66	Aggarwal Mandi	IV	NP	9,353	10,871	12,405	16.23	14.11	15,271	18,798	14,156	16,956	15,521	19,474
67	Aminagar Sarai	IV	NP	6,837	8,274	10,112	21.02	22.21	12,633	15,782	12,211	15,564	12,652	15,875
3	<u>Ghaziabad district</u>													
68	Ghaziabad	I	M Corp	2,87,170	5,11,759	9,68,256	78.21	89.20	13,66,611	19,28,856	14,89,453	23,22,451	12,11,449	15,20,035
69	Hapur	I	MB	1,02,837	1,46,262	2,11,983	42.23	44.93	2,76,020	3,59,402	2,87,019	4,06,944	2,65,226	3,32,786
70	Loni	I	NP	10,259	36,561	1,20,945	256.38	230.80	2,20,926	4,03,558	2,17,289	3,71,270	1,51,322	1,89,868
71	Modinagar	I	UA	87,665	1,23,279	1,39,929	40.63	13.51	1,72,063	2,11,578	1,58,939	1,89,321	1,75,074	2,19,670
72	Behta Hajipur	II	CT	4,058	30,360	94,298	648.15	210.60	1,66,028	2,92,320	1,67,298	2,83,970	1,17,982	1,48,036
73	Muradnagar	II	MB	26,047	44,395	74,151	70.44	67.03	1,00,515	1,36,253	1,08,124	1,62,422	92,775	1,16,407
74	Pilkhuwa	II	MB	37,884	50,162	66,907	32.41	33.38	85,305	1,08,762	86,025	1,16,581	83,712	1,05,035
75	<i>Dharoti Khurd</i>	III	CT	-	-	34,044			-	-	-	-	42,595	53,445
76	Garhmukteshwar	III	MB	17,914	25,241	33,847	40.90	34.10	43,210	55,164	43,673	59,377	42,348	53,135
77	Dasna	III	NP	13,037	16,963	24,434	30.11	44.04	31,764	41,292	32,964	46,597	30,571	38,358
78	Faridnagar	IV	NP	9,116	10,940	11,272	20.01	3.03	13,599	16,406	11,651	12,257	14,103	17,696
79	Ordi. Fact. Muradnagar	IV	CT	9,026	12,792	10,756	41.72	-15.92	12,536	14,611	8,431	4,716	13,458	16,886
80	Niwari	V	NP	7,078	8,841	9,921	24.91	12.22	12,171	14,931	11,154	13,125	12,413	15,575
81	Patala	V	NP	7,847	9,181	9,733	17.00	6.01	11,806	14,320	10,363	11,371	12,178	15,280
82	Babugarh	V	NP	2,389	3,581	5,939	49.90	65.85	8,033	10,866	8,631	12,934	7,431	9,323
4	<u>Gautam Buddh Nagar district</u>													
83	NOIDA	I	CT	37,000	1,46,514	3,05,058	295.98	108.21	4,45,731	6,51,274	4,86,073	7,75,378	3,81,678	4,78,901
84	Dadri	II	MB	19,723	32,883	57,416	66.72	74.61	78,912	108,456	85,426	130,193	71,837	90,136
85	Jewar	III	NP	15,275	21,376	27,016	39.94	26.38	34,009	42,811	33,455	43,747	33,802	42,412
86	Rabupura	IV	NP	8,999	10,769	13,046	19.67	21.14	16,267	20,283	15,646	19,801	16,323	20,481
87	Dankaur	IV	CT	7,935	9,531	11,999	20.11	25.89	15,091	18,980	14,817	19,320	15,013	18,837
88	<i>Salarpur Khadar</i>	IV	CT	-	-	10,750	-	-	-	-	-	-	13,450	16,876
89	Jahangirpur	V	NP	6,447	8,206	9,510	27.28	15.89	11,745	14,505	10,999	13,378	11,899	14,929

क्र.सं.	उप-क्षेत्र/शहर/नगर	श्रेणी	नगरीय स्थिति 2001	जनसंख्या			दशक वृद्धि		धातीय पद्धति		वार्टस फार्मूला		अनुपात पद्धति	
				1981	1991	2001	1981-1991	1991-2001	2011	2021	2011	2021	2011	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	बिलासपुर	V	एन.पी.	4,661	6,127	7,481	31.45	22.10	9,344	11,671	9,027	11,498	9,360	11,744
91	ककोड	V	एन.पी.	4,299	5,838	7,139	35.80	22.29	8,920	11,145	8,624	10,998	8,932	11,207
5	बुलंदशहर ज़िला													
92	बुलंदशहर	I	एम.बी.	1,03,436	127,201	1,76,425	22.98	38.70	2,27,126	2,92,398	2,32,626	3,22,448	2,20,737	2,76,964
93	खुर्जा	II	एम.बी.	67,119	80,305	98,610	19.65	22.79	1,23,324	1,54,233	1,19,509	1,52,912	1,23,377	1,54,805
94	सिकन्दराबाद	II	एम.बी.	43,135	60,992	69,867	41.40	14.55	88,076	1,06,044	80,000	96,195	87,415	1,09,682
95	जहांगीराबाद	II	एम.बी.	29,301	37,981	51,394	29.62	35.32	65,757	84,135	66,708	91,184	64,302	80,682
96	गुलोआटी	III	एम.बी.	24,416	33,982	42,903	39.18	26.25	53,995	67,954	53,088	69,367	53,679	67,352
97	सियाना	III	एम.बी.	22,410	29,888	38,999	33.37	30.48	49,461	62,730	49,401	66,027	48,794	61,223
98	डेबई	III	एम.बी.	22,430	27,721	34,877	23.59	25.81	43,859	55,153	43,047	56,105	43,637	54,752
99	शिकारपुर	III	एम.बी.	21,499	29,197	33,187	35.81	13.67	40,820	50,209	37,743	45,023	41,522	52,099
100	अनुपशहर	III	एम.बी.	15,193	19,684	23,795	29.56	20.88	29,655	36,959	28,489	35,990	29,771	37,355
101	नरौरा	III	एन.पी.	9,573	15,652	20,407	63.50	30.38	25,877	32,812	25,836	34,513	25,533	32,036
102	औरंगाबाद	III	एन.पी.	11,622	15,402	20,097	32.52	30.48	25,488	32,326	25,457	34,025	25,145	31,550
103	पहासु	IV	एन.पी.	9,016	13,127	17,122	45.60	30.43	21,713	27,536	21,683	28,973	21,422	26,879
104	खानपुर	IV	एन.पी.	8,311	11,420	13,761	37.41	20.50	17,138	21,344	16,434	20,706	17,217	21,603
105	बुगरापी	IV	एन.पी.	8,307	11,093	12,789	33.54	15.29	15,777	19,463	14,725	17,820	16,001	20,077
106	छतरी	IV	एन.पी.	5,862	8,202	10,903	39.92	32.93	13,890	17,694	13,987	18,915	13,641	17,116
107	भवन बहादुर नगर	V	एन.पी.	6,779	9,101	9,322	34.25	2.43	11,234	13,538	9,574	9,978	11,663	14,634

स्रोत: 2001-अंतिम जनसंख्या परिणाम, भारत की जनगणना

नोट:

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 97 नगरों के लिए पूर्वनुमान किया गया है।
2. नगरों के नाम तिक्खे में लिखित सूचित करते हैं कि नगर जनगणना 2001 में पहली बार जोड़ा गया है। इनके लिए पूर्वनुमान नहीं किया गया है।
3. नीति ज़िन, जनसांख्यिकीय रूपरेखा और सेटलमेंट पैटर्न के अध्ययन दल द्वारा सुझावित विधि तंत्र के अनुसार पूर्वनुमान किए गए हैं।
4. इन में एन.सी.टी.-दिल्ली सम्मिलित नहीं हैं।

नगरों की आकार श्रेणी

नगरीय स्थिति

श्रेणी-I	1,00,000+	यू.ए.	शहरी समूह
श्रेणी-II	50,000 से 99,999	एम.को.	नगर निगम
श्रेणी-III	20,000 से 49,999	एम.सी.एल.	नगरपालिका परिषद
श्रेणी-IV	10,000 से 19,999	एम.सी.	नगरपालिका समिति
श्रेणी-V	5,000 से 9,999	एम.बी.	नगर पंचायत
		एन.पी.	छावनी बोर्ड
		सी.टी.	जनगणना नगर

S. No.	Sub-region/City/Town	Class	Civic Status 2001	Population			Decadal Growth		Exponential Method		Water's Formula		Ratio Method	
				1981	1991	2001	1981-1991	1991-2001	2011	2021	2011	2021	2011	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	Bilaspur	V	NP	4,661	6,127	7,481	31.45	22.10	9,344	11,671	9,027	11,498	9,360	11,744
91	Kakod	V	NP	4,299	5,838	7,139	35.80	22.29	8,920	11,145	8,624	10,998	8,932	11,207
5	<u>Bulandshahr district</u>													
92	Bulandshahr	I	MB	1,03,436	1,27,201	1,76,425	22.98	38.70	2,27,126	2,92,398	2,32,626	3,22,448	2,20,737	2,76,964
93	Khurja	II	MB	67,119	80,305	98,610	19.65	22.79	1,23,324	1,54,233	1,19,509	1,52,912	1,23,377	1,54,805
94	Sikandarabad	II	MB	43,135	60,992	69,867	41.40	14.55	86,076	106,044	80,000	96,195	87,415	1,09,682
95	Jahangirabad	II	MB	29,301	37,981	51,394	29.62	35.32	65,757	84,135	66,708	91,184	64,302	80,682
96	Guloathii	III	MB	24,416	33,982	42,903	39.18	26.25	53,995	67,954	53,088	69,367	53,679	67,352
97	Siana	III	MB	22,410	29,888	38,999	33.37	30.48	49,461	62,730	49,401	66,027	48,794	61,223
98	Debai	III	MB	22,430	27,721	34,877	23.59	25.81	43,859	55,153	43,047	56,105	43,637	54,752
99	Shikarpur	III	MB	21,499	29,197	33,187	35.81	13.67	40,820	50,209	37,743	45,023	41,522	52,099
100	Anupshahr	III	MB	15,193	19,684	23,795	29.56	20.88	29,655	36,959	28,489	35,990	29,771	37,355
101	Naraura	III	NP	9,573	15,652	20,407	63.50	30.38	25,877	32,812	25,836	34,513	25,533	32,036
102	Aurangabad	III	NP	11,622	15,402	20,097	32.52	30.48	25,488	32,326	25,457	34,025	25,145	31,550
103	Pahasu	IV	NP	9,016	13,127	17,122	45.60	30.43	21,713	27,536	21,683	28,973	21,422	26,879
104	Khanpur	IV	NP	8,311	11,420	13,761	37.41	20.50	17,138	21,344	16,434	20,706	17,217	21,603
105	Bugrasi	IV	NP	8,307	11,093	12,789	33.54	15.29	15,777	19,463	14,725	17,820	16,001	20,077
106	Chhatari	IV	NP	5,862	8,202	10,903	39.92	32.93	13,890	17,694	13,987	18,915	13,641	17,116
107	Bhawan Bahadur Nagar	V	NP	6,779	9,101	9,322	34.25	2.43	11,234	13,538	9,574	9,978	11,663	14,634

Source: Census 2001- Final Population Totals, Census of India

Note:

1) Projections have been made for 97 towns in NCR

2) Town names in italics indicate that the town has been added for the first time in Census 2001. Projections have not been made for these.

3) The projections have been made as per methodology suggested by the Study Group on Policy zones, demographic profile and settlement pattern.

4) This does not include NCT-Delhi

Size Class of Towns	Civic Status
Class-I 1,00,000 +	UA Urban Agglomeration
Class-II 50,000 to 99,999	M Corp Municipal Corporation
Class-III 20,000 to 49,999	M Cl Municipal Council
Class-IV 10,000 to 19,999	MC Municipal Committee
Class-V 5,000 to 9,999	MB Municipal Board
	NP Nagar Panchayat
	CB Cantonment Board
	CT Census Town

अ) चयनित स्थलों पर वर्गीकृत यातायात मात्रा गणना (1999)

विवरण	मोटर रहित वाहन	मोटर साइकिल	ऑटो रिक्षा	यात्री कार	बस	ट्रक	उप-योग	मोटरयुक्त वाहन
1	2	3	4	5	6	7	(5-7)=8	(3-7)=9
दिल्ली की परिसीमा रा.रा.2	5,636	10,504	392	20,077	1,408	8,211	29,696	40,592
दिल्ली की परिसीमा रा.रा.8	1,733	8,901	175	24,650	2,533	9,441	36,624	45,700
दिल्ली की परिसीमा रा.रा.10	2,965	4,541	746	6,667	863	5,084	12,614	17,901
दिल्ली की परिसीमा रा.रा.1	1,938	3,863	312	12,714	2,305	11,338	26,357	30,532
दिल्ली की परिसीमा राज. मार्ग-57	2,277	1,752	112	1,833	526	3,857	6,216	8,080
हिंडन के ऊपर पुल रा.रा.24	8,085	15,122	8,317	22,578	7,924	15,514	46,016	69,455
हिंडन के ऊपर पुल रा.रा.24 उप-मार्ग	6,670	5,003	1,732	5,807	1,221	2,803	9,831	16,566
गाजियाबाद-मोदीनगर (रा.रा.58)	2,711	4,966	457	8,225	1,920	5,591	15,736	21,159
मोदीनगर-मेरठ (रा.रा.58)	2,135	3,073	578	6,560	2,150	5,057	13,767	17,418
मेरठ-बागपत	866	514	14	492	193	1,029	1,714	2,242
यमुना नदी-वजीरचाबाद पुल	14,657	14,014	2,941	8,274	4,619	9,332	22,225	39,180
यमुना नदी-आई.एस.बी.टी. पुल	14,989	19,673	13,460	21,342	6,853	13,957	42,152	75,249
यमुना नदी-यमुना पुल	30,465	19,054	12,275	8,290	335	1,279	9,904	41,233
यमुना नदी-आई.टी.ओ. पुल	16,097	58,837	16,795	48,361	9,340	2,831	60,532	137,164
यमुना नदी-निजामुदीन पुल	7,477	34,889	6,411	53,011	4,397	7,675	65,083	1,06,383
यमुना नदी-ओखला पुल	4,059	7,448	1,419	11,402	845	5,909	18,156	27,023

ब) प्रातःकाल तथा सांयकाल के चरम समय पर दिशात्मक अनुपातिय प्रवाह

स्थिति	समय	चरम	एन.सी.टी.-दिल्ली में आने वाले का % प्रवाह	एन.सी.टी.-दिल्ली से जाने वाले का % प्रवाह
1	2	3	4	5
गाजियाबाद-मोदीनगर (रा.रा.58)	प्रातःकाल चरम	1030-1130	55.4	44.6
	सांयकाल चरम	1730-1830	46.7	53.4
मोदीनगर-मेरठ (रा.रा.58)	प्रातःकाल चरम	1000-1100	50.3	49.7
	सांयकाल चरम	1215-1315	38.0	62.0
यमुना नदी-वजीरचाबाद पुल	प्रातःकाल चरम	0830-0930	74.2	25.8
	सांयकाल चरम	1730-1830	46.8	53.1
यमुना नदी-आई.एस.बी.टी. पुल	प्रातःकाल चरम	1045-1145	60.3	39.6
	सांयकाल चरम	1530-1630	133.0	67.0
यमुना नदी-यमुनापुल	प्रातःकाल चरम	1000-1100	57.8	42.2
	सांयकाल चरम	1615-1715	55.9	43.9
यमुना नदी-आई.टी.ओ. पुल	प्रातःकाल चरम	0915-1015	66.4	33.6
	सांयकाल चरम	1845-1945	24.7	75.3
यमुना नदी-निजामुदीन पुल	प्रातःकाल चरम	0830-0930	79.3	20.7
	सांयकाल चरम	1745-1845	42.4	57.6
यमुना नदी-ओखला पुल	प्रातःकाल चरम	1030-1130	47.4	52.6
	सांयकाल चरम	1700-1800	43.7	56.3

स्रोत: भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ब्रुतमार्गों के निर्माण पर साध्यता अध्ययन, जे.आई.सी.ए. अध्ययन दल, पैसिफिक कंसल्टेंट इंटरनेशनल, मार्च 2000

ANNEXURE 6/I

A) CLASSIFIED TRAFFIC VOLUME COUNT AT SELECTED POINTS (1999)

Description	Non-Motorized Vehicles 1	Motor Cycles 2	Auto Rickshaw 3	Passenger Car 4	Bus 5	Trucks 6	Sub-Total (5-7)=8	Motorized Vehicles (3-7)=9
Boundary of Delhi NH2	5,636	10,504	392	20,077	1,408	8,211	29,696	40,592
Boundary of Delhi NH8	1,733	8,901	175	24,650	2,533	9,441	36,624	45,700
Boundary of Delhi NH10	2,965	4,541	746	6,667	863	5,084	12,614	17,901
Boundary of Delhi NH1	1,938	3,863	312	12,714	2,305	11,338	26,357	30,532
Boundary of Delhi SH57	2,277	1,752	112	1,833	526	3,857	6,216	8,080
Bridge over Hindon NH24	8,085	15,122	8,317	22,578	7,924	15,514	46,016	69,455
Bridge over Hindon NH24 bypass	6,670	5,003	1,732	5,807	1,221	2,803	9,831	16,566
Ghaziabad-Modinagar (NH58)	2,711	4,966	457	8,225	1,920	5,591	15,736	21,159
Modinagar-Meerut (NH58)	2,135	3,073	578	6,560	2,150	5,057	13,767	17,418
Meerut-Baghpat	866	514	14	492	193	1,029	1,714	2,242
Yamuna river-Wazirabad bridge	14,657	14,014	2,941	8,274	4,619	9,332	22,225	39,180
Yamuna river-ISBT bridge	14,989	19,673	13,460	21,342	6,853	13,957	42,152	75,249
Yamuna river-Yamuna bridge	30,465	19,054	12,275	8,290	335	1,279	9,904	41,233
Yamuna river-ITO bridge	16,097	58,837	16,795	48,361	9,340	2,831	60,532	1,37,164
Yamuna river-Nizamuddin bridge	7,477	34,889	6,411	53,011	4,397	7,675	65,083	1,06,383
Yamuna river-Okhla bridge	4,059	7,448	1,419	11,402	845	5,909	18,156	27,023

B) DIRECTIONAL PROPORTIONS FLOW AT MORNING AND EVENING PEAK HOUR

Location	Time	Peak	%Flow to NCT-D	%Flow from NCT-D
1	2	3	4	5
Ghaziabad-Modinagar (NH58)	Morning Peak	1030-1130	55.4	44.6
	Evening Peak	1730-1830	46.7	53.4
Modinagar-Meerut (NH58)	Morning Peak	1000-1100	50.3	49.7
	Evening Peak	1215-1315	38.0	62.0
Yamuna river-Wazirabad bridge	Morning Peak	0830-0930	74.2	25.8
	Evening Peak	1730-1830	46.8	53.1
Yamuna river-ISBT bridge	Morning Peak	1045-1145	60.3	39.6
	Evening Peak	1530-1630	133.0	67.0
Yamuna river- Yamuna bridge	Morning Peak	1000-1100	57.8	42.2
	Evening Peak	1615-1715	55.9	43.9
Yamuna river-ITO bridge	Morning Peak	0915-1015	66.4	33.6
	Evening Peak	1845-1945	24.7	75.3
Yamuna river-Nizamuddin bridge	Morning Peak	0830-0930	79.3	20.7
	Evening Peak	1745-1845	42.4	57.6
Yamuna river-Okhla bridge	Morning Peak	1030-1130	47.4	52.6
	Evening Peak	1700-1800	43.7	56.3

Source: The Feasibility Study on the construction of Expressways in the National Capital Region in India, JICA Study Team, Pacific Consultants International, March 2000.

अ) उद्गम-गन्तव्य के आधार पर यात्राओं का व्यौरा

	आंतरिक से बाह्य (दिल्ली से रा.स.क्षेत्र)	बाह्य से आंतरिक (रा.स.क्षेत्र से दिल्ली)	बाह्य से बाह्य (दिल्ली के बाहर)	कुल
1	2	3	4	5
यात्राओं की संख्या (लाख)	12.54	14.32	7.34	34.21
कुल का प्रतिशत (%)	36.67	41.86	21.27	100

स्रोत: भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ड्रुतमार्ग के निमाण पर साध्यता अध्ययन, जे.आई.सी.ए. अध्ययन दल, पैसिफिक कंसलटेंट इंटरनेशनल, मार्च 2000

ब) वाहन प्रकार के आधार पर यात्राओं का व्यौरा

	सार्वजनिक वाहन प्रकार	निजी वाहन प्रकार	कुल
1	2	3	4
यात्राओं की संख्या (लाख)	24.47	9.73	31.54
कुल का प्रतिशत (%)	71.54	28.46	100

स्रोत: दिल्ली तथा रा.स.क्ष. हेतु यात्री यातायात के लिए रेल परियोजनाओं की पहचान, मार्च 1999, आर.आई.टी.इ.एस. (राईट्स)

A) BREAK-UP OF TRIPS ON THE BASIS OF THE ORIGIN-DESTINATION

	Internal to External (Delhi to NCR)	External to Internal (NCR to Delhi)	External to External (Outside Delhi)	Total
1	2	3	4	5
Number of Trips (in lakhs)	12.54	14.32	7.34	34.21
Percentage of Total (%)	36.67	41.86	21.27	100.00

Source: *The Feasibility Study on the construction of Expressways in the National Capital Region in India, JICA Study Team, Pacific Consultants International, March 2000.*

B) BREAK-UP OF TRIPS ON THE BASIS OF THE MODE USED

	Public Mode	Private Mode	Total
1	2	3	4
Number of Trips (in lakhs)	24.47	9.73	31.54
Percentage of Total (%)	71.54	28.46	100.00

Source: *Identification of Rail Projects for Commuter Traffic for Delhi and NCR, March 1999, RITES.*

अ) एन.सी.टी.-दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में अभिकल्पिक वर्षों के लिए परिवहन मांग का पूर्वानुमान

क्र.सं.	मद	2005	2011	2025
1	2	3	4	5
1.	अन्तरशहरीय यात्राएं (लाख)	160.40	215.40	260.60
2.	वाहन प्रकारता का विभाजन-सार्वजनिक परिवहन (%)	82.00	82.00	82.00
3.	जन परिवहन यात्राएं (लाख)	131.5	176.60	213.70
	तीव्र जन परिवहन प्रणाली (लाख)	43.20	58.00	71.00
	उत्तर रेलवे (लाख)	14.20	19.00	23.00
	बस (लाख)	74.10	99.60	119.70
4.	चरम समय घटक (%)	10.00	10.00	10.00
5.	चरम दिशा घटक (%)	60.00	60.00	60.00

स्रोत: दिल्ली तथा रा.स.क्ष. हेतु यात्री यातायात के लिए रेल परियोजनाओं की पहचान, मार्च 1999, आर.आई.टी.ई.एस. (राईट्स)

ब) एन.सी.टी.-दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अंतरशहरीय यात्राओं के लिए पूर्वानुमानित यात्रा मांग

वाहन प्रकार	दैनिक वाहन मांग (लाख में)		
	2005	2011	2025
1	2	3	4
रेल	13.11	16.72	34.03
बस	13.77	17.56	35.73
अन्य वाहन प्रकार	5.90	7.52	15.32
कुल	32.78	41.80	85.08

स्रोत: दिल्ली तथा रा.स.क्ष. हेतु यात्री यातायात के लिए रेल परियोजनाओं की पहचान, मार्च 1999, आर.आई.टी.ई.एस. (राईट्स)

A) TRANSPORT DEMAND FORECAST FOR DESIGN YEARS IN URBAN AREAS OF NCT-DELHI

S. No.	Item	2005	2011	2025
1	2	3	4	5
1.	Intra city trips (lakhs)	160.4	215.4	260.6
2.	Modal split-Public transport (%)	82.00	82.00	82.00
3.	Mass transport trips (lakhs)	131.5	176.6	213.7
	MRTS (lakhs)	43.2	58.0	71.0
	NR (lakhs)	14.2	19.0	23.0
	Bus (lakhs)	74.1	99.6	119.7
4.	Peak hour factor (%)	10.00	10.00	10.00
5.	Peak direction factor (%)	60.00	60.00	60.00

Source: Identification of Rail Projects for Commuter Traffic for Delhi and NCR, RITES, March 1999.

B) PROJECTED TRAVEL DEMAND FOR INTERCITY TRIPS IN NCT-DELHI AND NCR

Mode	Daily Transport Demand (in lakhs)		
	2005	2011	2025
1	2	3	4
Rail	13.11	16.72	34.03
Bus	13.77	17.56	35.73
Other modes	5.90	7.52	15.32
Total	32.78	41.80	85.08

Source: Identification of Rail Projects for Commuter Traffic for Delhi and NCR, RITES, March 1999.

अ) एन.सी.टी.-दिल्ली में प्रस्तावित रेल नेटवर्क विकास योजना

क्र.सं.	खंड	प्रस्ताव	
		चरण-I (2011)	चरण-II (2021)
1	2	3	4
1	शाहदरा-साहिबाबाद	समर्पित चौड़े माप की दोहरी लाइन तथा विद्युतकृत (एम.आर.टी.एस. मानदण्डों पर)	-
2	साहिबाबाद-नई दिल्ली रेलवे स्टेशन	समर्पित चौड़े माप की दोहरी लाइन तथा विद्युतकृत	-
3	होलंबी कलां-नरेला	समर्पित चौड़े माप की दोहरी लाइन तथा विद्युतकृत (एम.आर.टी.एस. मानदण्डों पर)	-
4	दयाबस्ती-बिजवासन	समर्पित, विद्युतकृत चौड़े माप की दोहरी लाइन	-
5	तिलक ब्रिज-तुगलकाबाद	समर्पित चौड़े माप की विद्युतकृत दोहरी लाइन	-
6	दक्षिणी रिंग रेल तिलक ब्रिज से दयाबस्ती तक	सुदृढ़ीकरण, एक और लाइन	एक और लाइन (समर्पित)
7	पटेल नगर से शकुरबर्ती	समर्पित चौड़े माप की विद्युतकृत दोहरी लाइन	-
8	बरार चौक से दिल्ली छावनी स्टेशन	समर्पित, विद्युतकृत चौड़े माप की दोहरी लाइन	-
9	तिलक ब्रिज पर टर्मिनल	ई.एम.यू. टर्मिनल	-
10	न्यू तिलक ब्रिज से मध्यूर विहार (एन.सी.टी.-दिल्ली सीमा)-न्यू तिलक ब्रिज का कुछ हिस्सा नोएडा-ग्रेटर नोएडा नई रेल लिंक	समर्पित विद्युतकृत चौड़े माप की दोहरी लाइन	-

ब) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रस्तावित रेल नेटवर्क विकास

क्र.सं.	खंड	प्रस्ताव	
		चरण-I (2011)	चरण-II (2021)
1	2	3	4
1	नरेला-सोनीपत	सुदृढ़ीकरण, समर्पित चौड़े माप की विद्युतकृत दोहरी लाइन	-
2	सोनीपत-पानीपत	सुदृढ़ीकरण, स्वचालित कलर लाइट सिग्नल, एक और चौड़े माप की विद्युतकृत दोहरी लाइन	एक और विद्युतकृत चौड़े माप की लाइन (समर्पित)
3	नांगलोई-बहादुरगढ़	सुदृढ़ीकरण, स्वचालित कलर लाइट सिग्नल और विद्युतीकरण, समर्पित चौड़े माप की विद्युतकृत दोहरी लाइन	-
4	बहादुरगढ़-रोहतक	सुदृढ़ीकरण, स्वचालित कलर लाइट सिग्नल और विद्युतीकरण, एक और चौड़े माप की लाइन	एक और चौड़े माप की लाइन (समर्पित)
5	बिजवासन-गुडगांव	समर्पित, विद्युतकृत चौड़े माप की दोहरी लाइन	-
6	गुडगांव-रेवाड़ी	सुदृढ़ीकरण और विद्युतीकरण, एक चौड़े माप की लाइन	एक और चौड़े माप की लाइन (समर्पित)
7	साहिबाबाद-गाजियाबाद	समर्पित चौड़े माप की विद्युतकृत दोहरी लाइन	-
8	गाजियाबाद-मेरठ	सुदृढ़ीकरण और विद्युतीकरण, एक और चौड़े माप की लाइन	एक और चौड़े माप की लाइन (समर्पित)
9	गाजियाबाद-हापुड़	सुदृढ़ीकरण और विद्युतीकरण	एक और लाइन
10	गाजियाबाद-खुर्जा	सुदृढ़ीकरण	एक और लाइन
11	तिलक ब्रिज-नोएडा	समर्पित चौड़े माप की विद्युतकृत दोहरी लाइन	-
12	नोएडा-दादरी	-	समर्पित चौड़े माप की विद्युतकृत दोहरी लाइन
13	तुगलकाबाद-बल्लभगढ़	समर्पित चौड़े माप की विद्युतकृत दोहरी लाइन (नई रेल लाइन)	-
14	बल्लभगढ़-पलवल	सुदृढ़ीकरण, एक और चौड़े माप की लाइन	एक और चौड़े माप की लाइन (समर्पित)
15	शाहदरा-शामली	सुदृढ़ीकरण	एक और लाइन

स्रोत: दिल्ली तथा रा.ग.क्ष. में यात्रियों के लिए रेल परियोजनाओं की पहचान, मार्च 2000, आर.आई.टी.ई.एस. (राईट्स)

ANNEXURE 6/IV

A) PROPOSED RAIL NETWORK DEVELOPMENT PLAN IN NCT-DELHI

S. No.	Section	Proposals	
		Phase I (2011)	Phase II (2021)
1	2	3	4
1	Shahdara-Sahibabad	Dedicated BG double line and electrified (on MRTS standards)	-
2	Sahibabad-New Delhi railway station	Dedicated BG double line and electrified	-
3	Holambi Kalan-Narela	Dedicated BG double line and electrified (on MRTS standards)	-
4	Dayabasti-Bijwasan	Dedicated, electrified BG double line	-
5	Tilak Bridge-Tughlakabad	Dedicated BG double line electrified	-
6	Southern ring rail from Tilak bridge to Daya Basti	Strengthening, one more line	One more line (dedicated)
7	Patel Nagar to Shakurbasti	Dedicated BG double line electrified	-
8	Brar Square to Delhi Cantonment station	Dedicated, electrified BG double line	-
9	Terminal at Tilak bridge	EMU terminal	-
10	New Tilak bridge to Mayur Vihar (NCT-Delhi border)-part of New Tilak bridge Noida-Greater Noida new rail link	Dedicated, electrified BG double line	

B) PROPOSED RAIL NETWORK DEVELOPMENT PLAN IN NCR

S. No.	Section	Proposals	
		Phase I (2011)	Phase II (2021)
1	2	3	4
1	Narela-Sonepat	Strengthening, dedicated BG double line electrified	-
2	Sonepat-Panipat	Strengthening, automatic colour light signaling, one more BG line electrified	One more electrified BG line (dedicated)
3	Nangaloi-Bahadurgarh	Strengthening, automatic colour light signalling and electrification, dedicated BG double line electrified	-
4	Bahadurgarh-Rohtak	Strengthening, automatic colour light signalling and electrification, one more BG line	One more BG line (dedicated)
5	Bijwasan-Gurgaon	Dedicated, electrified BG double line	-
6	Gurgaon-Rewari	Strengthening and electrification, one more BG line	One more BG line (dedicated)
7	Sahibabad-Ghaziabad	Dedicated BG double line electrified	-
8	Ghaziabad-Meerut	Strengthening and electrification, one more BG line	One more BG line (dedicated)
9	Ghaziabad-Hapur	Strengthening and electrification	One more line
10	Ghaziabad-Khurja	Strengthening	One more line
11	Tilak Bridge-Noida	Dedicated BG double line electrified	-
12	NOIDA-Dadri	-	Dedicated BG double line electrified
13	Tughlakabad-Ballabhgarh	Dedicated BG double line electrified (new rail line)	-
14	Ballabgarh-Palwal	Strengthening, one more BG line	One more BG line (dedicated)
15	Shahdara-Shamli	Strengthening	One more line

Source: Identification of Rail Projects for Commuter Traffic for Delhi and NCR, March 1999, RITES

कार्य योजना और चरणबद्धता-विद्युत

क्र.सं.	नीतियां/प्रस्ताव	विद्युत संयंत्रों की संस्थागत क्षमता में वर्ष 2021 तक 23,345 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न क्षमता संवर्धन की आवश्यकता है जिसके लिए निम्नलिखित सिफारिशों की गई हैं:			
		10वीं योजना (2002-2007)	11वीं योजना (2007-2012)	12वीं योजना (2012-2017)	13वीं योजना (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
1.	<p>भागी मांग और विद्युत का संवर्धन: विद्युत संयंत्रों की संस्थागत क्षमता में वर्ष 2021 तक 23,345 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न क्षमता संवर्धन की आवश्यकता है जिसके लिए निम्नलिखित सिफारिशों की गई हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> § विद्युत मंत्रालय द्वारा नए केन्द्रीय क्षेत्र/महा-परियोजनाओं से विद्युत का आबंटन किया जाना चाहिए। § सरकार के पास उपलब्ध केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के 15% अनाबंटित कोटे से विद्युत देने पर विचार करना चाहिए। § राज्य सरकारों को अपने उप-क्षेत्र को अपनी नई राज्य क्षेत्र परियोजनाओं से विद्युत का आबंटन करना चाहिए। § राज्य सरकारों को वर्तमान विद्युत आबंटन/उत्पादन से अपने संबंधित उप-क्षेत्रों को आबंटित कोटे मिलना सुनिश्चित करना चाहिए। § राज्य सरकारों के उप-क्षेत्रों को एक साथ और शीघ्रता से अपेक्षित विद्युत का आबंटन सुनिश्चित करने हेतु विद्युत उत्पन्न करने वाली कंपनियों से समझौता करना चाहिए। § बढ़ती हुई विद्युत मांग को पूरा करने के लिए कुशल और स्वच्छ प्रौद्योगिकी आधारित विद्युत संयंत्रों को प्रोत्साहित/अपनाया जाना चाहिए ताकि ग्रीन हाऊस गैस स्तर को कम किया जा सके। 	वर्ष 2006-2007 तक लगभग 4,500 मेगावाट निवल उत्पादन के संवर्धन की ज़रूरत है।	वर्ष 2011-2012 तक लगभग 2600 मेगावाट निवल उत्पादन के संवर्धन की ज़रूरत है।	वर्ष 2016-2017 तक लगभग 8,000 मेगावाट निवल उत्पादन के संवर्धन की ज़रूरत है।	वर्ष 2020-2021 तक लगभग 8,500 मेगावाट निवल उत्पादन के संवर्धन की ज़रूरत है।
2.	<p>भार प्रबन्धन: ग्रिड में उपलब्धता की तुलना में तंत्र में भार की वकता को कम करने तथा अधिकतम मांग को कम करने के लिए रिप्ल जेनरेटर शुरू करके एक नियंत्रण कक्ष के माध्यम से भार प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए ताकि उत्पादन के रूप जाने को कम से कम किया जा सके। इससे अतिरिक्त विद्युत उत्पाद में अधिकतम मांग की पूर्ति के लिये जिये जाने वाले निवेश में कमी आयेगी। इसी प्रकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमर्ग पर पथ प्रकाशन के संचालन के लिए रिप्ल जेनरेटर के संचालन के जरिए एक केन्द्रीय रूप से नियंत्रित प्रणाली हो सकती है। कम विद्युत की खपत वाले आवास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा नये नगर क्षेत्रों में विद्युत की निर्बाध आपूर्ति के लिए</p>	<p>कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में भागीदारी राज्यों में नीतियां अपनाने के लिए निर्देश दिए जाएंगे।</p> <p>सी.ई.ए. तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रणाली का पुनःनिरिक्षण करने के बाद रा.रा.क्षे. की आइलैंडिंग करेंगी।</p> <p>नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अनुवर्तन व निगरानी की जानी है।</p>	<p>नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अनुवर्तन और निगरानी की जानी है।</p>	<p>नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अनुवर्तन और निगरानी की जानी है।</p>	<p>नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अनुवर्तन और निगरानी की जानी है।</p>

ANNEXURE 7/I

PLAN OF ACTION AND PHASING-POWER

S. No.	Policies/Proposals	10 th Plan (2002-2007)	11 th Plan (2007-2012)	12 th Plan (2012-2017)	13 th Plan (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
1.	<p><u>Future Demand and Augmentation of Power:</u> Additional power generating capacity augmentation in the installed capacity of power plants required by the year 2021 is 23,345 MW for which following recommendations have been made:-</p> <ul style="list-style-type: none"> § Allocation of power from the new central sector/mega projects to be made by the Ministry of Power. § Ministry of Power to consider allocation of power from the 15% unallocated quota from the Central sector projects available with the government. § State Governments to allocate power to their Sub-region from their new State sector projects § State Governments should ensure the allocated quota to their respective Sub-regions from the present allocation/generation of power. § State Governments should enter MOU with power generation companies to ensure requisite allocation of power to the Sub-region simultaneously and expeditiously. § Efficient and clean technology based power plants should be encouraged/adopted to meet the growing power demand in order to reduce Greenhouse gases (GHG) levels. 	Net generation needs to be augmented by about 4,500 MW by the year 2006-2007.	Net generation needs to be augmented by about 2,600 MW by the year 2011-2012.	Net generation needs to be augmented by about 8,000 MW by the year 2016-2017.	Net generation needs to be augmented by about 8,500 MW by the year 2020-2021.
2.	<p><u>Load Management:</u> Modern techniques for Load Management must be adopted to flatten the load curve and reduce the peak demand in the system to manageable proportion, vis-à-vis availability of generation in the grid through a control room by starting ripple generators, so that breakdown of generation is minimized. This will generate savings in the investment on additional generation of power for peak demand. Similarly, street lighting on National Highways/ State Highways within the NCR can have centrally controlled system for operation through operation of ripple generator. Energy efficient housing should be promoted and the concept of 66 KV underground cable ring main system should be planned</p>	<p>Directions to be issued to the participating States in the first year of the implementation to adopt the policies.</p> <p>CEA and State Government to undertake islanding of NCR after revisiting the system.</p> <p>Follow up and monitoring of implementation of policies to be done.</p>	<p>Follow up and monitoring of implementation of policies to be done.</p>	<p>Follow up and monitoring of implementation of policies to be done.</p>	<p>Follow up and monitoring of implementation of policies to be done.</p>

क्र.सं.	नीतियां/प्रस्ताव	10वीं योजना (2002-2007)	11वीं योजना (2007-2012)	12वीं योजना (2012-2017)	13वीं योजना (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
	<p>66 के.वी. भूमिगत कैबल रिंग मेन प्रणाली की योजना बनायी जानी चाहिए तथा इसे कार्यान्वयित किया जाना चाहिए।</p> <p>यह भी प्रस्ताव है कि बेहतर भार प्रबन्धन के लिए, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) और संबंधित विद्युत उपयोगिताओं (यूटीलिटीस) कम्पनियां, योजना का पुनःनिरिक्षण कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये नई दिल्ली नगर निगम/दिल्ली के बाद दूसरे स्तर के आइलैंड के रूप में एक आइलैंडिंग के बाद योजना बनायेंगी और इसे लागू करेंगी।</p>				
3.	<p>संचारण एवं वितरण में सुधारः विद्युत की बढ़ी हुई मांग को देखते हुए एल.टी.वितरण प्रणाली यथा सर्विस लाइन एवं सर्विस मेन का समुचित रूप से डिजाइन बनाकर तथा पर्याप्त क्षमता वाले ट्रांसफार्मर, इलैक्ट्रॉनिक मीटर, आई.ई.नियमों एवं विनिर्देशों के अनुरूप एल.टी./एच.टी ब्रेकर्स उपलब्ध कराते हुए संचारण एवं वितरण प्रणाली में सुधार और विद्युत आपूर्ति प्रणाली में दूरसंचार (स्वचलन) के संवर्धन द्वारा किया जाना चाहिए।</p> <p>संबंधित राज्य सरकारें भी तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों का पता लगाने के लिए समय-समय पर लेखा-परीक्षा करेंगी जिससे संचारण और वितरण प्रणाली में नियमित आधार पर सुधार करने में सहायता मिलेगी।</p>	<p>उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा की राज्य सरकारों द्वारा संचारण और वितरण में सुधार के लिए पहल की जा चुकी है। कम से कम, क्षेत्र के 60% में 10वीं योजना के अंत तक समावेशन कर लिया जाना चाहिए।</p> <p>राज्य सरकारें नियमित अन्तराल पर समय-समय पर लेखा-परीक्षण करेंगी।</p>	<p>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शेष 40% में 11वीं योजना के दौरान समावेशन हो जाना चाहिए। अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए क्षमता संवर्धन की जानी चाहिए।</p> <p>राज्य सरकारें नियमित अन्तराल पर समय-समय पर लेखा-परीक्षण करेंगी।</p>	<p>अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए क्षमता संवर्धन की जानी चाहिए।</p> <p>राज्य सरकारें नियमित अन्तराल पर समय-समय पर लेखा-परीक्षण करेंगी।</p>	<p>अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए क्षमता संवर्धन की जानी चाहिए।</p> <p>राज्य सरकारें नियमित अन्तराल पर समय-समय पर लेखा-परीक्षण करेंगी।</p>
4.	उत्तरी क्षेत्र विद्युत बोर्ड में उप-समूहः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति का निरीक्षण करने और विद्युत संबंधी मामलों पर समय-समय पर चर्चा करने के लिए तथा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के संबंध में सिफारिशें करने के लिये विद्युत मंत्रालय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तरी क्षेत्र विद्युत बोर्ड के भीतर उप-समूह सृजित करना चाहिए।	तुरंत नीतियों के कार्यान्वयन के निरीक्षण तथा नियमित आधार पर विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता की समीक्षा के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा रा.रा.क्षे.योजना बोर्ड के अंदर उप-समूह सृजित करेंगी।	<p>विद्युत मंत्रालय तुरंत नीतियों कार्यान्वयन करेंगी और नियमित आधार पर विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की समीक्षा करेंगी।</p>	<p>विद्युत मंत्रालय तुरंत नीतियों कार्यान्वयन करेंगी और नियमित आधार पर विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की समीक्षा करेंगी।</p>	<p>विद्युत मंत्रालय तुरंत नीतियों कार्यान्वयन करेंगी और नियमित आधार पर विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की समीक्षा करेंगी।</p>
5.	विद्युत के लिए क्षेत्र संबंधी योजनाएँ: संबंधित राज्य सरकारें विद्युत के लिए क्षेत्र संबंधी योजनाएँ तैयार करेंगी और उन्हें अपनी संबंधित उप-क्षेत्रीय योजनाओं में शामिल/एकीकृत करेंगी ताकि इनमें विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हो।	संबंधित राज्य सरकारें विद्युत के लिए क्षेत्र संबंधी योजनाएँ तैयार करेंगी तथा उनको अपने संबंधित उप-क्षेत्रीय योजनाओं में सम्मिलित/एकीकृत करेंगी।	<p>संबंधित राज्य सरकारें नियमित आधार पर समीक्षा करेंगी।</p>	<p>संबंधित राज्य सरकारें नियमित आधार पर समीक्षा करेंगी।</p>	<p>संबंधित राज्य सरकारें नियमित आधार पर समीक्षा करेंगी।</p>

S. No.	Policies/Proposals	10 th Plan (2002-2007)	11 th Plan (2007-2012)	12 th Plan (2012-2017)	13 th Plan (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
	<p>and executed in new townships to provide uninterrupted power supply.</p> <p>It is also proposed that an Islanding Scheme for NCR as second level of Island after NDMC/Delhi will be prepared by CEA and concerned State power utilities after revisiting the scheme which will be implemented by the concerned power utility companies for better load management.</p>				
3.	<p>Improvement in Transmission and Distribution: Transmission and distribution system in the region should be improved by properly designing the L.T. distribution system viz. service line & service mains and by providing transformers with adequate capacities, electronic meters, LT/HT breakers conforming to IE Rules and specifications and by promoting communications (automation) in power supply system.</p> <p>State Governments will also carry out periodic audit for identification of technical and commercial losses which will help in improving the transmission and distribution system on a regular basis.</p>	<p>Improvement in the T&D has already been initiated by the State governments of UP and Haryana. At least, 60% of the area of the region should be covered by the end of 10th Plan.</p> <p>State Governments will carry out periodic auditing on regular interval.</p>	<p>Remaining 40% of the area of NCR should be covered during the 11th Plan period. Capacity augmentation to be done for additional power generation.</p> <p>State Governments will carry out periodic auditing on regular interval.</p>	<p>Capacity augmentation to be done for additional power generation.</p> <p>State Governments will carry out periodic auditing on regular interval.</p>	<p>Capacity augmentation to be done for additional power generation.</p> <p>State Governments will carry out periodic auditing on regular interval.</p>
4.	<p>Sub-group within Northern Region Electricity Board: Sub-group within Northern Region Electricity Board should be created for NCR by Ministry of Power to oversee the power supply and periodically discuss the power issues in NCR and make recommendations regarding quality and reliability of power supply in the region.</p>	<p>Sub-group within NCRPB to be created by the Ministry of Power to oversee the implementation of the policies immediately and review of quality and reliability of power supply on regular basis.</p>	<p>Ministry of Power to implement the policies immediately and review of quality and reliability of power supply on regular basis.</p>	<p>Ministry of Power to implement the policies immediately and review of quality and reliability of power supply on regular basis.</p>	<p>Ministry of Power to implement the policies immediately and review of quality and reliability of power supply on regular basis.</p>
5.	<p>Sectoral Plans for Power: State Governments concerned will prepare Sectoral Plans for power and incorporate/integrate the same in their respective Sub-regional Plans in order to improve the quality of power supply in their respective Sub-regions.</p>	<p>State Governments concerned will prepare Sectoral Plans for power and incorporate/integrate the same in their respective Sub-regional Plans.</p>	<p>State Governments concerned to review on regular basis.</p>	<p>State Governments concerned to review on regular basis.</p>	<p>State Governments concerned to review on regular basis.</p>

क्र.सं.	नीतियाँ/प्रस्ताव	10वीं योजना (2002-2007)	11वीं योजना (2007-2012)	12वीं योजना (2012-2017)	13वीं (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
6.	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का प्रोत्साहन: विद्युत की मांग के कुछ हिस्से को पूरा करने के लिए बड़े होटलों, संस्थानों, वाणिज्यिक भवनों, समूह आवासों इत्यादि में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों जैसे गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन पर ज़ोर दिया जाना चाहिए।	योजना के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष के संदर्भ में अधिनियम पारित करके संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। जनता के बीच जन जागरूकता पैदा करनी चाहिए।	जनता के बीच जन जागरूकता पैदा करनी चाहिए।	जनता के बीच जन जागरूकता पैदा करनी चाहिए।	जनता के बीच जन जागरूकता पैदा करनी चाहिए।
7.	सरकारी-निजी साझेदारी: वर्ष 2021 तक विद्युत उत्पादन के लिए लगभग 93,380 करोड़ रुपये तथा संचारण एवं वितरण के लिए 58,000 करोड़ रुपये की राशि में आवश्यक विशाल निवेश के लिए सरकारी-निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। इन कंपनियों द्वारा नये कनेक्शन देने, मांग भार के उन्नयन इत्यादि के लिए वाणिज्यिक दृष्टिकोण एवं सरलीकृत प्रक्रियाएं अपनायी जानी चाहिए।	योजना के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष के संदर्भ में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।	जब कभी आवश्यकता हो समीक्षा और सुधार किया जाएगा।	जब कभी आवश्यकता हो समीक्षा और सुधार किया जाएगा।	जब कभी आवश्यकता हो समीक्षा और सुधार किया जाएगा।
8.	विद्युत के लिए नीतियों व कार्यनीतियों की समीक्षा: राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सुधारों एवं तकनीकी प्रगति को देखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र की कार्यनीतियों व नीतियों की कम से कम प्रत्येक पांच वर्ष में समीक्षा की जानी चाहिए।		वर्ष 2007-2008 में समीक्षा की जाएगी।	वर्ष 2012-2013 में समीक्षा की जाएगी।	वर्ष 2020-2021 में समीक्षा की जाएगी।
9.	निवेश योजना: वर्ष 2021 तक इस क्षेत्र में 23,345 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी एवं तदनुसार अतिरिक्त विद्युत के उत्पादन तथा इस क्षेत्र में संचारण एवं वितरण लाइनों को सुदृढ़/विस्तार करने की आवश्यकता होगी। वर्ष 2021 तक विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक कुल निवेश 93,380 करोड़ रुपये होगा तथा संचारण एवं वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण/विस्तार के लिए 58,362 करोड़ रुपये का निवेश आवश्यक होगा।	क्षेत्र में बिजली उत्पादन संवर्द्धन के लिए 18,052 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है। संघटक राज्य सरकारों को केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं/महा-परियोजनाओं, केन्द्रीय सरकार के अनाबंटित कोटे से विद्युत आबंटन कराने के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ परस्पर संवाद करने चाहिए, विद्युत उत्पाद कंपनियों अथवा अधिशेष विद्युत प्राप्त राज्यों के साथ विद्युत खरीदने के करारनामे पर हस्ताक्षर करने चाहिए अथवा	क्षेत्र में बिजली उत्पादन संवर्द्धन के लिए 10,196 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है। संघटक राज्य सरकारों को केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं/ महा-परियोजनाओं, केन्द्रीय सरकार के अनाबंटित कोटे से विद्युत आबंटन कराने के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ परस्पर संवाद करने चाहिए, विद्युत उत्पाद कंपनियों अथवा अधिशेष विद्युत प्राप्त राज्यों के साथ विद्युत खरीदने के करारनामे पर हस्ताक्षर करने चाहिए अथवा	क्षेत्र में बिजली उत्पादन संवर्द्धन के लिए 31,120 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है। संघटक राज्य सरकारों को केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं/महा-परियोजनाओं, केन्द्रीय सरकार के अनाबंटित कोटे से विद्युत आबंटन कराने के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ परस्पर संवाद करने चाहिए, विद्युत उत्पाद कंपनियों अथवा अधिशेष विद्युत प्राप्त राज्यों के साथ विद्युत खरीदने के करारनामे पर हस्ताक्षर करने चाहिए अथवा	क्षेत्र में बिजली उत्पादन संवर्द्धन के लिए 34,012 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है। संघटक राज्य सरकारों को केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं/महा-परियोजनाओं, केन्द्रीय सरकार के अनाबंटित कोटे से विद्युत आबंटन कराने के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ परस्पर संवाद करने चाहिए, विद्युत उत्पाद कंपनियों अथवा अधिशेष विद्युत प्राप्त राज्यों के साथ विद्युत खरीदने के करारनामे पर हस्ताक्षर करने चाहिए अथवा

S. No.	Policies/Proposals	10 th Plan (2002-2007)	11 th Plan (2007-2012)	12 th Plan (2012-2017)	13 th Plan (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
6.	<u>Promotion for Non-conventional Energy Resources:</u> Emphasis should be given for promoting non-conventional energy resources such as solar energy plants on roof top etc. in big hotels, institutions, commercial buildings, group housing etc. to meet part of power demand.	To be implemented by the respective State Governments through enactment of an Act in this regard in the first year of implementation of the Plan. Mass awareness to be created among public.	Mass awareness to be created among public.	Mass awareness to be created among public.	Mass awareness to be created among public.
7.	Public-Private Partnership: In view of the huge investment of about Rs.93,380 crores, for the generation of power and Rs.58,000 crores for transmission & distribution, in the year 2021, public/private partnership should be promoted. Commercial approach and simplified procedures for the release of new connections, upgradation of demand load etc. should be adopted by these companies. In order to promote public/private partnership/ Joint Venture companies, the enabling provision in the Power Act may have to be made.	To be implemented by the respective State Governments in this regard in the first year of implementation of the Plan.	To be reviewed and improvement to be made as and when required.	To be reviewed and improvement to be made as and when required.	To be reviewed and improvement to be made as and when required.
8.	<u>Review of Policies and Strategies for Power:</u> In view of the reforms at the national level and technological advancements taking place, the review the Power Sector strategies and policies for NCR should be done at least once in every five years.		Review to be done in the year 2007-2008.	Review to be done in the year 2012-2013.	Review to be done in the year 2020-2021.
9.	<u>Investment Plan:</u> Power requirement in the region would be 23,345 MW by the year 2021 and accordingly there will be need to generate this additional power and strengthen/ expand the transmission and distribution lines in the region. Total investment required for the generation of power by the year 2021 will be Rs.93,380 crores and for strengthening/expansion of transmission and distribution system, it will be Rs.58,362 crores.	Investment requirement for augmenting power generation in the region is Rs.18,052 crores. Constituent State Governments will have to interact with Ministry of Power to get power allocated from Central sector project/mega projects, unallocated quota of Central Government, sign power purchase agreement with power generating companies or enhance their capacity of power	Investment requirement for augmenting power generation in the region is Rs.10,196 crores. Constituent State Governments will have to interact with Ministry of Power to get power allocated from Central sector project/mega projects, unallocated quota of Central Government, sign power purchase agreement with power generating companies or enhance their capacity of power	Investment requirement for augmenting power generation in the region is Rs.31,120 crores. Constituent State Governments will have to interact with Ministry of Power to get power allocated from Central sector project/mega projects, unallocated quota of Central Government, sign power purchase agreement with power generating companies or enhance their capacity of power	Investment requirement for augmenting power generation in the region is Rs.34,012 crores. Constituent State Governments will have to interact with Ministry of Power to get power allocated from Central sector project/mega projects, unallocated quota of Central Government, sign power purchase agreement with power generating companies

क्र.सं.	नीतियां/प्रस्ताव	10वीं योजना (2002-2007)	11वीं योजना (2007-2012)	12वीं योजना (2012-2017)	13वीं (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
		<p>अपनी विद्युत अत्पादन क्षमता की वृद्धि करनी चाहिए।</p> <p>क्षेत्र में संचारण एवं वितरण प्रणाली के सुधार और उन्नयन के लिए राज्यों अथवा संचारण/वितरण कंपनियों को लगभग 11,282 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा।</p>	<p>की वृद्धि करनी चाहिए।</p> <p>क्षेत्र में संचारण एवं वितरण प्रणाली के सुधार और उन्नयन के लिए राज्यों अथवा संचारण/वितरण कंपनियों को लगभग 6,372.50 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा।</p>	<p>अपनी विद्युत अत्पादन क्षमता की वृद्धि करनी चाहिए।</p> <p>क्षेत्र में संचारण एवं वितरण प्रणाली के सुधार और उन्नयन के लिए राज्यों अथवा संचारण/वितरण कंपनियों को लगभग 19,450 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा।</p>	<p>अपनी विद्युत अत्पादन क्षमता की वृद्धि करनी चाहिए।</p> <p>क्षेत्र में संचारण एवं वितरण प्रणाली के सुधार और उन्नयन के लिए राज्यों अथवा संचारण/वितरण कंपनियों को लगभग 21,257 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा।</p>

S. No.	Policies/Proposals	10 th Plan (2002-2007)	11 th Plan (2007-2012)	12 th Plan (2012-2017)	13 th Plan (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
		<p>or States with surplus power or enhance their capacity of power generation.</p> <p>Investment of about Rs.11,282 crores will have to be made by States or transmission/distribution companies for improvement and upgradation of transmission and distribution system in the region.</p>	<p>generation.</p> <p>Investment of about Rs.6,372.50 crores will have to be made by States or transmission/distribution companies for improvement and upgradation of transmission and distribution system in the region.</p>	<p>or States with surplus power or enhance their capacity of power generation.</p> <p>Investment of about Rs.19,450 crores will have to be made by States or transmission/distribution companies for improvement and upgradation of transmission and distribution system in the region.</p>	<p>or States with surplus power or enhance their capacity of power generation.</p> <p>Investment of about Rs.21,257 crores will have to be made by States or transmission/distribution companies for improvement and upgradation of transmission and distribution system in the region.</p>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों में जल आपूर्ति की स्थिति

क्र.सं.	उप-क्षेत्र/नगर	स्रोत	संस्थापित क्षमता (एम.एल.डी.)	मोजूदा उत्पादन (एम.एल.डी.)	जल आपूर्ति की मोजूदा वर (लीटर प्रति व्यक्ति)	जल शोधन संयंत्रों की संख्या	शोधन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा							
1	फरीदाबाद	नलकूप	115.33	115.33	100	शून्य	क्लोरीनीकरण
2	गुडगांव	नलकूप/नहर	17.52	17.52	95	शून्य	आर.एफ., क्लोरीनीकरण
3	बहादुरगढ़	नहर	6.90	6.90	80	03	एस.एस.एफ., क्लोरीनीकरण
4	पानीपत	नलकूप	38.40	38.40	145	शून्य	क्लोरीनीकरण
5	रेवाड़ी	नहर	12.10	12.10	110	02	आर.एस.एफ., क्लोरीनीकरण
6	पलवल	नलकूप	5.91	5.91	80	शून्य	क्लोरीनीकरण
7	रोहतक	नहर	22.39	22.39	80	13	एस.एस.एफ., आर.एस.एफ., क्लोरीनीकरण
8	सोनीपत	नहर/नलकूप	14.63	14.63	80	01	आर.एफ., क्लोरीनीकरण
9	समालखां	नलकूप	1.74	1.74	70	शून्य	क्लोरीनीकरण
10	गोहाना	नलकूप	2.82	2.82	70	शून्य	क्लोरीनीकरण
11	गन्नौर	नलकूप	1.20	1.20	45	शून्य	क्लोरीनीकरण
12	झज्जर	नहर	3.35	3.35	110	07	एस.एस.एफ., लोरीनीकरण
13	हेती मंडी	नलकूप	0.86	0.86	50	शून्य	क्लोरीनीकरण
14	पटौदी	नलकूप	1.06	1.06	70	शून्य	क्लोरीनीकरण
15	सोहना	नलकूप	1.48	1.48	70	शून्य	क्लोरीनीकरण
16	होड़ल	नलकूप	3.86	3.86	110	शून्य	क्लोरीनीकरण
17	नुह	नलकूप	0.68	0.68	80	शून्य	क्लोरीनीकरण
18	मेहम	नहर	1.35	1.35	70	05	एस.एस.एफ., क्लोरीनीकरण
19	बावल	नलकूप	1.04	1.04	100	शून्य	क्लोरीनीकरण
20	गांव कोसली	नहर	0.98	0.98	110	03	एस.एस.एफ., क्लोरीनीकरण
21	गांव कुंडली	नलकूप	0.94	0.94	110	शून्य	क्लोरीनीकरण
22	गांव धारहेड़ा	नलकूप	1.10	1.10	50	शून्य	क्लोरीनीकरण
राजस्थान							
1	अलवर	नलकूप-114 स.के खुला कुओं-31 स.के हैंडपम्प-327 स.के	32.50	29.50	98	शून्य	क्लोरीनीकरण
2	भिवाड़ी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2.40	-	-	
3	खेथल	नलकूप-8 स.के खुला कुओं-2 स.के हैंडपम्प-61 स.के	1.50	1.30	65	-	क्लोरीनीकरण
4	बेहरोर	नलकूप-10 स.के खुला कुओं-2 स.के हैंडपम्प-48 स.के	1.10	1.40	75	-	क्लोरीनीकरण

ANNEXURE 8/I

STATUS OF WATER SUPPLY IN NCR TOWNS

S. No.	Sub-region/Town	Source	Installed Capacity (in mld)	Present Production (in mld)	Present rate of W/S (in lpcd)	Number of Water Treatment Plants	Type of Treatment
1	2	3	4	5	6	7	8
Haryana							
1	Faridabad	T/W	115.33	115.33	100	NIL	Chlorination
2	Gurgaon	T/W/Canal	17.52	17.52	95	NIL	RF, Chlorination
3	Bahadurgarh	Canal	6.90	6.90	80	03	SSF, Chlorination
4	Panipat	T/W	38.40	38.40	145	NIL	Chlorination
5	Rewari	Canal	12.10	12.10	110	02	RSF, Chlorination
6	Palwal	T/W	5.91	5.91	80	NIL	Chlorination
7	Rohtak	Canal	22.39	22.39	80	13	SSF & RSF, Chlorination
8	Sonepat	Canal/T/W	14.63	14.63	80	1	RF, Chlorination
9	Samalkha	T/W	1.74	1.74	70	NIL	Chlorination
10	Gohana	T/W	2.82	2.82	70	NIL	Chlorination
11	Gannaur	T/W	1.20	1.20	45	NIL	Chlorination
12	Jhajjar	Canal	3.35	3.35	110	07	SSF, Chlorination
13	Haily Mandi	T/W	0.86	0.86	50	NIL	Chlorination
14	Pataudi	T/W	1.06	1.06	70	NIL	Chlorination
15	Sohna	T/W	1.48	1.48	70	NIL	Chlorination
16	Hodel	T/W	3.86	3.86	110	NIL	Chlorination
17	Nuh	T/W	0.68	0.68	80	NIL	Chlorination
18	Meham	Canal	1.35	1.35	70	05	SSF, Chlorination
19	Bawal	T/W	1.04	1.04	100	NIL	Chlorination
20	Village Kosli	Canal	0.98	0.98	110	03	SSF, Chlorination
21	Village Kundli	T/W	0.94	0.94	110	NIL	Chlorination
22	Village Dharuhera	T/W	1.10	1.10	50	NIL	Chlorination
Rajasthan							
1	Alwar	T/W-114 Nos. O/W-31 Nos. H.P's-327 Nos.	32.50	29.50	98	NIL	Chlorination
2	Bhiwadi	N.A.	N.A.	2.40			
3	Khaithal	TW -8 Nos. O/W-2 Nos. HP-61 Nos.	1.50	1.30	65	NIL	Chlorination
4	Behror	TW-10 Nos. O/W-2 Nos. HPP-48 Nos.	1.10	1.40	75	NIL	Chlorination

क्र.सं.	उप-क्षेत्र/नगर	स्रोत	संस्थापित क्षमता (एम.एल.डी.)	मौजूदा उत्पादन (एम.एल.डी.)	जल आपूर्ति की मौजूदा दर (लीटर प्रति व्यक्ति)	जल शोधन संयंत्रों की संख्या	शोधन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
	तिजारा	नलकूप-9 स.के हैंडपम्प-41 स.के	1.20	1.60	92	-	क्लोरीनीकरण
	शाहजहांपुर	नलकूप-2 स.के खुला कूप-2 स.के हैंडपम्प-18 स.के	0.30	0.30	35	-	क्लोरीनीकरण
उत्तर प्रदेश							
1	मेरठ	नलकूप	150.00	150.00	142	एक	मंद रेत फिल्टरेशन
2	गाजियाबाद	नलकूप	145.00	125.00	130	शून्य	क्लोरीनीकरण
3	बुलंदशहर	नलकूप	14.00	12.00	75	शून्य	क्लोरीनीकरण
4	बौरोत	नलकूप	6.00	4.00	50	शून्य	क्लोरीनीकरण
5	मवाना	नलकूप	5.80	3.13	30	शून्य	क्लोरीनीकरण
6	पिलखुआ	नलकूप-4	4.50	3.48	50		क्लोरीनीकरण
7	मुरादनगर	नलकूप	3.00	2.88	40	शून्य	क्लोरीनीकरण
8	गढ़मुक्तेश्वर	नलकूप	3.96	3.00	99	शून्य	क्लोरीनीकरण
9	बागपत	नलकूप	0.53	0.38	95	शून्य	क्लोरीनीकरण
10	डासना	नलकूप	2.00	2.00	81	शून्य	क्लोरीनीकरण
11	फलौदा	नलकूप	0.35	0.35	28	शून्य	क्लोरीनीकरण
एन.सी.टी.-दिल्ली							
	यमुना नदी	90 एम.जी.डी.	उपलब्ध नहीं		225	चन्द्रावल जलशोधन संयंत्र I & II	परंपरागत पद्धति
	यमुना नदी	120 एम.जी.डी.	उपलब्ध नहीं		-	वजीराबाद जलशोधन संयंत्र I, II & III	परंपरागत पद्धति
	पश्चिमी यमुना नहर	200 एम.जी.डी.	उपलब्ध नहीं		-	हैदरपुर जलशोधन संयंत्र I&II	परंपरागत पद्धति
	पश्चिमी यमुना नहर	40 एम.जी.डी.	उपलब्ध नहीं		-	नांगलोई जलशोधन संयंत्र	परंपरागत पद्धति
	गंगा जल	100 एम.जी.डी.	उपलब्ध नहीं		-	शाहदरा जलशोधन संयंत्र	परंपरागत पद्धति
	उप-सतही जल	81 एम.जी.डी.		-	-		
	कुल	631 एम.जी.डी.	640 एम.जी.डी.		225	5	
		2865 एम.एल.डी.	2924 एम.एल.डी.				

नोट:

शेष नगरों के लिए सूचना उपलब्ध नहीं है

एस.एस.एफ.: मंद रेत फिल्टरेशन

आर.एस.एफ.: तीव्र रेत फिल्टर

आर.एफ.: तीव्र फिल्टरेशन

एन.सी.टी.डब्ल्यू.डब्ल्यू.: नए नहर आधारित जलकल

अतिरिक्त शोधन संयंत्र

S. No.	Sub-region/Town	Source	Installed Capacity (in mld)	Present Production (in mld)	Present rate of W/S (in lpcd)	Number of Water Treatment Plants	Type of Treatment
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Tijara	TW-9 Nos. HP-41 Nos.	1.20	1.60	92	-	Chlorination
6	Shahjahanpur	TW-2 Nos. OW-2 Nos. HP-18 Nos.	0.30	0.30	35	-	Chlorination
Uttar Pradesh							
1	Meerut	TW	150.00	150.00	142	One	Slow sand filter
2	Ghaziabad	TW	145.00	125.00	130	Nil	Chlorination
3	Bulandshahr	TW	14.00	12.00	75	Nil	Chlorination
4	Baraut	TW	6.00	4.00	50	Nil	Chlorination
5	Mawana	TW	5.80	3.13	30	Nil	Chlorination
6	Pilkhua	TW- 4	4.50	3.48	50		Chlorination
7	Muradnagar	TW	3.00	2.88	40	Nil	Chlorination
8	Garhmukteshwar	TW	3.96	3.00	99	Nil	Chlorination
9	Baghpat	TW	0.53	0.38	95	Nil	Chlorination
10	Dasna	TW	2.00	2.00	81	Nil	Chlorination
11	Phalauda	TW	0.35	0.35	28	Nil	Chlorination
NCT-Delhi							
	River Yamuna	90 MGD	NA	225	Chandrawal WTP I & II	Conventional method	
	River Yamuna	120 MGD	NA	-	Wazirabad WTP I, II & III	Conventional method	
	Western Yamuna canal	200 MGD	NA	-	Haiderpur WTP I&II	Conventional method	
	Western Yamuna canal	40 MGD	NA	-	Nangloi W.T.P.	Conventional method	
	Ganga water	100 MGD	NA	-	Shahadara WTP	Conventional method	
	Sub-surface water	81 MGD	-	-		Conventional method	
	Total	631 MGD	640 MGD	225	5		
		2865 mld	2924 mld				

Note:

For remaining towns information was not available.

SSF: Slow Sand Filtration

RSF: Rapid Sand Filter

RF: Rapid Filtration

NCBWW: New Canal Based Water Works

Addl. Filtration Plant

कार्य योजना और चरणबद्धता-जल

क्र.सं.	नीतियां/प्रस्ताव				
		10वीं योजना (2002-2007)	11वीं योजना (2007-2012)	12वीं योजना (2012-2017)	13वीं (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
1	क्षेत्र में जल स्रोतों का पूरा खाका (ब्ल्यू प्रिंट): इस क्षेत्र में सभी संभावित सतही जल स्रोतों, भूमिगत जल जलभृत (एक्विफर्स) तथा जल के अंतर-बेसिन अंतरण की पहचान करते हुए पेय जल की मात्रा संवर्धन के उपाय सहित इस क्षेत्र के जल स्रोतों का एक पूरा खाका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए तैयार किया जाना आवश्यक है। इसमें जल मानचित्रण, डीसीलिंग, बरसाती/बाढ़ के पानी के भंडारण हेतु मौजूदा झीलों/डिप्रेशन की क्षमता बढ़ाना, बरसाती जल संग्रहण करना, बेकार जल का पुनःउपयोग एवं रीसाइकिंग, जल संरक्षण के लिए उपाय, जल का अंतर-बेसिन अंतरण तथा क्षेत्र के लिए एकीकृत भूमि और जल प्रबंधन शामिल हैं।	एक स्वतंत्र एजेंसी से विस्तृत अध्ययन जिसमें लगभग 2-3 वर्षों का समय लगेगा। यह क्षेत्र में पेय जल आपूर्ति के संवर्धन के लिए एकीकृत क्षेत्रीय योजना बनाने की ओर लेकर जाएगी।	राज्यों द्वारा योजना का कार्यान्वयन और निगरानी करी जानी चाहिए।	राज्यों द्वारा योजना का कार्यान्वयन और निगरानी करी जानी चाहिए।	राज्यों द्वारा योजना का कार्यान्वयन और निगरानी करी जानी चाहिए।
2	पेय जल आपूर्ति (सतही और भूमिगत) संवर्धन के लिए एकीकृत क्षेत्रीय योजना: रा.सा.क्षे. को एक ईकाई मानते हुए तैयार की जानी चाहिए। बहु-उद्देशीय बांधों के लिए सभी भविष्य योजनाएं रा.सा.क्षे. की आगे की मांगों को ध्यान में रख कर बनायी जानी चाहिए तथा केवल एन.सी.टी.-दिल्ली के लिए नहीं होनी चाहिए। दीर्घवधिक उपाय में मानसून के दौरान अधिक उपलब्ध जल का जल की कमी वाले समय में उपयोग के भंडारण हेतु जलाशयों का निर्माण तथा जल का अंतर-बेसिन अंतरण जैसे शारदा-यमुना लिंक नहर आदि होने चाहिए।	क्रम सं.1 पर अध्ययन के आधार पर योजना बनायी जाएगी।	राज्यों द्वारा योजना का कार्यान्वयन और निगरानी करी जानी चाहिए।	राज्यों द्वारा योजना का कार्यान्वयन और निगरानी करी जानी चाहिए।	निगरानी राज्यों द्वारा करी जानी चाहिए।
3	मानक एवं मानदण्ड § पेय जल आपूर्ति की दर: शहरी एन.सी.टी.-दिल्ली :225 एलपीसीडी 1 लाख या इससे ऊपर की जनसंख्या :200 एलपीसीडी 1 लाख से कम जनसंख्या :135 एलपीसीडी ग्रामीण स्पॉट स्रोत :70 एलपीसीडी पाइप के द्वारा आपूर्ति :100 एलपीसीडी § बेकार जाने वाला जल (यू.एफ.डब्ल्यू)- 5% तक कम करना चाहिए।	भागीदारी राज्यों द्वारा तुरंत अपने संबंधित उप-क्षेत्रों में सख्ती से कार्यान्वयित किया जाना चाहिए तथा चरणों में किया जाना चाहिए। चरण I में, 100 एलपीसीडी से कम जल आपूर्ति प्राप्त वाले सभी नगरों में जल आपूर्ति की वृद्धि दर 100 एलपीसीडी तक किया जाना चाहिए। योजना में निर्धारित मानकों के अनुसार आपूर्ति में तथा वितरण प्रणाली की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।	बढ़ी मांग के आधार पर क्षमता का संवर्धन किया जाना चाहिए। चरण II में, एक लाख से अधिक आबादी के सभी नगरों में 150 एलपीसीडी लायी जानी चाहिए और एक लाख से कम आबादी वाले नगरों में 135 एलपीसीडी लायी जानी चाहिए। योजना में निर्धारित मानकों के अनुसार आपूर्ति में तथा वितरण प्रणाली की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।	बढ़ी मांग के आधार पर क्षमता का संवर्धन किया जाना चाहिए। चरण III में, एक लाख से अधिक आबादी के सभी नगरों में आपूर्ति स्तर 150 एलपीसीडी से 200 एलपीसीडी लायी जानी चाहिए। योजना में निर्धारित मानकों के अनुसार आपूर्ति में तथा वितरण प्रणाली की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए।	जनसंख्या में वृद्धि के कारण बढ़ी मांग के आधार पर क्षमता का संवर्धन किया जाना चाहिए।

PLAN OF ACTION AND PHASING-WATER

S. No.	Policies/Proposals	10 th Plan (2002-2007)	11 th Plan (2007-2012)	12 th Plan (2012-2017)	13 th Plan (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
1.	<u>Blueprint for Water Resources in the Region:</u> Blueprint for water resources in the region including augmentation of drinking water should be prepared for NCR identifying all the potential surface water sources and ground water aquifers in the region and inter-basin transfer of water. This should include water mapping, desilting, augmentation of existing lakes/depressions for storage of rain/flood water, rain water harvesting, reuse and recycling of waste water, measures for conservation of water, inter basin transfer of water and include integrated land & water management for the region.	A detailed study will be needed to be taken up through an independent agency which will take about 2-3 years. This will lead to formulation of an Integrated Regional Scheme for augmentation of drinking water supply in the region.	Implementation and monitoring of the scheme to be done by the States.	Implementation and monitoring of the scheme to be done by the States.	Monitoring to be done to be done by the States.
2.	<u>Integrated Regional Schemes for Augmentation of Drinking Water Supply (surface and ground):</u> considering NCR as a single entity should be prepared. All the future planning for multi-purpose dams should be done considering the future demands of the NCR and not for NCT-Delhi only. Long term solutions should include construction of upstream reservoirs to store excess water during monsoon for use in lean period and inter-basin transfer of water such as Sarda-Yamuna link canal etc.	Scheme will be formulated on the basis of study at S. No. 1	Implementation and monitoring of the scheme to be done by the States.	Implementation and monitoring of the scheme to be done by the States.	Monitoring to be done by the States.
3.	<u>Norms and Standards:</u> § Rate of Water supply: <i>Urban</i> NCT-Delhi : 225 lpcd Population one lakh and above : 200 lpcd Population below one lakh : 135 lpcd <i>Rural</i> Spot Source : 70 lpcd Pipe supply : 100 lpcd § Unaccounted for water (UFW)-should be reduced to 15%	Should be implemented strictly by the participating States in their respective Sub-regions immediately and to be done in phases. In Phase I, all the towns getting water supply less than 100 lpcd should be taken up to enhance rate of water supply to 100 lpcd. Capacity of supply main and distribution system to be enhanced as per norms laid down in plan.	Augmentation of the capacities to be done based on increased demand. In Phase II, all the towns with population more than one lakh to be brought to 150 lpcd level and towns with population below one lakh to be brought 135 lpcd. Capacity of supply main and distribution system to be enhanced as per norms laid down in plan.	Augmentation of the capacities to be done based on increased demand. In Phase III, all the towns with a population one lakh and above should be brought to 200 lpcd supply level from 150 lpcd level. Capacity of supply main and distribution system to be enhanced as per norms laid down in plan.	Augmentation of the capacities to be done based on increase in demand due to increase in population.

क्र.सं.	नीतियां/प्रस्ताव	10वीं योजना (2002-2007)	11वीं योजना (2007-2012)	12वीं योजना (2012-2017)	13वीं (2017-2021)
					1
4	भूमिगत जल की रिचार्जिंग के लिए भूमि का संरक्षण: केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि अतिरिक्त विदोहन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली युमना नदी, उपरीय गंगा नहर प्रणाली और गंगा जलपालावन वाले मैदानों की जलभृत प्रणाली की भूमिगत जल संभावना का संग्रह करके 1,816 एम.एल.डी. (1.82 मि.घन.मी./दिन), 454 एम.एल.डी. (0.45 मि.घन.मी./दिन) तथा 908 एम.एल.डी. (0.91 मि.घन.मी./दिन) तक पानी उपलब्ध किया जा सकता है। उप-क्षेत्रीय योजनाओं तथा महा/विकास योजनाओं में सभी जलपालावन मैदानों तथा अन्य भूमिगत जल प्रतिपूर्ति क्षेत्रों जैसे तालाबों, झीलों अन्य जल स्रोतों आदि की पहचान की जानी चाहिए तथा उनका संरक्षण अन्य भूमि उपयोग एवं अतिक्रमण से बचाया जाना चाहिए। कम से कम, 2-5% क्षेत्र को भूमि उपयोग के वितरण में जल स्रोतों (प्राकृतिक एवं निर्मित) के अंतर्गत निर्धारित किया जाना चाहिए।	भारतीय दूरसंचेदी संस्थान, देहरादून “रा.रा.क्षे. के लिए भू-विज्ञान, भू-आकृति तथा भूमिगत जल संभावना” द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर भूमिगत जल प्रतिपूर्ति के लिए संरक्षित किए जाने वाले क्षेत्रों को इस योजना में पहले ही शामिल किया जा चुका है।	राज्य सरकारों को अपने संबंधित उप-क्षेत्रों में विकास कार्य करते समय भूमिगत जल प्रतिपूर्ति क्षेत्रों को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।	राज्य सरकारों को अपने संबंधित उप-क्षेत्रों में विकास कार्य करते समय भूमिगत जल प्रतिपूर्ति क्षेत्रों को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।	राज्य सरकारों को अपने संबंधित उप-क्षेत्रों में विकास कार्य करते समय भूमिगत जल प्रतिपूर्ति क्षेत्रों को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
5	गहन शहरी विकास/प्रोत्साहन विकास/पानी की खपत वाले उद्यागों के लिए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार संभावित भूमिगत जल अति शोषित/डार्क ब्लाक में उप-क्षेत्रीय तथा महा/विकास योजनाओं में सिफारिश/प्रस्तावित नहीं किया जाना चाहिए।	राज्य सरकारों को अपने संबंधित उप-क्षेत्रों में इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए और इसकी नियमित आधार पर निगरानी करनी चाहिए।	राज्य सरकारों को अपने संबंधित उप-क्षेत्रों में इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए और इसकी नियमित आधार पर निगरानी करनी चाहिए।	राज्य सरकारों को अपने संबंधित उप-क्षेत्रों में इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए और इसकी नियमित आधार पर निगरानी करनी चाहिए।	राज्य सरकारों को अपने संबंधित उप-क्षेत्रों में इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए और इसकी नियमित आधार पर निगरानी करनी चाहिए।
6	गैर-पेय जल उपयोग के लिए अपशिष्ट जल के रिसाइकिंग: गैर पेय जल उपयोग के लिए अपशिष्ट जल के रिसाइकिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मानकों के अनुसार शोधित अपशिष्ट जल उपयोग से सभी नगर स्तर की शहरी सिंचाई लैंडस्केपिंग, होटल, औद्योगिक इकाईयों, पूर्णतः वातानुकूलित बड़े इमारतों/संरक्षणों के लिए वातानुकूलन, बड़े प्रतिष्ठानों, तथा अन्य गैर-पेय की मांग को पूरा करना चाहिए। शोधित अपशिष्ट जल का कम से 50% इन प्रयोजनों के लिए रिसाइकिल्ड किया जाना चाहिए तथा पानी की बर्बादी कम करने पर बल दिया जाना चाहिए जिससे पूरे पर्यावरण में सुधार लाने में सहायता मिलेगी। सरकार को रिसाइकिंग अपशिष्ट जल का उपयोग करने वाले संस्थानों/उद्योगों को उदारता से कर में छूट देनी चाहिए ताकि रिसाइकिंग के लिए अपशिष्ट जल शोधन में आने वाली लागत की भरपाई की जा सके। यदि शोधित अपशिष्ट जल उपलब्ध हो तो ताजे पानी का उपयोग सिंचाई के काम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियमित आधार पर कार्यान्वित और निगरानी की जानी चाहिए। प्रारंभ में इसे संस्थानों/होटलों और विकसित की जाने वाली प्रस्तावित कालोनियों के लिए कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अगर आवश्यक हो, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाने वाले स्थानीय निकायों के संबंधित अधिनियमों का समर्थ प्रबंध करना चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियमित आधार पर कार्यान्वित और निगरानी की जानी चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियमित आधार पर कार्यान्वित और निगरानी की जानी चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियमित आधार पर कार्यान्वित और निगरानी की जानी चाहिए।

S. No.	Policies/Proposals	10 th Plan (2002-2007)	11 th Plan (2007-2012)	12 th Plan (2012-2017)	13 th Plan (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
4.	<u>Protection of Land for Ground Water Recharging:</u> Recent studies of Central Ground Water Board have revealed that additional exploitation to the extent of 1,816 mld (1.82 MCM/day), 454 mld (0.45 MCM/day) and 908 mld (0.91 mcm/day) could be made available by harvesting the ground water potential of aquifer system of river Yamuna, upper Ganga canal system and Ganga flood plains respectively falling within NCR. In the Sub-regional Plans and Master/Development Plans, all the flood plains and other ground water recharging areas such as ponds, lakes, other water bodies etc. should be identified and protected from the invasion by other land uses and encroachments. At least, 2-5% area should be earmarked under water bodies (natural as well as constructive) in the distribution of landuses.	The areas to be protected for ground water recharging have already been identified in the Plan on the basis of the study done by IIRS, Dehradun on "Geology, Geomorphology and Ground Water prospects for NCR". These areas should be protected in the sub-regional plans and master plans by the respective State governments and should be implemented on priority basis immediately.	State Governments to ensure protection of ground water recharging areas while undertaking the development works in their respective Sub-regions.	State Governments to ensure protection of ground water recharging areas while undertaking the development works in their respective Sub-regions.	State Governments to ensure protection of ground water recharging areas while undertaking the development works in their respective Sub-regions.
5.	Intensive urban development/induced developments/water consuming industries, should not to be recommended/proposed in grey/dark blocks of ground water potential.	State Governments to ensure its implementation in their respective Sub-regions and monitor the same on regular basis.	State Governments to ensure its implementation in their respective Sub-regions and monitor the same on regular basis.	State Governments to ensure its implementation in their respective Sub-regions and monitor the same on regular basis.	State Governments to ensure its implementation in their respective Sub-regions and monitor the same on regular basis.
6.	<u>Recycling of waste water for non drinking water use:</u> Recycling of waste water for non drinking water use should be promoted. All the town level urban irrigation for landscaping, hotels, industrial units, air-conditioning of large centrally air-conditioned buildings/institutions, large installations and other non-potable demands should be met through treated recycled waste water as per norms. At least 50% of the treated waste water should be recycled for these purposes and emphasis should be laid towards waste minimization, which will also help in improving the environment as a whole. Government may also provide liberal tax rebates for Institutions/ industries adopting recycling of waste water to compensate for the cost involved in treating waste water for recycling. No fresh water should be used for irrigation purpose if treated waste water is available.	To be implemented and monitored on regular basis by the respective State Governments. Initially it is to be implemented in institutions/hotels and new colonies under development/proposed to be developed. If required, enabling provisions in the respective acts of the local bodies may be made by the respective State Governments.	To be implemented and monitored on regular basis by the respective State Governments.	To be implemented and monitored on regular basis by the respective State Governments.	To be implemented and monitored on regular basis by the respective State Governments.

क्र.सं.	नीतियाँ/प्रस्ताव	10वीं योजना (2002-2007)	11वीं योजना (2007-2012)	12वीं योजना (2012-2017)	13वीं (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
7	पानी की बचत करने और कम से कम बर्बादी के संदर्भ में जन प्रचारों के माध्यम से जनता में जन जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयित और निगरानी की जानी चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयित और निगरानी की जानी चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयित और निगरानी की जानी चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयित और निगरानी की जानी चाहिए।
8	स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व प्राप्ति के लिए वाणिज्यिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पानी शुल्क से कम से कम संचालन तथा अनुरक्षण लागत पूरी की जा सके। पानी का प्रशुल्क संरचना मांग पर आधारित होना चाहिए एवं मासिक खपत के आधार पर दूरदर्शी तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए और इसकी निर्धारित यंत्रावली के रूप में समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि इस सेवा को आत्मनिर्भर बनाया जा सके तथा पानी के नुकसान पर रोक लगाई जा सके। रिसाईकिल्ड अपशिष्ट जल का प्रशुल्क तदनुसार निर्धारित किया जाए ताकि गैर-पेय जल का उपयोग बागवानी, उद्यान और उपलिखित प्रयोगों के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जल आपूर्ति कार्यक्रमों के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए सरकारी-निजी सञ्जाकारी शुरू किए जाने की आवश्यकता है।	11वीं योजना के अंत तक राज्यों को जल प्रशुल्क में सुधार करना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक पांच वर्षों में जल प्रशुल्क की समीक्षा करनी चाहिए।			
9	संस्थागत क्षमता निर्माण करना: इस प्रणाली के कुशल संचालन के लिए तथा वित्तीय साधार्नों को सुधारने में योगदान हेतु जल की मांग का प्रबंधन तथा संस्थागत क्षमता निर्माण करने वाले उपाय जैसे जोनिंग, आकस्मिक मूल्यांकन निधि की स्थापना, पारदर्शी संचालन-अनुरक्षण, विनियमात्मक दिशा-निर्देश आदि का उपयोग अनिवार्य है।	क्षमता निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और इसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तुरंत अपनाये जाने की आवश्यकता है। बोर्ड को क्षमता निर्माण के लिए पाठ्यक्रम चलाने में राज्यों की सहायता करनी चाहिए।			
10	भारतीय मानक ब्यूरों के मानदण्डों और सी.पी.एच.ई.डी.ओ. मैनुअल के अनुसार जल की गुणवत्ता पर भी बल दिया जाना चाहिए।	संघटक राज्यों को मानकों के अनुसार जल की गुणवत्ता तथा योजना के पहले वर्ष से और भविष्य के लिए भी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।	संघटक राज्यों को सुनिश्चित करना और निगरानी करनी चाहिए।	संघटक राज्यों को सुनिश्चित करना और निगरानी करनी चाहिए।	संघटक राज्यों को सुनिश्चित करना और निगरानी करनी चाहिए।
11	जल शोधन संयंत्रों और जल वितरण व्यवस्था के लिए भूमि का आबंटन: शहर के नियोजन में जल शोधन तथा वितरण प्रणालियों के भिन्न घटकों के लिए उचित स्थानों पर अग्रिम भूमि आबंटन अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।	योजना कार्यान्वयन के पहले साल में ही संघटक राज्यों/विकास प्राधिकरणों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	संघटक राज्यों/विकास प्राधिकरणों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	संघटक राज्यों/विकास प्राधिकरणों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	संघटक राज्यों/विकास प्राधिकरणों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

S. No.	Policies/Proposals	10 th Plan (2002-2007)	11 th Plan (2007-2012)	12 th Plan (2012-2017)	13 th Plan (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
7.	Mass Awareness should be created among public through mass media with regard to saving water and waste minimization.	To be implemented and monitored by the respective State Governments.	To be implemented and monitored by the respective State Governments.	To be implemented and monitored by the respective State Governments.	To be implemented and monitored by the respective State Governments.
8.	Commercial Approach is required to be adopted by the local bodies for revenue generation. Water charges should cover at least O&M cost. The structure of the water tariff should be demand based and increase telescopically depending upon the monthly consumption and should be reviewed periodically as a built in mechanism to make the service self sustaining and a deterrent to wastage. Tariff for the recycled treated waste water should be fixed accordingly to encourage its non-potable uses such as gardening, horticulture and other uses referred above. "Public-Private Partnership" needs to be introduced for operation and maintenance of the water supply schemes.	States should improve water tariff by the end of 11 th Plan. Water tariff to be reviewed every five years by the State Governments.			
9.	<u>Institutional Capacity Building:</u> Water demand management and institutional capacity building measures, e.g. zoning, setting up a contingent valuation fund, transparent operation-maintenance, regulatory guidelines etc. for efficient operation of the system contribute towards improvement in the finances.	Capacity building is a continuous process and required to be taken up immediately by the respective State Governments. The Board should help the State Governments in conducting the courses for capacity building.			
10.	Emphasis should also be given to the quality of water as per BIS standards and CPHEEO Manual.	Constituent States to ensure the quality of water as per standards and ensure implementation from first year of the plan and future also.	Constituent States to ensure and monitor.	Constituent States to ensure and monitor.	Constituent States to ensure and monitor.
11.	<u>Allocation of Land for Water Treatment Plants and Water Distribution System:</u> Planning of the city must incorporate advance land allocations at appropriate places for different components of water treatment & distribution systems.	To be ensured by the constituent States/development authorities in the first year of the implementation of Plan and subsequently to follow the same.	To be ensured by the constituent States/development authorities.	To be ensured by the constituent States/development authorities.	To be ensured by the constituent States/development authorities.

क्र.सं.	नीतियां/प्रस्ताव	2	10वीं योजना (2002-2007)	11वीं योजना (2007-2012)	12वीं योजना (2012-2017)	13वीं (2017-2021)
			3	4	5	6
12	योजना आयोग द्वारा पंच-वर्षीय योजना में रा.रा.क्षे. के लिए विशेष घटक योजना का प्रावधान रखा जाना चाहिए तथा उप-घटक योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनायी जानी चाहिए। अवसरणवान विकास के लिए रा.रा.क्षे. में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (पेय जल आपूर्ति, मल-जल व्यवस्था, मल-जल शोधन संयंत्र, जल-निकासी, सड़क, विद्युत इत्यादि) के लिए राज्यों का हिस्सा 25%, केन्द्रीय अनुदान 25% और रा.रा.क्षे.यो.बो. से व्याज पर ऋण से शेष हिस्सा 50% व्यवस्थित किया जाना चाहिए ।	संबंधित राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों और योजना आयोग को प्रावधान सुनिश्चित करने चाहिए । शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय प्रयोजन के लिए एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम जारी रहने चाहिए ।	संबंधित राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों और योजना आयोग को प्रावधान सुनिश्चित करने चाहिए । केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम जारी रहने चाहिए ।	संबंधित राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों और योजना आयोग को प्रावधान सुनिश्चित करने चाहिए । केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम जारी रहने चाहिए ।	संबंधित राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों और योजना आयोग को प्रावधान सुनिश्चित करने चाहिए । केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम जारी रहने चाहिए ।	
13	निवेश योजना: वर्ष 2021 तक क्षेत्र में कुल 11,984 मिलियन लीटर प्रति दिन जल की आवश्यकता होगी । तदनुसार, अतिरिक्त पानी का उत्पादित करने और इस क्षेत्र में जल आपूर्ति वितरण प्रणाली को सुदृढ़/बढ़ाने की ज़रूरत है । वर्ष 2021 तक पानी का उत्पादन/संवर्धन के लिए लगभग 5,992.15 करोड़ रुपये की सुदृढ़/बढ़ाने के लिए लगभग 7,190.57 करोड़ रुपये की ज़रूरत होगी ।	पेय जल आपूर्ति के लिए अनुमानित 2,637 करोड़ रुपये की निधि की आवश्यकता है ।	पेय जल आपूर्ति के लिए अनुमानित 3,955 करोड़ रुपये की निधि की आवश्यकता है ।	पेय जल आपूर्ति के लिए अनुमानित 3,955 करोड़ रुपये की निधि की आवश्यकता है ।	पेय जल आपूर्ति के लिए अनुमानित 2,637 करोड़ रुपये की निधि की आवश्यकता है ।	

S. No.	Policies/Proposals	10 th Plan (2002-2007)	11 th Plan (2007-2012)	12 th Plan (2012-2017)	13 th Plan (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
12.	Provision for Special Component Plan for NCR should be made by the Planning Commission in the five-year plans and Sub-component Plans should be prepared by the respective State Governments. Centrally Sponsored Schemes for Infrastructure Development (drinking water supply, sewerage, sewage treatment plant, drainage, roads, power etc.) in NCR should be formulated with state share of 25%, central grant of 25% and remaining 50% could be interest bearing loan from NCRPB.	Respective State Governments, Central Ministries and Planning Commission to ensure the provision. Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation to form a centrally sponsored scheme for the purpose.	Respective State Governments, Central Ministries and Planning Commission to ensure the provision. Centrally sponsored scheme to continue.	Respective State Governments, Central Ministries and Planning Commission to ensure the provision. Centrally sponsored scheme to continue.	Respective State Governments, Central Ministries and Planning Commission to ensure the provision. Centrally sponsored scheme to continue.
13.	<u>Investment Plan:</u> Total water requirement in the region would be 11,984 mld by the year 2021. Accordingly, there will be need to produce additional water and to strengthen/expand the water supply distribution system in the region. Total investment required for the production/augmentation of water would be about Rs. 5,992.15 crores by the year 2021 and for strengthening/expansion of distribution system/network, it would be about Rs.7,190.57 crores.	Fund requirement for drinking water supply is estimated to be Rs.2,637 crores.	Fund requirement for drinking water supply is estimated to be Rs.3,955 crores.	Fund requirement for drinking water supply is estimated to be Rs.3,955 crores.	Fund requirement for drinking water supply is estimated to be Rs.2,637 crores.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों में मल-जल व्यवस्था की स्थिति

क्र.सं.	उप-क्षेत्र/नगर	मल-जल व्यवस्था प्रणाली संयुक्त/पृथक	विस्तार (% में)	मल-जल शोधन संर्यंत्र संख्या क्षमता (एम.एल.डी.)	उत्पादित मात्रा (एम.एल.डी.)	शोधन के लिए अंतर्राष्ट्रिय मात्रा (एम.एल.डी.)	नाले/नदी/सिंचाई में निपटारा
1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा							
1	फरीदाबाद	पृथक	65	1 सं. का 45 1 सं. का 50 1 सं. का 20	105.00	105.00	आगरा नहर, गौची नाला/यमुना बुरिया नाला/यमुना
2	गुडगांव	पृथक	60	2 सं. के प्रत्येक 30	13.14	13.14	नजफगढ़ नाला
3	बहादुरगढ़	पृथक	60	-	5.18	-	नाला स08
4	पानीपत	पृथक	50	2 सं. के, 10 और 35	28.80	28.80	यमुना नदी
5	रेवाड़ी	पृथक	70	-	9.08	-	सिंचाई
6	पलवल	पृथक	60	1 सं. का 12	4.43	4.43	गौची नाला
7	रोहतक	पृथक	65	-	16.79	-	नाला स08
8	सोनीपत	पृथक	40	1 सं. का 30	10.97	10.97	नाला स06
9	समालखा	पृथक	60	-	1.30	-	नाला स06
10	गोहाना	पृथक	25	1 सं. का 3.5	2.12	2.12	नाला स06
11	गन्नोर	पृथक	40	-	0.90	-	नाला स06
12	झज्जर	पृथक	65	-	3.00	-	नाला स08
13	हेली मंडी	पृथक	75	-	0.65	-	सिंचाई
14	पटौदी	पृथक	-	-	0.80	-	सिंचाई
15	सोहना	पृथक	60	-	1.09	-	सिंचाई
16	होड़ल	पृथक	-	-	2.90	-	गौची नाला
17	नूह	पृथक	30	-	0.51	-	सिंचाई
18	मेहम	पृथक	-	-	1.01	-	सिंचाई
19	बावल	पृथक	-	-	0.78	-	सिंचाई
20	गांव कोसली	पृथक	-	-	0.74	-	सिंचाई
21	गांव कुँडली	पृथक	-	-	0.71	-	नाला स08
22	गांव धारहेड़ा	पृथक	-	-	0.83	-	सहिबी नदी
राजस्थान							
1	अलवर	संयुक्त/आशिंक रूप से पृथक	5	शून्य	10.50	शून्य	नदी गजूका
2	भिवाड़ी	पृथक	3	शून्य	0.02	शून्य	मटियाला गांव नाला
3	कैथल	पृथक	3	शून्य	0.42	-	सहिबी नदी
4	बेहरोर	पृथक			0.45	-	-
5	तिजारा	पृथक			0.52	-	-
6	शाहजहांपुर	पृथक			0.09	-	-

ANNEXURE 9/I

STATUS OF SEWERAGE IN NCR TOWNS

S. No.	Sub-region/Town	Sewerage System Combined/Separate	Coverage (in %)	Number of STP capacity (in mld)	Quantity generated (in mld)	Quantity intercepted for treatment (in mld)	Disposal to drain/river/ irrigation
1	2	3	4	5	6	7	8
Haryana							
1	Faridabad	Separate	65	1 No.-45 1 No.-50 1 No.-20	105.00	105.00	Agra canal Gauchi drain/Yamuna Buria nala/Yamuna
2	Gurgaon	Separate	60	2 Nos.; 30 each	13.14	13.14	Najafgarh drain
3	Bahadurgarh	Separate	60	-	5.18	-	Drain No. 8
4	Panipat	Separate	50	2 Nos.; 10 and 35	28.80	28.80	Yamuna River
5	Rewari	Separate	70	-	9.08	-	Irrigation
6	Palwal	Separate	60	1 No, 12	4.43	4.43	Gauchi drain
7	Rohtak	Separate	65	-	16.79	-	Drain No.8
8	Sonepat	Separate	40	1 No, 30	10.97	10.97	Drain No.6
9	Samalkha	Separate	60	-	1.30	-	Drain No. 6
10	Gohana	Separate	25	1No, 3.5	2.12	2.12	Drain No. 6
11	Gannaur	Separate	40	-	0.90	-	Drain No. 6
12	Jhajjar	Separate	65	-	3.00	-	Drain No. 8
13	Haily Mandi	Separate	75	-	0.65	-	Irrigation
14	Pataudi	Separate	-	-	0.80	-	Irrigation
15	Sohna	Separate	60	-	1.09	-	Irrigation
16	Hodel	Separate	-	-	2.90	-	Gauchi drain
17	Nuh	Separate	30	-	0.51	-	Irrigation
18	Meham	Separate	-	-	1.01	-	Irrigation
19	Bawal	Separate	-	-	0.78	-	Irrigation
20	Village Kosli	Separate	-	-	0.74	-	Irrigation
21	Village Kundli	Separate	-	-	0.71	-	Drain No. 8
22	Village	Separate	-	-	0.83	-	Sahibi River
	Dharuhera	-	-	-	-	-	-
Rajasthan							
1	Alwar	Com/Sep. Partial	5	Nil	10.50	Nil	River Gajuka
2	Bhiwadi	Separate	3	Nil	0.02	Nil	Drain Matiala village
3	Khaithal	Separate	3	Nil	0.42	-	Sahibi River
4	Behror	Separate	-	-	0.45	-	-
5	Tijara	Separate	-	-	0.52	-	-
6	Shahjahanpur	Separate	-	-	0.09	-	-

क्र.सं.	उप-क्षेत्र नगर	मल-जल व्यवस्था प्रणाली संयुक्त/पृथक	विस्तार (% में)	मल-जल शोधन संयंत्र संख्या क्षमता (एम.एल.डी.)	उत्पादित मात्रा (एम.एल.डी.)	शोधन के लिए अंतर्राष्ट्रिय मात्रा (एम.एल.डी.)	नाला/नदी/सिंचाई में निपटारा
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर प्रदेश							
1	गाजियाबाद	पृथक	70	2 न. (73 और 56)	109.00	30	नाला/नदी
2	मेरठ	-	30	-	80.00	-	-
3	सयाना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	डासना	शून्य	-	-	-	-	-
5	मवाना	-	-	-	-	-	-
6	हापुड़	संयुक्त	40	58.60	586.00	-	नाला/सिंचाई
7	अनूपशहर	कोई मल-जल व्यवस्था प्रणाली नहीं है	-	-	-	-	गंगा नदी
8	बुगरासी	संयुक्त	85	-	-	-	-
9	शिकारपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	बुलंदशहर	कोई मल-जल व्यवस्था प्रणाली नहीं है	-	-	-	-	-
11	करखोड़ा (मेरठ)	कोई मल-जल व्यवस्था प्रणाली नहीं है	-	-	-	-	-
12	परीक्षितगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13	बाबूगढ़	केवल 85% व्यक्तिगत घरों में फ्लश शौचालय प्रणाली है					
14	फलवाड़ा, मेरठ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15	पिलखुवा	-	-	-	-	-	-
16	भवन बहादुर नगर, बुलंदशहर	-	-	-	-	-	-
17	बागपत	-	-	-	-	-	-
18	करनावल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19	बौरैत	कोई मल-जल व्यवस्था प्रणाली नहीं है	-	-	-	-	-
20	बागपत	कोई मल-जल व्यवस्था प्रणाली नहीं है	-	-	-	-	यमुना नदी
21	दौराला	-	-	-	-	-	-
22	दनकौर	-	-	-	-	-	-
23	गुलाइटी	-	-	-	-	-	नाला
24	मुरादनगर	-	-	-	-	-	-
25	सिवल खास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26	हस्तिनापुर	-	-	-	-	-	-
27	छपरौली (बागपत)	कोई मल-जल व्यवस्था प्रणाली नहीं है	-	-	-	-	-
एन.सी.टी.-दिल्ली							
1	एन.सी.टी.-दिल्ली	पृथक	-	1828.00	2540.00	1500.00	सिंचाई के लिए आंशिक रूप से व शेष यमुना नदी में

नोट:

शेष नगरों के लिए सूचना उपलब्ध नहीं है

S. No.	Sub-region/Town	Sewerage System Combined/Separate	Coverage (in %)	Number of STP capacity (in mld)	Quantity generated (in mld)	Quantity intercepted for treatment (in mld)	Disposal to drain/river/ irrigation
1	2	3	4	5	6	7	8
Uttar Pradesh							
1	Ghaziabad	Separate	70	2 Nos., 73 & 56	109.00	30	Drain/River
2	Meerut	-	30	Nil	80.00	-	-
3	Sayana	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
4	Dasna	Nil	-	-	-	-	-
5	Mawana	-	-	-	-	-	-
6	Hapur	Combined	40	58.60	586.00	Nil	Drain/Irrigation
7	Anoopshahar	No sewerage system	-	-	-	-	River Ganga
8	Bugrasi	Combined	85	-	-	-	-
9	Shikarpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
10	Bulandshahr	No sewerage system	-	-	-	-	-
11	Karkhoda(Meerut)	No sewerage system	-	-	-	-	-
12	Parikshit Garh	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
13	Babugarh	Only 85% individual houses have flush toilet system					
14	Phalawada Meerut	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
15	Pilkhuwa	-	-	-	-	-	-
16	Bhawan Bahadur Nagar, Bulandshahar	-	-	-	-	-	-
17	Baghpat	-	-	-	-	-	-
18	Karnawal	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
19	Baraut	No sewerage system	-	-	-	-	-
20	Baghpat	No sewerage system	-	-	-	Yamuna River	-
21	Daurala	-	-	-	-	-	-
22	Dankaur	-	-	-	-	-	Drain
23	Gulaothi	-	-	-	-	-	-
24	Muradnagar	-	-	-	-	-	-
25	Siwal Khas	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
26	Hastinapur	-	-	-	-	-	-
27	Chaproli (Bhagpat)	No sewerage system	-	-	-	-	-
NCT-Delhi							
1	NCT-Delhi	Separate		1828.00	2540.00	1500.00	Partly for irrigation and rest in river Yamuna

Note:

For remaining towns information was not available.

कार्य योजना तथा चरणबद्धता-मल-जल व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन, जल-निकासी तथा सिंचाई

क्र.सं.	नीतियाँ/प्रस्ताव	10वीं योजना (2002-2007)	11वीं योजना (2007-2012)	12वीं योजना (2012-2017)	13वीं (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
मल-जल व्यवस्था					
1.	सभी अभिज्ञात नगरों के लिए मल-जल व्यवस्था प्रणाली और उसके शोधन के लिए महा योजना तैयार किया जाना चाहिए।	वर्ष 2006 तक राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा।	राज्य सरकार द्वारा नियमित आधार पर कार्यान्वयन तथा निगरानी की जानी चाहिए।	राज्य सरकार द्वारा नियमित आधार पर कार्यान्वयन तथा निगरानी की जानी चाहिए।	राज्य सरकार द्वारा नियमित आधार पर कार्यान्वयन तथा निगरानी की जानी चाहिए।
2.	<p>सभी अभिज्ञात नगरों में शत-प्रतिशत मल-जल व्यवस्था प्रणाली होनी चाहिए तथा अपेक्षित मानदंडों तक अपने गंदे पानी का शोधन करना चाहिए। वर्तमान नगर क्षेत्रों/शहरों विद्यमान मल-जल व्यवस्था प्रणाली की हालत बहुत खराब है, इस प्रणाली को पुनःस्थापित करना चाहिए। शेष नगरों में अभी के लिए कम लागत वाली सफाई प्रबंधन प्रणाली प्रबंधित की जानी चाहिए तद् पश्चात् उचित शोधन संशोधन सुविधाओं के साथ मल-जल व्यवस्था प्रणाली लगाई जानी चाहिए।</p> <p>सभी शहरी गाँवों में नगरों के समान ही सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिनके नियंत्रण में वे क्षेत्र स्थित हैं। अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालय, सैटिक टैंक तथा सोक पिट जैसी कम लागत की सफाई प्रबंधन उपायों को प्रबंधित किया जाना चाहिए।</p>	<p>5 लाख और अधिक जनसंख्या वाले नगरों में कार्यान्वित की जाएगी।</p> <p>30% क्षेत्र में कम लागत वाली सफाई प्रबंधन लगाई जाएगी।</p>	<p>2-5 लाख जनसंख्या वाले नगरों में कार्यान्वित की जाएगी।</p> <p>40% क्षेत्र में कम लागत वाली सफाई प्रबंधन लगाई जाएगी।</p>	<p>2 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में कार्यान्वित की जाएगी।</p> <p>30% क्षेत्र में कम लागत वाली सफाई प्रबंधन लगाई जाएगी।</p>	<p>बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए क्षमता का उन्नयन/विस्तार करना।</p> <p>बढ़ी जनसंख्या के लिए क्षमता का उन्नयन/संवर्धन करना।</p>
3.	नगरों तथा शहरों के महा/विकास योजनाओं में ऐसी सुविधाओं के लिए उचित स्थलों पर भूमि आबंटन शामिल किया जाना चाहिए।	क्षेत्रीय योजना में विहित मानकों के अनुसार तत्काल किया जाएगा।	अनुपालन सुनिश्चित करना।	अनुपालन सुनिश्चित करना।	अनुपालन सुनिश्चित करना।
4.	नगरों में सतही नालों और मल-जल व्यवस्था प्रणाली के साथ उसके गाद शोधन सुविधाओं का समग्र प्रबंधन एक एकल अभिकरण के पास होना चाहिए और दोहरे अभिकरणों की नीति हटा देनी चाहिए।	तत्काल कार्यान्वित किया जाएगा।	अनुपालन सुनिश्चित करना।	अनुपालन सुनिश्चित करना।	अनुपालन सुनिश्चित करना।
5.	गैर पेय जल उपयोग के लिए अपशिष्ट जल की रिसाइकिंग को इस सीमा तक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि कम से कम 50% अपशिष्ट जल उत्पन्न हो। यदि आवश्यकता हो, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों के संबंधित अधिनियमों में सहायक प्रावधान किये जाने चाहिए।	तत्काल किया जाएगा।	अनुपालन सुनिश्चित करना।	अनुपालन सुनिश्चित करना।	अनुपालन सुनिश्चित करना।

PLAN OF ACTION AND PHASING—SEWERAGE, SOLID WASTE MANAGEMENT, DRAINAGE AND IRRIGATION

S. No.	Policies/Proposals	10 th Plan (2002-2007)	11 th Plan (2007-2012)	12 th Plan (2012-2017)	13 th Plan (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
SEWERAGE					
1.	Master Plans should be prepared for sewerage system and its treatment for all the identified towns.	To be prepared by the State governments by the year 2006.	Implementation and monitoring to be done by the States on regular basis.	Implementation and monitoring to be done by the States on regular basis.	Implementation and monitoring to be done by the States on regular basis.
2.	All identified towns should have cent percent sewerage system and should treat their sewage up to the desired standards. Existing townships/cities where existing sewerage system is in poor condition, these systems should be rehabilitated. Remaining towns may initially be provided with low cost sanitation systems followed by sewerage system with appropriate treatment facilities. All the urban villages should be provided with the facilities equivalent to the towns, within whose controlled areas they are located. Other rural areas should be provided with low cost sanitation (LCS) measures such as sanitary latrines, septic tanks and soak pits.	To be implemented in the towns with a population of 5 lakhs and above. LCS to be provided in the 30% area.	To be implemented in the towns with a population from 2-5 lakhs. LCS to be provided in the 40% area.	To be implemented in the towns with a population below 2 lakhs. LCS to be provided in the 30% area.	Upgradation/augmentation of capacities for the increased population. Upgradation/augmentation of capacities for the increased population.
3.	Master/Development Plans of the towns and cities should incorporate land allocations at appropriate locations for such facilities.	To be done immediately as per norms prescribed in the Regional Plan.	To ensure the compliance.	To ensure the compliance.	To ensure the compliance.
4.	Overall management of surface drains and sewerage system in a town with its effluent treatment facilities should be with single agency and policy of dual agencies should be discarded.	To be implemented immediately.	To ensure the compliance.	To ensure the compliance.	To ensure the compliance.
5.	Recycling of waste water for non drinking water use should be promoted to the extent of at least 50% of the waste water generated. If required, enabling provisions in the respective acts of the local bodies may be made by the respective state governments.	To be done immediately.	To ensure the compliance.	To ensure the compliance.	To ensure the compliance.

क्र.सं.	नीतियां/प्रस्ताव	10वीं योजना (2002-2007)	11वीं योजना (2007-2012)	12वीं योजना (2012-2017)	13वीं (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
6.	कम से कम बर्बादी के लिए जन जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।	तत्काल किया जाएगा।	अनुपालन सुनिश्चित करना।	अनुपालन सुनिश्चित करना।	अनुपालन सुनिश्चित करना।
7.	स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व जुटाने के लिए वाणिज्यिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। प्रशुल्कों का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि इस प्रणाली का यदि लागत पूँजी न भी मिल सके तो, भी कम से कम मल-जल व्यवस्था प्रणाली के संचालन तथा अनुरक्षण की लागत को पूरा किया जा सके। मल-जल प्रशुल्क की संरचना मांग पर आधारित होना चाहिए तथा इसे पानी की मासिक खपत के अनुसार दूरबीन तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए और इसकी स्वनिर्मित यंत्रावली के अंतर्गत समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि इस सेवा को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और बर्बादी रोकी जा सके। मल-जल व्यवस्था योजनाओं और मल-जल शोधन संयंत्रों के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए सरकारी-निजी साझेदारी आरंभ किए जाने की आवश्यकता है।	तत्काल कार्यान्वित किया जाएगा। राज्यों को 10वीं योजना के अंत तक के प्रशुल्क में सुधार करना चाहिए।	अनुपालन सुनिश्चित करना। राज्यों को 11वीं योजना के अंत तक के प्रशुल्क में सुधार करना चाहिए।	प्रशुल्क शुल्क ढांचे की समीक्षा करना तथा यदि आवश्यक हो वृद्धि करना।	प्रशुल्क ढांचे की समीक्षा करना तथा यदि आवश्यकता हो वृद्धि करना।
8.	संस्थागत क्षमता निर्माण उपाय अपनाए जाने चाहिए।	क्षमता निर्माण करना एक सतत प्रक्रिया है और इसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तत्काल लिये जाने की आवश्यकता है। बोर्ड को क्षमता निर्माण के लिए पाठ्यक्रम चलाने में राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिए।	क्षमता निर्माण के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम जारी रहेंगे। प्रशुल्क की समीक्षा की जाएगी।		
9.	बाह्य विकास प्रभारों (ई.डी.सी.) को वर्तमान नगर क्षेत्रों तथा विकास के लिए नए क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना के विकास के लिए अनुपात के अनुसार खर्च किया जाना चाहिए।	तत्काल किया जाएगा।	अनुपालन सुनिश्चित करना।	अनुपालन सुनिश्चित करना।	अनुपालन सुनिश्चित करना।
10.	पंच-वर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विशेष घटना योजना तथा राज्य सरकारों द्वारा उप-घटक योजना का प्रावधान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवसंरचना विकास के लिए कन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को तैयार तथा कार्यान्वित किया जाना चाहिए।	तत्काल कार्यान्वित की जानी चाहिए।	कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।	कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।	कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
11.	वर्ष 2021 तक इस क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में कुल अनुमानित मल-जल उत्पादन 6,935 एमएलडी होगी तथा तदनुसार, क्षेत्र में मल-जल व्यवस्था प्रणाली तथा उसके शोधन क्षमताओं को सुदृढ़/विस्तार करने की आवश्यकता होगी। वर्ष 2021 तक मल-जल व्यवस्था प्रणाली को बिछाने के लिए कुल 3,467.47	मल-जल व्यवस्था प्रणाली बिछाने के लिए 1,248.29 करोड़ रुपये के अनुमानित निधि की आवश्यकता होगी।	मल-जल व्यवस्था प्रणाली बिछाने के लिए 2,912.68 करोड़ रुपये के अनुमानित निधि की आवश्यकता होगी।	मल-जल व्यवस्था प्रणाली बिछाने के लिए 2,496.58 करोड़ रुपये के अनुमानित निधि की आवश्यकता होगी।	मल-जल व्यवस्था प्रणाली बिछाने के लिए 1,664.39 करोड़ रुपये के अनुमानित निधि की आवश्यकता होगी।

S. No.	Policies/Proposals	10 th Plan (2002-2007)	11 th Plan (2007-2012)	12 th Plan (2012-2017)	13 th Plan (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
6.	Mass awareness should be created for waste minimization.	To be done immediately.	To ensure the compliance.	To ensure the compliance.	To ensure the compliance.
7.	Commercial approach is required to be adopted by the local bodies for revenue generation. Tariff should be so fixed that it meets at least the Operation and Maintenance cost of the sewerage system, if not the capital cost of the system. Introduction of sewage tax and improved recovery of taxes may help in reducing the revenue-expenditure gap. The structure of the sewage tax should be demand based and increased telescopically depending upon the monthly consumption of water and should be reviewed periodically as a built-in mechanism to make the service self sustaining and a deterrent to wastage. Public-private partnership needs to be introduced for operation and maintenance of the sewerage schemes and sewage treatment plants.	To be implemented immediately. States should improve water tariff by the end of 11th Plan.	To ensure the compliance. States should improve water tariff by the end of 11th Plan.	To review the tariff structure and if required to be enhanced.	To review the tariff structure and if required to be enhanced.
8.	Institutional capacity building measures should be adopted.	Capacity building is a continuous process and is required to be taken up immediately by the respective State governments. The Board should help the State governments in conducting the courses for capacity building. Training courses for capacity building to continue. Tariff to be reviewed.			
9.	External Development Charges (EDC) should be proportionately spent for the development of physical infrastructure in the existing township and new area under development.	To be done immediately	To ensure the compliance	To ensure the compliance	To ensure the compliance
10.	Provision for Special Component Plan for NCR in the five-year plan and Sub-component Plan by the State governments should be made. Centrally Sponsored Schemes for Infrastructure Development in NCR should be formulated and implemented.	Should be implemented immediately	To ensure implementation	To ensure implementation	To ensure implementation
11.	Total estimated sewage generation in the urban areas of the region is estimated to be 6,935 mld by the year 2021 and accordingly, there will be need to strengthen/expand the sewerage system and its treatment capacities in the region. Total investment required for laying of sewerage system would be	Fund requirement for laying of sewerage system is estimated to be Rs.1,248.29 crores.	Fund requirement for laying of sewerage system is estimated to be Rs.2,912.68 crores.	Fund requirement for laying of sewerage system is estimated to be Rs.2,496.58 crores.	Fund requirement for laying of sewerage system is estimated to be Rs.1,664.39 crores.

क्र.सं.	नीतियां/प्रस्ताव	10वीं योजना (2002-2007)	11वीं योजना (2007-2012)	12वीं योजना (2012-2017)	13वीं (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
	करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी तथा अपशिष्ट जल शोधन के लिए 4,854.46 करोड़ रुपये का निवेश चाहिए होगा।				
ठोस कचरा प्रबंधन					
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी नगरों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशों तथा शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय सी.पी.एच.ई.ओ. के मैनुअल में दिए मानकों और मानदण्डों के अनुसार विस्तृत ठोस कचरा प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिए।	तत्काल तैयार की जानी चाहिए तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों को योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।
2.	विभिन्न नगरों/शहरों के लिए महा/विकास योजना तैयार करते समय कचरे के शोधन/निपटान के लिए भूमि विनियोग की जानी चाहिए। विकास प्राधिकरणों तथा नगरपालिकाओं द्वारा इन स्थलों का अधिग्रहण विकास कार्यक्रम के अनिवार्य तत्व के रूप में होना चाहिए और उनकी योजना दस्तावेजों में इसके लिए उचित बजट व्यवस्था होनी चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तत्काल अनुपालन किया जाएगा।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना।
3.	संसाधनों की रिसाइकिंग/वसूली के जरिए कचरे को कम करने की नीति अपनाई जानी चाहिए-उत्पन्न ठोस कचरे को कम से कम 50% भाग का निपटान अन्य शोधन प्रौद्योगिकियों जैसे काम्पोस्टिंग और शेष सेनिटरी लैंडफिल द्वारा किया जाना चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तत्काल अनुपालन किया जाएगा।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना।
4.	कचरा संग्रह, अंतरण/परिवहन, शोधन तथा निपटान जैसे प्रत्येक चरण पर ठोस कचरा प्रबंधन को प्रभावी और कुशलता में सुधार करने के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण के लिए गैर-सरकारी संगठनों/निजी क्षेत्र को सम्मिलित कर सहित उपाय लिये जाने चाहिए। स्थानीय निकायों तथा पंचायतों को बेहतर प्रबंधन करके अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार और साथ ही राजस्व जुटाने की क्षमता में सुधार करना चाहिए।	क्षमता निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और इसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तत्काल लिए जाने की आवश्यकता है। बोर्ड को क्षमता निर्माण के लिए पाठ्यक्रम चलाने में राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिए। राज्यों को 11 वीं योजना के अन्त तक जल प्रशुल्क में सुधार करना चाहिए। क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जारी रहेंगे। प्रशुल्क की समीक्षा की जाएगी।			
5.	ग्रामीण क्षेत्रों में, ठोस कचरे को संग्रहण तथा निपटान के लिए कोई यंत्रावली नहीं है। इसको स्थानीय पंचायतों में सम्मिलित कर विकासित किया जाना चाहिए।	सभी शहरी गांवों को दसरी योजना में शामिल किया जाएगा।	अन्य गांवों को ग्रामरहर्वी योजना के अंत तक शामिल किया जाएगा।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

S. No.	Policies/Proposals	10 th Plan (2002-2007)	11 th Plan (2007-2012)	12 th Plan (2012-2017)	13 th Plan (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
	Rs.3,467.47 crore by the year 2021 and for treatment of waste water, the investment would amount to Rs. 4,854.46 crores.				
SOLID WASTE MANAGEMENT					
1.	All the towns in NCR should prepare detailed Solid Waste Management Plan as per directions of the Ministry of Environment & Forests and Norms & Standards given in the Manual of CPHEEO, MOUD&PA.	Should be prepared immediately compliance by the respective State Governments.	Respective State governments to ensure the implementation of the Plan.	Respective State governments to ensure the implementation of the Plan.	Respective State governments to ensure the implementation of the Plan.
2.	Land for treatment/disposal of solid waste should be earmarked while preparing the Master/Development Plan for various towns/cities. The acquisition of these sites by the Development Authorities and Municipalities should form a compulsory element of the development programme and properly budgeted for in their Plan documents.	To be done immediately compliance by the respective State Governments.	To ensure the compliance by the respective State Governments.	To ensure the compliance by the respective State Governments.	To ensure the compliance by the respective State Governments.
3.	The policy of waste minimization through recycling /recovery of resources should be adopted- at least 50% of the Solid Waste generated should be disposed off through other treatment technologies like composting and the balance through sanitary landfill.	To be done immediately compliance by the respective State Governments.	To ensure the compliance by the respective State Governments.	To ensure the compliance by the respective State Governments.	To ensure the compliance by the respective State Governments.
4.	Institutional capacity building measures should be taken including involvement of NGO's/Private Sector to improve the efficiency and effectiveness of Solid waste management at each stage such as waste collection, transfer/transportation, treatment and disposal. Local bodies and Panchayats should improve their financial conditions through better financial management and should also improve the revenue generation capacities	Capacity building is a continuous process and is required to be taken up immediately by the respective State governments. The Board should help the State governments in conducting the courses for capacity building. States should improve water tariff by the end of 11th Plan. Training courses for capacity building to continue. Tariff to be reviewed.			
5.	In the rural areas, there is no mechanism for collection and disposal of solid waste. This should be developed by associating local Panchayats.	All the urban villages to be covered in Tenth Plan.	Other villages to be covered by the end of Eleventh Plan.	To ensure the compliance by the respective State Governments.	To ensure the compliance by the respective State Governments.

क्र.सं.	नीतियां/प्रस्ताव	10वीं योजना (2002-2007)		11वीं योजना (2007-2012)		12वीं योजना (2012-2017)		13वीं (2017-2021)		
		1	2	3	4	5	6			
6.	इस क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न कुल ठोस कचरा वर्ष 2021 तक लगभग 27,236 मै. टन प्रति दिन होगा और तदनुसार इसके लिए ठोस कचरे के संग्रहण, परिवहन तथा निपटान के लिए उचित प्रणाली विकसित किये जाने की ज़रूरत है जो कि पर्यावरण के अनुकूल तरीके से या तो उचित रूप से डिजाइन की गई सेनिटरी लैंडफिल अथवा अन्य शोधन पद्धतियों के जरिए की जानी चाहिए। इसके लिए वर्ष 2021 तक लगभग 1,361.81 करोड़ रुपये के कुल निवेश की आवश्यकता होगी।	कचरे के प्रबंधन के लिए 544.73 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है।	ठोस कचरे प्रबंधन के लिए 340.45 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है।	ठोस कचरे प्रबंधन के लिए 272.36 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है।	ठोस कचरे प्रबंधन के लिए 204.27 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है।					
जल-निकासी										
1.	शहरी जल-निकासी प्रणाली आंतरिक के साथ ही साथ बाहरी नालों के लिए पांच वर्ष अंतराल की अधिकतम वर्षा तथा मुख्य नाले दस वर्ष अंतराल के लिए डिजाइन की जानी चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तत्काल अपनाई जानी चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना।				
2.	क्षेत्र में वर्तमान/भवीत विकास तथा बस्ती पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय तथा राज्यान्वयन नालों की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एकीकृत क्षेत्रीय जल-निकासी योजना तथा जिला स्तर पर जल-निकासी महा योजनाएं तैयार किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय स्तर पर सभी संबंधित कार्यों का समन्वय एक एकल अभिकरण द्वारा किया जाना चाहिए।	जिला स्तर पर जल निकासी महा योजना संघटक राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए है और क्रम संख्या 1 पर जल की नीति में सूचित इस क्षेत्र में जल संसाधनों के ब्लू-प्रिंट का भाग होना चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।				
3.	बरसाती पानी के नालों में मल-जल बहाने, ठोस कचरा डालने, कीचड़ तथा अनधिकृत विकास/मलिन बस्ती मकानों को रोकने के उपाय किये जाने चाहिए।	इसको संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तत्काल कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।				
4.	इस क्षेत्र के लिए आवश्यक निवेश संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जाने वाले जिला स्तर जल-निकासी महा योजनाओं तथा उनकी एकीकृत क्षेत्रीय जल-निकासी योजना पर निर्भर होगा। निधि की आवश्यकता का प्रबंध संघटक राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई नहरों के समान जिला स्तर जल-निकासी महा योजनाओं के आधार पर किया जाएगा।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तत्काल कार्यान्वयन किया जाएगा।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।				

S. No.	Policies/Proposals	10 th Plan (2002-2007)	11 th Plan (2007-2012)	12 th Plan (2012-2017)	13 th Plan (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
6.	Total solid waste generation in the urban areas of the region would be about 27,236 MT/day by the year 2021 and accordingly there will be need to develop appropriate system for collection, transportation and disposal of solid waste in environmental friendly manner either through properly designed sanitary land filling or through other treatment methods. Total investment required for this would be about Rs.1,361.81 crores upto the year 2021.	Investment for solid waste management is estimated to be Rs. 544.73 crores.	Investment for solid waste management is estimated to be Rs. 340.45 crores.	Investment for solid waste management is estimated to be Rs. 272.36 crores.	Investment for solid waste management is estimated to be Rs. 204.27 crores.
DRAINAGE					
1.	Urban drainage system should be designed for maximum rainfall of five years frequency storm for internal as well as peripheral drains and ten years frequency storm for the main drains.	Should be adopted immediately by the respective State Governments.	To ensure the compliance by the respective State Governments.	To ensure the compliance by the respective State Governments.	To ensure the compliance by the respective State Governments.
2.	Integrated Regional Drainage Plan at the regional level and Drainage Master Plans at the District level should be prepared for enhancing the quality of regional and local drains taking into account the present/future development and settlement pattern in the region. All the related works at the regional level should be coordinated by a single agency.	Drainage Master Plans at the District level need to be prepared by the constituent State Governments and to be part of Blue print for water resources in the region indicated in policy at S. No. 1 of water.	Implementation and monitoring to be done by the respective State Governments.	Implementation and monitoring to be done by the respective State Governments.	Implementation and monitoring to be done by the respective State Governments.
3.	Measures should be taken to prevent the use of storm water drains for conveying sewage, dumping of solid wastes, sludge and unauthorized development/slum dwellings.	It should be implemented by the respective State Governments immediately.	Implementation and monitoring to be done by the respective State Governments.	Implementation and monitoring to be done by the respective State Governments.	Implementation and monitoring to be done by the respective State Governments.
4.	Investment required in this sector will depend upon the district Level drainage Master Plans to be prepared by the respective State governments and there Integrated Regional Drainage Plan. Provisions for fund requirement will have to be made by the constituent States on the basis of district level Drainage Master Plans on the same lines as for the irrigation channels.	To be implemented by the respective State Governments immediately.	Implementation and monitoring to be done by the respective State Governments.	Implementation and monitoring to be done by the respective State Governments.	Implementation and monitoring to be done by the respective State Governments.

क्र.सं.	नीतियां/प्रस्ताव	10वीं योजना (2002-2007)	11वीं योजना (2007-2012)	12वीं योजना (2012-2017)	13वीं (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
सिंचाई					
1.	क्षेत्र के अनुकूलतम जल संसाधनों उपयोग तथा मांग प्रबंधन के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन दृष्टिकोण की आवश्यकता है।	क्रम संख्या 1 पर जल की नीति क्षेत्र के जल संसाधनों के ब्लून्प्रिंट का भाग होगा।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।
2.	जल संसाधनों का संवर्धन बरसाती पानी के संग्रह (माइक्रो तथा मैक्रो) और शोधित गंदे पानी की रिसाइकिंग/पुनःउपयोग अपनाकर की जानी चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तत्काल कार्यान्वयित किया जाएगा।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।
3.	पानी की बचत के लिए छिड़काव/रिसाव सिंचाई को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पानी की उलब्धता के आधार पर फसल पैटर्न का निर्णय किया जाना चाहिए।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तत्काल कार्यान्वयित किया जाएगा।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन तथा निगरानी की जाएगी।

S. No.	Policies/Proposals	10 th Plan (2002-2007)	11 th Plan (2007-2012)	12 th Plan (2012-2017)	13 th Plan (2017-2021)
1	2	3	4	5	6
IRRIGATION					
	Integrated Water Resource Management Approach for the region is required for optimum water resources utilization and demand management.	It should form part of Blue print for water resources in the region indicated in policy at S. No. 1 of water.	Implementation and monitoring to be done by the respective State Governments.	Implementation and monitoring to be done by the respective State Governments.	Implementation and monitoring to be done by the respective State Governments.
	Augmentation of water resources should be done through adopting rain water harvesting (micro and macro) and recycling/reuse of treated waste water.	To be implemented by the respective State Governments immediately.	Implementation and monitoring to be done by the respective State Governments.	Implementation and monitoring to be done by the respective States.	Implementation and monitoring to be done by the respective States.
	Sprinkler/drip irrigation should be promoted to save water. Cropping pattern should be decided on the basis of availability of water.	It should be implemented by the respective State Governments immediately.	Implementation and monitoring to be done by the respective State Governments.	Implementation and monitoring to be done by the respective State Governments.	Implementation & monitoring to be done by the respective State Governments.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों में ठोस कचरे की स्थिति

क्र. सं.	उप-क्षेत्र/नगर	उत्पाद मात्रा (मै.टन/दैनिक)	संग्रहण केन्द्रों की संख्या	स्थानांतरण स्टेशनों की संख्या	निपटान के लिए जाने की औसत दूरी (कि.मी.)	लैडफिल रथलों की संख्या		अन्य साधनों द्वारा निपटान				
						पर्यावरण अनुकूल	पर्यावरण प्रतिकूल	कंपोसिटिंग	इंसिनरेशन	पैलटाइजेशन	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
हरियाणा												
1	फरीदाबाद	461	-	-	7.0	1	4	-	-	-	हाँ	
2	गुडगांव	74	-	-	6.0	-	3	-	-	-	हाँ	
3	बहादुरगढ़	34	-	-	4.0	-	2	-	-	-	हाँ	
4	पानीपत	106	-	-	5.0	-	3	-	-	-	हाँ	
5	रेवाड़ी	44	-	-	4.0	-	2	-	-	-	हाँ	
6	पलवल	29	-	-	3.0	-	2	-	-	-	हाँ	
7	रोहतक	111	-	-	6.0	-	3	-	-	-	हाँ	
8	सोनीपत	73	-	-	5.0	-	3	-	-	-	हाँ	
9	समालखा	10	-	-	3.0	-	1	-	-	-	हाँ	
10	गोहाना	16	-	-	2.0	-	2	-	-	-	हाँ	
11	गन्नोर	11	-	-	1.5	-	1	-	-	-	हाँ	
12	झज्जर	12	-	-	2.0	-	2	-	-	-	हाँ	
13	हेती मंडी	7	-	-	2.0	-	1	-	-	-	हाँ	
14	पटौदी	6	-	-	2.5	-	1	-	-	-	हाँ	
15	सोहना	8	-	-	1.5	-	1	-	-	-	हाँ	
16	होड़ेल	14	-	-	1.5	-	1	-	-	-	हाँ	
17	नूह	3	-	-	2.0	-	1	-	-	-	हाँ	
18	मेहम	8	-	-	1.5	-	1	-	-	-	हाँ	
19	बेवल	4	-	-	2.0	-	1	-	-	-	हाँ	
20	गांव कोसली	4	-	-	1.5	-	1	-	-	-	हाँ	
21	गांव कुंडली	3	-	-	1.5	-	1	-	-	-	हाँ	
22	गांव धारलहेडा	9	-	-	2.0	-	1	-	-	-	हाँ	
राजस्थान												
1	अलवर	45	1145	4	2.5	-	5	-	-	-	हाँ	
2	भिवाड़ी	3	-	3	1.0	-	4	-	-	-	हाँ	
3	खेंख्यत	4.4	-	1	-	-	1	-	-	-	हाँ	
4	बेहरोर	3.2	-	4	-	-	4	-	-	-	हाँ	
5	तिजारा	3	-	2	-	-	1	-	-	-	हाँ	
6	शाहजहानपुर	0.14	-	1	-	-	1	-	-	-	हाँ	

ANNEXURE 9/III

STATUS OF SOLID WASTE IN NCR TOWNS

S. No.	Sub-region/Town	Quantity produced (MT/day)	Number of Collection centres	Number of transfer stations	Average travel Distance for disposal (km)	Number of Landfill Sites		Disposal by other means			
						Environmental friendly	Non-environmental friendly	Composting	Incineration	Pellatisation	Others
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Haryana											
1	Faridabad	461	-	-	7.0	1	4	-	-	-	Yes
2	Gurgaon	74	-	-	6.0	-	3	-	-	-	Yes
3	Bahadurgarh	34	-	-	4.0	-	2	-	-	-	Yes
4	Panipat	106	-	-	5.0	-	3	-	-	-	Yes
5	Rewari	44	-	-	4.0	-	2	-	-	-	Yes
6	Palwal	29	-	-	3.0	-	2	-	-	-	Yes
7	Rohtak	111	-	-	6.0	-	3	-	-	-	Yes
8	Sonepat	73	-	-	5.0	-	3	-	-	-	Yes
9	Samalakha	10	-	-	3.0	-	1	-	-	-	Yes
10	Gohana	16	-	-	2.0	-	2	-	-	-	Yes
11	Gannaur	11	-	-	1.5	-	1	-	-	-	Yes
12	Jhajjar	12	-	-	2.0	-	2	-	-	-	Yes
13	Haily Mandi	7	-	-	2.0	-	1	-	-	-	Yes
14	Patudi	6	-	-	2.5	-	1	-	-	-	Yes
15	Sohna	8	-	-	1.5	-	1	-	-	-	Yes
16	Hodel	14	-	-	1.5	-	1	-	-	-	Yes
17	Nuh	3	-	-	2.0	-	1	-	-	-	Yes
18	Meham	8	-	-	1.5	-	1	-	-	-	Yes
19	Bawal	4	-	-	2.0	-	1	-	-	-	Yes
20	Village Kosli	4	-	-	1.5	-	1	-	-	-	Yes
21	Village Kundli	3	-	-	1.5	-	1	-	-	-	Yes
22	Village Dharuhera	9	-	-	2.0	-	1	-	-	-	Yes
Rajasthan											
1	Alwar	45	1145	4	2.5	-	5	-	-	-	Yes
2	Bhiwadi	3	-	3	1.0	-	4	-	-	-	Yes
3	Khairthal	4.4	-	1	-	-	1	-	-	-	Yes
4	Behror	3.2	-	4	-	-	4	-	-	-	Yes
5	Tijara	3	-	2	-	-	1	-	-	-	Yes
6	Shahjahanpur	0.14	-	1	-	-	1	-	-	-	Yes

क्र. सं.	उप-क्षेत्र/नगर	उत्पाद मात्रा (मैटन/देनिक)	संग्रहण केन्द्रों की संख्या	स्थानांतरण स्टेशनों की संख्या	निपटान के लिए जाने की औसत दूरी (कि.मी.)	लैंडफिल रथलों की संख्या		अन्य साधनों द्वारा निपटान			
						पर्यावरण अनुकूल	पर्यावरण प्रतिकूल	कंपोस्टिंग	इंसिनरेशन	पैलटाइजेसन	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तर प्रदेश											
1	गजियाबाद तथा लोनी	500	465	-	-	-	-	शून्य	शून्य	शून्य	-
2	मेरठ	580	60	22	-	शून्य	4 हापुड़ उपमार्ग आरटीओ कार्यालय के निकट हापुड़ रोड/दिल्ली रोड	शून्य	शून्य	शून्य	पुरानी ट्रेक से कुड़ा गिराना
3	सयाना	16	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	नगर पंचायत डासना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	मवाना	28	70	4	-	1	3	-	-	-	-
6	हापुड़	80	15	2	-	2	2	-	-	-	-
7	अनूपशहर	12	15	2	-	-	2	-	-	-	-
8	नगर पंचायत बुगरासी	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
9	शिकारुर	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	नगर पालिका बुलंदशहर	71	2	-	-	-	2	-	-	-	-
11	करखोड़ा	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
12	परीक्षित गढ़	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
13	बाबूगढ़	-	-	-	-	2 धसकन	-	-	-	-	-
14	नगर पंचायत फलवाड़ा	-	-	-	-	-	संयुक्त तालाब	-	-	-	-
15	पिलखुवा	28	17	7	-	-	3	-	-	-	-
16	नगर पंचायत भवन बहादुर नगर (बुलदशहर)	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
17	खेकड़ा	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
18	करनावल	-	-	-	-	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19	बरौत	40	-	-	-	3	-	-	-	-	-
20	बागपत	16	-	-	-	1	-	-	-	-	-
21	दौराला	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
22	नगर पंचायत दनकौर	-	-	-	-	4	0	-	-	-	-
23	गुलोआटी	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
24	मुरादनगर	32	-	-	-	3	-	-	-	-	-
25	नगर पंचायत सिवल खास	-	-	-	-	4	शून्य	-	-	-	-
26	हास्तिनापुर	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
27	छपरौली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

S. No.	Sub-region/Town	Quantity produced (MT/day)	Number of Collection centres	Number of transfer stations	Average travel Distance for disposal (km)	Number of Landfill Sites		Disposal by other means			
						Environmental friendly	Non-environmental friendly	Composting	Incineration	Pellatisation	Others
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uttar Pradesh											
1	Ghaziabad and Loni	500	465	-	-	-	-	Nil	Nil	Nil	-
2	Meerut	580	60	22	-	Nil	4 Hapur bypass Near RTO office Hapur road Delhi road	Nil	Nil	Nil	Dumping on old track
3	Sayana	16	Nil	Nil	-	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
4	Nagar Panchayat Dasna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mawana	28	70	4	-	1	3	x	x	x	-
6	Hapur	80	15	2	-	2	2	-	-	-	-
7	Anoopshahar	12	15	2	-	-	2	-	-	-	-
8	Nagar Panchayat Bugrasi	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
9	Shikarpur	16	4	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Nagar Palika Bulandshahr	71	2	-	-	-	2	-	-	-	-
11	Kharkhoda	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
12	Prikshit Garh	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
13	Babugarh	-	-	-	-	2 Depressions	-	-	-	-	-
14	Nagar Panchayat Phalwada	-	-	-	-	-	-	Combined Pond	-	-	-
15	Pilkhuwa	28	17	7	-	-	3	-	-	-	-
16	Nagar Panchayat B.B. Nagar (Bulandshahr)	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
17	Khekra	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
18	Karnawal	-	-	-	-	4	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
19	Baraut	40	-	-	-	3	-	-	-	-	-
20	Baghpat	16	-	-	-	1	-	-	-	-	-
21	Dourala	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
22	Nagar Panchayat Dankaur	-	-	-	-	4	0	-	-	-	-
23	Gulothi	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
24	Muradnagar	32	-	-	-	3	-	-	-	-	-
25	Nagar Panchayat Siwal Khas	-	-	-	-	4	Nil	-	-	-	-
26	Hastinapur	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
27	Chaproli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नगरों के लिए डी.ई.एल, स्विच क्षमता तथा प्रतीक्षा सूची की स्थिति

क्र. सं.	रा.सा.क्षे.नगर	दूरसंचार मंडल	स्थिति 31.07.2001 के अनुसार			स्थिति 30.08.2003 के अनुसार		
			स्विच क्षमता	डी.ई.एल.	प्रतीक्षा सूची	स्विच क्षमता	डी.ई.एल.	प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4	5	6	7	8	9
के.रा.सा.क्षे. नगर								
1	फरीदाबाद	हरियाणा	84,630	76,462	6,790	1,13,500	87,019	434
2	बल्लभगढ़	हरियाणा	18,500	16,814	927	23,000	17,912	0
3	बहादुरगढ़	हरियाणा	14,500	11,030	861	26,300	15,141	268
4	गुडगांव	हरियाणा	1,01,300	8,16,531	4,423	1,37,800	90,142	1,133
5	कोटुकुली	हरियाणा	2,500	2,132	225	6,600	3,010	0
6	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश(पश्चिम)	1,18,500	1,04,632	4,351	1,64,000	1,20,060	657
6अ.	गाजियाबाद डब्ल्यू.एल.एल.	उत्तर प्रदेश(पश्चिम)	--	--	--	1,000	750	0
7	नोएडा	उत्तर प्रदेश(पश्चिम)	95,256	81,900	350	1,25,756	9,33,441	501
7अ.	नोएडा डब्ल्यू.एल.एल.	उत्तर प्रदेश(पश्चिम)	--	--	--	4,000	3,259	0
8	लोनी	उत्तर प्रदेश(पश्चिम)	5,500	4,568	1,472	12,000	9,099	190
उप-योग			4,40,686	3,79,191	19,399	6,13,956	12,79,833	3,183
प्राथमिकता नगर								
9	रोहतक	हरियाणा	38,006	31,271	429	57,250	38,048	1,107
10	रेखाड़ी	हरियाणा	10,000	9,885	2,083	18,600	14,874	859
11	पलवल	हरियाणा	9,000	7,899	628	13,500	10,549	304
12	पानीपुर	हरियाणा	40,900	35,840	1,029	59,350	47,619	158
13	धारहरा	हरियाणा	1,500	1,445	421	3,800	2,558	170
14	मेरठ	उत्तर प्रदेश(पश्चिम)	94,000	79,632	2,808	1,11,000	80,887	978
14अ.	मेरठ डब्ल्यू.एल.एल.	उत्तर प्रदेश(पश्चिम)	--	--	--	5,000	1,429	625
15	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश(पश्चिम)	17,500	12,906	2,260	21,500	16,332	590
15अ.	बुलंदशहर डब्ल्यू.एल.एल.	उत्तर प्रदेश(पश्चिम)	--	--	--	1,000	310	0
16	खुर्जा	उत्तर प्रदेश(पश्चिम)	9,000	5,282	1,820	11,500	8,082	558
17	हापुड़	उत्तर प्रदेश(पश्चिम)	16,000	13,212	1,108	19,100	17,587	140
18	अलवर	राजस्थान	31,000	24,917	114	37,488	32,613	264
19	एमआईए-अलवर	राजस्थान	1,400	1,204	35	1,400	1,207	80
20	मियाड़ी	राजस्थान	6,000	4,362	233	9,600	8,196	57
21	सोनीपत		--	--	--	35,868	28,126	0
उप-योग			2,74,306	2,27,855	12,968	4,05,956	3,08,417	5,890
कार्डर-मैग्नेट नगर								
22	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	78,256	61,704	शून्य	91,992	74,096	0
23	पटियाला	पंजाब	57,000	52,851	368	71,000	53,326	265
24	पटियाला सैलूलर	पंजाब	--	--	--	10,400	8,958	0
25	हिसार	हरियाणा	37,500	29,164	857	55,250	37,046	521
26	कोटा	राजस्थान	58,000	51,069	शून्य	91,196	71,889	58
27	बरेली	उत्तर प्रदेश(पश्चिम)	49,500	44,794	1,320	71,900	54,502	494
उप-योग			2,80,256	2,39,582	2,545	3,91,738	2,99,817	1,338
कुल			9,95,248	8,46,628	34,912	14,11,650	18,88,067	10,411

STATUS OF DELS, SWITCH CAPACITY AND WAITING LIST FOR NCR TOWNS

S. No.	NCR Town	Telecom Circle	Status as on 31.07.2001			Status as on 30.08.2003		
			Switch Capacity	DEls	W/L	Switch Capacity	DEls	W/L
1	2	3	4	4	5	7	8	9
CNCR Town								
1	Faridabad	Haryana	84,630	76,462	6,790	1,13,500	87,019	434
2	Ballabgarh	Haryana	18,500	16,814	927	23,000	17,912	0
3	Bahadurgarh	Haryana	14,500	11,030	861	26,300	15,141	268
4	Gurgaon	Haryana	1,01,300	8,16,531	4,423	1,37,800	90,142	1,133
5	Kundli	Haryana	2,500	2,132	225	6,600	3,010	0
6	Ghaziabad	U.P. (west)	1,18,500	1,04,632	4,351	1,64,000	1,20,060	657
6a.	Ghaziabad WLL	U.P. (west)	--	--	--	1,000	750	0
7	Noida	U.P. (west)	95,256	81,900	350	1,25,756	9,33,441	501
7a.	Noida WLL	U.P. (west)	--	--	--	4,000	3,259	0
8	Loni	U.P. (west)	5,500	4,568	1,472	12,000	9,099	190
	Sub-total		4,40,686	3,79,191	19,399	6,13,956	12,79,833	3,183
Priority Town								
9	Rohtak	Haryana	38,006	31,271	429	57,250	38,048	1,107
10	Rewari	Haryana	10,000	9,885	2,083	18,600	14,874	859
11	Palwal	Haryana	9,000	7,899	628	13,500	10,549	304
12	Panipat	Haryana	40,900	35,840	1,029	59,350	47,619	158
13	Dharuhera	Haryana	1,500	1,445	421	3,800	2,558	170
14	Meerut	U.P. (west)	94,000	79,632	2,808	1,11,000	80,887	978
14a.	Meerut WLL	U.P. (west)	--	--	--	5,000	1,429	625
15	Bulandshahr	U.P. (west)	17,500	12,906	2,260	21,500	16,332	590
15a.	Bulandshahr WLL	U.P. (west)	--	--	--	1,000	310	0
16	Khurja	U.P. (west)	9,000	5,282	1,820	11,500	8,082	558
17	Hapur	U.P. (west)	16,000	13,212	1,108	19,100	17,587	140
18	Alwar	Rajasthan	31,000	24,917	114	37,488	32,613	264
19	MIA-Alwar	Rajasthan	1,400	1,204	35	1,400	1,207	80
20	Bhiwadi	Rajasthan	6,000	4,362	233	9,600	8,196	57
21	Sonepat		--	--	--	35,868	28,126	0
	Sub-total		2,74,306	2,27,855	12,968	4,05,956	3,08,417	5,890
Counter Magnet Town								
22	Gwalior	M.P.	78,256	61,704	Nil	91,992	74,096	0
23	Patiala	Punjab	57,000	52,851	368	71,000	53,326	265
24	Patiala Cel.	Punjab	--	--	--	10,400	8,958	0
25	Hissar	Haryana	37,500	29,164	857	55,250	37,046	521
26	Kota	Rajasthan	58,000	51,069	Nil	91,196	71,889	58
27	Bareilly	U.P. (west)	49,500	44,794	1,320	71,900	54,502	494
	Sub-total		2,80,256	2,39,582	2,545	3,91,738	2,99,817	1,338
	Total		9,95,248	8,46,628	34,912	14,11,650	18,88,067	10,411

रा.रा.क्षे. के नगरों में उपयोगिता संकलित सेवाओं (वैल्यू एडिड सर्विस) के प्रबंधन की स्थिति

क्र.सं.	रा.रा.क्षे. के नगर	इंटरनेट	पेजर	उपयोगिता संकलित सेवाएं (स्थिति 31.07.2001 के अनुसार)		
				सेल्युलर मोबाइल फोन	आई.एस.डी.एन.	डाटा आई-नेट
1	2	3	4	5	6	7
1	फरीदाबाद	ए	ए	ए	ए	ए
2	बल्लभगढ़	ए	ए	ए	ए	-
3	बहातुरगढ़	ए	ए	ए	ए	एक्स
4	गुड़ांव	ए	ए	ए	ए	ए
5	रोहतक	ए	ए	ए	ए	ए
6	रेवाड़ी	ए	ए	ए	ए	एक्स
7	पलवल	ए	ए	ए	ए	एक्स
8	पानीपत	ए	ए	ए	ए	एक्स
9	धारहरेड़ा	ए	ए	ए	ए	एक्स
10	कुंडली	ए	ए	ए	एक्स	एक्स
11	गाजियाबाद	ए	ए	ए	ए	ए
12	नोएडा	ए	ए	ए	ए	ए
13	लोनी	ए	ए	ए	ए	ए
14	मेरठ	ए	ए	ए	ए	ए
15	बुलंदशहर	ए	ए	ए	ए	ए
16	खुर्जा	ए	ए	ए	ए	ए
17	हापुड़	ए	ए	ए	ए	ए
18	अलवर	ए	एक्स	एक्स	एक्स	ए
19	एम.आई.ए.-अलवर	ए	एक्स	एक्स	एक्स	ए
20	भिवाड़ी	ए	एक्स	एक्स	एक्स	ए
21	ग्वालियर	ए	ए	ए	ए	ए
22	पटियाला	ए	ए	ए	ए	ए
23	हिसार	ए	ए	ए	ए	एक्स
24	कोटा	ए	ए	ए	ए	ए
25	बरेली	ए	ए	ए	ए	ए

संकेत:

ए- सुविधा उपलब्ध है।
एक्स- सुविधा उपलब्ध नहीं है।

STATUS OF PROVISION OF VALUE ADDED SERVICES IN THE NCR TOWNS

S. No.	Value Added Services (status as on 31.07.2001)					
	NCR Town	Internet	Pager	Cellular Mobile Phone	ISDN	Data I-Net
1	2	3	4	5	6	7
1	Faridabad	A	A	A	A	A
2	Ballabgarh	A	A	A	A	
3	Bahadurgarh	A	A	A	A	X
4	Gurgaon	A	A	A	A	A
5	Rohtak	A	A	A	A	A
6	Rewari	A	A	A	A	X
7	Palwal	A	A	A	A	X
8	Panipat	A	A	A	A	X
9	Dharuhera	A	A	A	A	X
10	Kundli	A	A	A	X	X
11	Ghaziabad	A	A	A	A	A
12	Noida	A	A	A	A	A
13	Loni	A	A	A	A	A
14	Meerut	A	A	A	A	A
15	Bulandshahr	A	A	A	A	A
16	Khurja	A	A	A	A	A
17	Hapur	A	A	A	A	A
18	Alwar	A	X	X	X	A
19	MIA-Alwar	A	X	X	X	A
20	Bhiwadi	A	X	X	X	A
21	Gwalior	A	A	A	A	A
22	Patiala	A	A	A	A	A
23	Hissar	A	A	A	A	X
24	Kota	A	A	A	A	A
25	Bareilly	A	A	A	A	A

Note:

A - Facility available

X - Facility not available

दूरसंचार के लिए निधि की आवश्यकता

क्र. सं.	रा.रा.क्षे. नगर	दूरसंचार मंडल	2001		2006			2011		
			आबादी (व्यक्ति)	टेली-घनत्व	आबादी (व्यक्ति)	आवश्यक नई लाइने	आवश्यक निवेश (रुपए में)	आबादी (व्यक्ति)	आवश्यक नई लाइने	आवश्यक निवेश (रुपए में)
के.रा.रा.क्षे. के भीतर मेट्रो तथा क्षेत्रीय केन्द्र										
1	फरीदाबाद	हरियाणा	10,54,981	8.84	14,28,377	70,987	19,16,657	18,01,772	42,940	11,59,393
2	बहादुरगढ़	हरियाणा	1,31,924	8.36	2,18,002	14,040	3,79,085	3,04,079	9,899	2,67,271
3	गुडगांव	हरियाणा	2,29,243	35.62	3,07,994	-46,234	0	3,86,744	-37,177	0
4	कोडली	हरियाणा	0	-2,132	0	..	-2,132	0
5	गाजियाबाद	उ.प्र.(पश्चिम)	9,68,521	10.80	14,00,740	56,453	15,24,232	18,32,958	49,705	13,42,038
6	नोएडा	उ.प्र.(पश्चिम)	2,93,908	27.87	4,41,745	-31,099	0	5,89,581	-14,098	0
7	लोनी	उ.प्र.(पश्चिम)	1,20,659	3.79	2,59,430	25,266	6,82,193	3,98,200	15,959	4,30,882
	उप-योग		27,99,236	13.55	40,56,285	1,66,747	45,02,166	53,13,334	1,18,503	31,99,585
के.रा.रा.क्षे. के बाहर मेट्रो तथा क्षेत्रीय केन्द्र										
1	रोहतक	हरियाणा	5,16,624	6.05	6,04,511	38,248	10,32,688	6,92,397	10,107	2,72,888
2	रेवाड़ी	हरियाणा	1,36,305	7.25	1,65,732	9,174	2,47,701	1,95,158	3,384	91,369
3	पलवल	हरियाणा	1,00,528	7.86	1,35,664	7,702	2,07,964	1,70,800	4,041	1,09,097
4	पानीपत	हरियाणा	2,91,521	12.29	3,48,495	4,237	1,14,395	4,05,468	6,552	1,76,903
5	धारौहेड़ा	हरियाणा	1,00,946	1.43	1,18,099	12,136	3,27,681	1,35,251	1,973	53,259
6	मेरठ	उ.प्र.(पश्चिम)	16,76,271	4.75	19,38,706	1,43,319	38,69,618	22,01,141	30,180	8,14,861
7	बुलंदशहर	उ.प्र.(पश्चिम)	1,76,256	7.32	2,10,243	11,272	3,04,341	2,44,229	3,908	1,05,528
8	खुर्जा	उ.प्र.(पश्चिम)	98,403	5.37	1,09,492	7,310	1,97,357	1,20,580	1,275	34,430
9	हापुड़	उ.प्र.(पश्चिम)	2,11,987	6.23	2,59,617	16,644	4,49,387	3,07,247	5,477	1,47,891
10	अलवर	राजस्थान	2,65,850	9.83	3,01,085	8,504	2,29,602	3,36,320	4,052	1,09,405
11	भिवाड़ी	राजस्थान	33,830	12.89	54,353	1,889	50,991	74,875	2,360	63,722
	उप-योग		36,08,521	6.31	42,45,994	2,60,434	70,31,725	48,83,466	73,309	19,79,352
	कुल		64,07,757	9.47	83,02,279	3,47,716	1,15,33,891	1,01,96,800	2,17,870	51,78,937

नोट:

प्रस्तावित टेली-घनत्व (टेलीफोनों की संख्या/100 व्यक्ति): 11.5

REQUIREMENT OF FUNDS FOR TELECOMMUNICATIONS

S. No	NCR Town	Telecom Circle	2001		2006			2011		
			Population (Person)	Tel-density	Population (Person)	New Lines Required	Investment Required (in Rs.)	Population (Person)	New Lines Required	Investment Required (in Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Metro and Regional Centres within Central NCR										
1	Faridabad	Haryana	10,54,981	8.84	14,28,377	70,987	19,16,657	18,01,772	42,940	11,59,393
2	Bahadurgarh	Haryana	1,31,924	8.36	2,18,002	14,040	3,79,085	3,04,079	9,899	267,271
3	Gurgaon	Haryana	2,29,243	35.62	3,07,994	-46,234	0	3,86,744	-37,177	0
4	Kundli	Haryana	--	--	0	-2,132	0	--	-2,132	0
5	Ghaziabad	U.P. (west)	9,68,521	10.80	14,00,740	56,453	15,24,232	18,32,958	49,705	13,42,038
6	Noida	U.P. (west)	2,93,908	27.87	4,41,745	-31,099	0	5,89,581	-14,098	0
7	Loni	U.P. (west)	1,20,659	3.79	2,59,430	25,266	6,82,193	3,98,200	15,959	4,30,882
		Sub-total	27,99,236	13.55	40,56,285	1,66,747	45,02,166	53,13,334	1,18,503	31,99,585
Metro and Regional Centres outside Central NCR										
1	Rohtak	Haryana	5,16,624	6.05	6,04,511	38,248	10,32,688	6,92,397	10,107	2,72,888
2	Rewari	Haryana	1,36,305	7.25	1,65,732	9,174	2,47,701	1,95,158	3,384	91,369
3	Palwal	Haryana	1,00,528	7.86	1,35,664	7,702	2,07,964	1,70,800	4,041	1,09,097
4	Panipat	Haryana	2,91,521	12.29	3,48,495	4,237	1,14,395	4,05,468	6,552	1,76,903
5	Dharuhera	Haryana	100,946	1.43	1,18,099	12,136	3,27,681	1,35,251	1,973	53,259
6	Meerut	U.P. (west)	16,76,271	4.75	19,38,706	1,43,319	38,69,618	22,01,141	30,180	8,14,861
7	Bulandshahr	U.P. (west)	1,76,256	7.32	2,10,243	11,272	3,04,341	2,44,229	3,908	1,05,528
8	Khurja	U.P. (west)	98,403	5.37	1,09,492	7,310	1,97,357	1,20,580	1,275	34,430
9	Hapur	U.P. (west)	2,11,987	6.23	2,59,617	16,644	4,49,387	3,07,247	5,477	1,47,891
10	Alwar	Rajasthan	2,65,850	9.83	3,01,085	8,504	2,29,602	3,36,320	4,052	1,09,405
11	Bhiwadi	Rajasthan	33,830	12.89	54,353	1,889	50,991	74,875	2,360	63,722
		Sub-total	36,08,521	6.31	42,45,994	2,60,434	70,31,725	48,83,466	73,309	19,79,352
		Total	64,07,757	9.47	83,02,279	3,47,716	1,15,33,891	1,01,96,800	2,17,870	51,78,937

Note:

Proposed Tele-density (Number of Telephones/100 persons): 11.5

2021 विभिन्न क्षेत्रों की नीतियां और कार्यनीतियां

क्र.सं.	क्षेत्र	क्षेत्रीय नीति	कार्यनीतियां	उत्तरदायी अभिकरण																																																											
1	2	3	4	5																																																											
1.	जनसांख्यिकीय सेटलमेंट पैटर्न	और चुनी गई बस्तियों को आर्थिक आधार और अवसंरचना को प्रबंधित करवा कर दिल्ली की विकास तरंगों का प्रसार समग्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक करना, छोटे व मध्यम नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकासित करना, प्रभावशाली परिवहन प्रणाली प्रबंधित करना, तर्काधार भूमि का उपयोग करना, निजी भागीदारी को प्राप्ताहित करना आदि।	<p>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संतुलित वृद्धि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नगरों को विकास के लिए प्राथमिकता दी जाती है। 2011 और 2021 के लिए उनका जनसंख्या निर्धारण तथा उनका भावी आर्थिक आधार निम्नवत होगा:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">नगर/परिसर</th> <th colspan="2">जनसंख्या (लाख में)</th> </tr> <tr> <th>2011</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>फरीदाबाद-बल्लभगढ़</td> <td>16.00</td> <td>25.00</td> </tr> <tr> <td>गुडगांव-मानेसर</td> <td>4.50</td> <td>16.50</td> </tr> <tr> <td>गाजियाबाद-लोनी</td> <td>19.00</td> <td>30.19</td> </tr> <tr> <td>नोएडा</td> <td>6.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>सोनीपत-कुंडली</td> <td>3.50</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>वृहत नोएडा</td> <td>7.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>मेरठ</td> <td>15.00</td> <td>22.00</td> </tr> <tr> <td>बहादुरगढ़</td> <td>2.00</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>पानीपत</td> <td>3.60</td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td>रोहतक</td> <td>4.20</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>पलवल</td> <td>1.70</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>रेवाड़ी-धारुहेड़ा-बावल</td> <td>2.00</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>हापुङ-पिलखुआ</td> <td>3.00</td> <td>4.50</td> </tr> <tr> <td>बुलंदशहर-खुर्जा</td> <td>3.70</td> <td>4.77</td> </tr> <tr> <td>बागपत-बरौत</td> <td>1.60</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>अलवर</td> <td>3.40</td> <td>4.50</td> </tr> <tr> <td>वृहत भिवाड़ी</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>शाहजहानपुर-नीमराना-बेरोर</td> <td>1.00</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>उप-क्षेत्रीय स्तर पर, ग्रामीण सहित बस्तियों का वर्गीकरण विस्तृत विवरण किया जाएगा।</p>	नगर/परिसर	जनसंख्या (लाख में)		2011	2021	फरीदाबाद-बल्लभगढ़	16.00	25.00	गुडगांव-मानेसर	4.50	16.50	गाजियाबाद-लोनी	19.00	30.19	नोएडा	6.00	12.00	सोनीपत-कुंडली	3.50	10.00	वृहत नोएडा	7.00	12.00	मेरठ	15.00	22.00	बहादुरगढ़	2.00	3.00	पानीपत	3.60	7.00	रोहतक	4.20	6.00	पलवल	1.70	4.00	रेवाड़ी-धारुहेड़ा-बावल	2.00	4.00	हापुङ-पिलखुआ	3.00	4.50	बुलंदशहर-खुर्जा	3.70	4.77	बागपत-बरौत	1.60	3.00	अलवर	3.40	4.50	वृहत भिवाड़ी	1.00	3.00	शाहजहानपुर-नीमराना-बेरोर	1.00	3.00	<p>संबंधित विकास प्राधिकरण जनसंख्या निर्धारण के आधार पर विकास योजना तैयार करेंगे तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के साथ परामर्श से दस वर्षों के बाद इसी की समीक्षा करेंगे और उनके महा/विकास योजनाओं को क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों को सम्मिलित करने को सुनिश्चित करेंगे।</p>
नगर/परिसर	जनसंख्या (लाख में)																																																														
	2011	2021																																																													
फरीदाबाद-बल्लभगढ़	16.00	25.00																																																													
गुडगांव-मानेसर	4.50	16.50																																																													
गाजियाबाद-लोनी	19.00	30.19																																																													
नोएडा	6.00	12.00																																																													
सोनीपत-कुंडली	3.50	10.00																																																													
वृहत नोएडा	7.00	12.00																																																													
मेरठ	15.00	22.00																																																													
बहादुरगढ़	2.00	3.00																																																													
पानीपत	3.60	7.00																																																													
रोहतक	4.20	6.00																																																													
पलवल	1.70	4.00																																																													
रेवाड़ी-धारुहेड़ा-बावल	2.00	4.00																																																													
हापुङ-पिलखुआ	3.00	4.50																																																													
बुलंदशहर-खुर्जा	3.70	4.77																																																													
बागपत-बरौत	1.60	3.00																																																													
अलवर	3.40	4.50																																																													
वृहत भिवाड़ी	1.00	3.00																																																													
शाहजहानपुर-नीमराना-बेरोर	1.00	3.00																																																													
2.	आर्थिक आधार	<ul style="list-style-type: none"> समग्र रूप से क्षेत्र के लिए एकीकृत नीति का उप-क्षेत्रीय स्तर पर पालन किया जायेगा ताकि तीव्र आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करके क्षेत्रीय योजना-2021 के व्यापक उद्देश्यों क्षेत्रीय योजना-2021 में परिकल्पित नीति से उप-क्षेत्रीय/जिला स्तर/नगर स्तर पर प्रस्तावों/कार्यनीतियों/कार्य योजनाओं का क्रमवेशन स्थापित किया जाना चाहिए। 	<ul style="list-style-type: none"> संबंधित राज्य की रा.रा.क्षे. कक्ष बोर्ड के साथ परामर्श और अनुमोदन से उप-क्षेत्रीय योजना तैयार करेंगे। संबंधित राज्य की रा.रा.क्षे. कक्ष बोर्ड के साथ परामर्श और अनुमोदन से उप-क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय योजना-2021 की व्यापक नीतियों को सम्मिलित करेंगे। 																																																												

POLICIES AND STRATEGIES OF VARIOUS SECTORS 2021

S. No.	Sector	Sector Policy	Strategies	Agency Responsible																																																											
1	2	3	4	5																																																											
1.	Demography and settlement pattern	Spread of the developmental impulse of Delhi to whole of NCR by providing economic base and infrastructure to selected urban settlements, developing small & medium towns and rural areas, providing effective transportation system, rationalizing use of land, encouraging private participation, etc.	<p>The following towns are prioritized for development to achieve balanced growth in NCR. Their population assignments for 2011 and 2021 and their future economic base will be as follows:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Town/Complex</th> <th colspan="2">Population (in lakhs)</th> </tr> <tr> <th>2011</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Faridabad-Ballabgarh</td><td>16.00</td><td>25.00</td></tr> <tr><td>Gurgaon-Manesar</td><td>4.50</td><td>16.50</td></tr> <tr><td>Ghaziabad-Loni</td><td>19.00</td><td>30.19</td></tr> <tr><td>NOIDA</td><td>6.00</td><td>12.00</td></tr> <tr><td>Sonepat-Kundli</td><td>3.50</td><td>10.00</td></tr> <tr><td>Greater NOIDA</td><td>7.00</td><td>12.00</td></tr> <tr><td>Meerut</td><td>15.00</td><td>22.00</td></tr> <tr><td>Bahadurgarh</td><td>2.00</td><td>3.00</td></tr> <tr><td>Panipat</td><td>5.00</td><td>7.00</td></tr> <tr><td>Rohtak</td><td>4.20</td><td>6.00</td></tr> <tr><td>Palwal</td><td>1.70</td><td>4.00</td></tr> <tr><td>Rewari-Dharuhera-Bawal</td><td>2.00</td><td>4.00</td></tr> <tr><td>Hapur-Pilkhuwa</td><td>3.00</td><td>4.50</td></tr> <tr><td>Bulandshahr-Khurja</td><td>3.70</td><td>4.77</td></tr> <tr><td>Baghpat-Baraut</td><td>1.60</td><td>3.00</td></tr> <tr><td>Alwar</td><td>3.40</td><td>4.50</td></tr> <tr><td>Greater Bhiwadi</td><td>1.00</td><td>3.00</td></tr> <tr><td>Shahjahanpur-Neemrana-Behrur</td><td>1.00</td><td>3.00</td></tr> </tbody> </table> <p>At the Sub-regional level, the hierarchy of settlements including rural clusters will be detailed out.</p>	Town/Complex	Population (in lakhs)		2011	2021	Faridabad-Ballabgarh	16.00	25.00	Gurgaon-Manesar	4.50	16.50	Ghaziabad-Loni	19.00	30.19	NOIDA	6.00	12.00	Sonepat-Kundli	3.50	10.00	Greater NOIDA	7.00	12.00	Meerut	15.00	22.00	Bahadurgarh	2.00	3.00	Panipat	5.00	7.00	Rohtak	4.20	6.00	Palwal	1.70	4.00	Rewari-Dharuhera-Bawal	2.00	4.00	Hapur-Pilkhuwa	3.00	4.50	Bulandshahr-Khurja	3.70	4.77	Baghpat-Baraut	1.60	3.00	Alwar	3.40	4.50	Greater Bhiwadi	1.00	3.00	Shahjahanpur-Neemrana-Behrur	1.00	3.00	<p>The concerned Development Authorities will prepare the Development Plan based on the Population assignments and review the same after ten years in consultation with the NCRPB and ensure incorporation of policies of Regional Plan-2021 in their Master/Development Plans.</p> <p>The NCR Cells of the concerned State will prepare the Sub-regional Plan in consultation and with approval of the Board.</p>
Town/Complex	Population (in lakhs)																																																														
	2011	2021																																																													
Faridabad-Ballabgarh	16.00	25.00																																																													
Gurgaon-Manesar	4.50	16.50																																																													
Ghaziabad-Loni	19.00	30.19																																																													
NOIDA	6.00	12.00																																																													
Sonepat-Kundli	3.50	10.00																																																													
Greater NOIDA	7.00	12.00																																																													
Meerut	15.00	22.00																																																													
Bahadurgarh	2.00	3.00																																																													
Panipat	5.00	7.00																																																													
Rohtak	4.20	6.00																																																													
Palwal	1.70	4.00																																																													
Rewari-Dharuhera-Bawal	2.00	4.00																																																													
Hapur-Pilkhuwa	3.00	4.50																																																													
Bulandshahr-Khurja	3.70	4.77																																																													
Baghpat-Baraut	1.60	3.00																																																													
Alwar	3.40	4.50																																																													
Greater Bhiwadi	1.00	3.00																																																													
Shahjahanpur-Neemrana-Behrur	1.00	3.00																																																													
2.	Economic Base	<ul style="list-style-type: none"> Integrated policy for the region as a whole should be pursued at the sub-regional level so as to effectuate the broader objectives of the Regional Plan-2021 by fostering rapid economic growth and achieving balanced 	<ul style="list-style-type: none"> The proposals/strategies/action plans at the sub-regional/ district level/town level should be dovetailed from the policy envisaged in the Regional Plan-2021. 	<p>The NCR Cells of the concerned State will incorporate the broad policies of Regional Plan-2021 at sub-regional level in consultation and with approval of the Board.</p>																																																											

क्र.सं.	क्षेत्र	क्षेत्रीय नीति	कार्यनीतियां	उत्तरदायी अभिकरण
1	2	3	4	5
		<p>को कार्यान्वयित किया जा सके।</p> <ul style="list-style-type: none"> क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के मूल रूप का कृषि और पूर्व-आौद्योगिक से अधिक विविधता में बदलाव करना। अभिज्ञात नीति जोनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए एक संतुलित नीति अपनाना। 		राज्य सरकार नीति भी 2021 की नीति के अनुसार होगी।
i)	उद्योग	<ul style="list-style-type: none"> उद्योगों का विकेन्द्रीकरण 	<u>एन.सी.टी.-दिल्ली के लिए</u> <ul style="list-style-type: none"> विपणन से संबंधित और/अथवा उपभोक्ता जरूरतें मुहैया करने वाले उद्योगों को दिल्ली में अनुमति दी जाएगी केवल उच्च-प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों को दिल्ली में अनुमति दी जाएगी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में, निम्न-प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों को उच्च-प्रौद्योगिकी उद्योगों में परिवर्तित करना तथा जो यह करने में असमर्थ हैं को निश्चित समय के अंदर बंद कर दी जाएगी <u>के.रा.सा.क्षे. के क्षेत्रों के लिए</u> <ul style="list-style-type: none"> कोई खतरनाक/प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों को फलने-फूलने देने की अनुमति दी जानी चाहिए 1986 से पूर्व मौजूद उद्योगों को ईपीए, 1986 के अनुरूप होना चाहिये <u>शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए</u> <ul style="list-style-type: none"> प्राथमिकता विकास के लिए चुने गए सभी नगरों में एक मजबूत औद्योगिक आधार होना चाहिए तथा इकाईयों को उद्योग स्थापित करने हेतु उपयुक्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। नगरों के स्थानीय विकास प्राधिकरण अवसंरचना सुविधाओं के साथ पर्याप्त औद्योगिक क्षेत्रों के लिए योजनाएं तैयार करेंगे। 	संबंधित राज्यों के राज्य औद्योगिक विभाग, स्थानीय विकास प्राधिकरण तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
ii)	थोक व्यापार और वाणिज्य	<ul style="list-style-type: none"> थोक व्यापार उपयोग के तरीके और सेवाओं को प्राप्त करने वाले क्षेत्र पर आधारित होना चाहिए। 	<u>एन.सी.टी.-दिल्ली के लिए</u> <ul style="list-style-type: none"> दिल्ली में थोक व्यापार के लिए कोई प्राथमिकता सलक अथवा निम्न कर नहीं दिया जाना चाहिए। दिल्ली में कोई नया थोक बाजार स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। <u>के.रा.सा.क्षे. के क्षेत्रों के लिए</u> <ul style="list-style-type: none"> ऐसे सामान जिनके लिए पीवीसी सामान, रसायन, लकड़ी, लौह एवं इस्पात, खाद्यान्न, भवन सामग्रियां जैसे वस्तुएं जिनको थोक व्यवहार की आवश्यकता है तथा वस्तुएं जो स्वरूप में खतरनाक हैं। <u>शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए</u> <ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्दर प्रस्तावित व्यापार केन्द्रों का बढ़ावा तथा विकास गतिशील करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। 	विक्री कर विभाग, एन.सी.टी.-दिल्ली सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपनी दिल्ली की महा योजना-2021 में इन मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। स्थानीय विकास प्राधिकारणें अपनी संबंधित महा योजनाओं में प्रावधान को सुनिश्चित करेंगी तथा उनके लिए अवसंरचना मुहैया कराएंगी। संबंधित राज्य सरकार सूचीबद्ध शहरों में ऐसे व्यापार केन्द्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त

S. No.	Sector	Sector Policy	Strategies	Agency Responsible
1	2	3	4	5
		<p>development of the region.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Change basic character of regional economy from the agricultural and pre- industrial to more diversified one. • A balanced policy for development of economic activities should be adopted in NCR for identified policy zones. 		The State Government Policy will also be in coterminous with the policy of Regional Plan-2021
i)	Industry	<ul style="list-style-type: none"> • Decentralization of industries 	<p>For <u>NCT-Delhi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Only those industries related to marketing and/or providing consumer needs will be allowed in Delhi • Only hi-tech industries should be allowed in Delhi • In the existing industrial areas, low-tech industries should be converted into hi-tech and those which are unable should be phased out within reasonable time <p>For <u>CNCR areas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • No hazardous/ polluting industries should be allowed • Hi-tech industries should be allowed to flourish • Industries existing before 1986 will conform to EPA, 1986 <p>For rest of NCR</p> <ul style="list-style-type: none"> • All towns selected for priority development should have a strong industrial base and appropriate incentives should be given for setting of units • Local development authorities of the towns will prepare plans for adequate industrial areas along with infrastructure facilities 	<p>State Industrial departments, local development authorities and State Pollution Control Boards of the respective States.</p>
ii)	Wholesale Trade and Commerce	<ul style="list-style-type: none"> • Wholesale trade based upon nature of use and catchments to be served. 	<p>For <u>NCT-Delhi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • No preferential treatment or low taxes to be given for wholesale trade in Delhi • No new wholesale market should be established in Delhi <p>For <u>CNCR areas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Commodities which require bulk handling such as PVC goods, chemicals, timber, iron & steel, food grains, building materials and commodities which are hazardous in nature. <p>For rest of NCR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adequate incentives should be given in order to encourage and accelerate growth of trade centres as proposed below within 	<p>Sales Tax Department, GNCTD</p> <p>Delhi Development Authority in its MPD-2021 should address this issue adequately.</p> <p>Local development authorities will ensure to make provision in their respective master plans, and provide infrastructure thereof.</p> <p>Concerned State Government will provide adequate incentives for establishing such trade centres in</p>

क्र.सं.	क्षेत्र	क्षेत्रीय नीति	कार्यनीतियां	उत्तरदायी अभिकरण
1	2	3	4	5
				प्रोत्साहन मुहैया करायेंगी तथा स्थानीय विकास प्राधिकरण अपनी संबधित महायोजनाओं में प्रावधान सुनिश्चित करेंगे तथा उनके लिए अवस्थापना उपलब्ध करायेंगे।
iii)	सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र तथा वाणिज्यिक/निगमित कार्यालय	<ul style="list-style-type: none"> कार्यों के स्वरूप और उनके महत्व के आधार पर कार्यालयों को पुनःस्थापित किया जाना चाहिए। 	<u>एन.सी.टी.-दिल्ली के लिए</u> <ul style="list-style-type: none"> केन्द्र सरकार के केवल वह कार्यालय जो जिनको मंत्रालयिक, विज्ञप्ति प्रकार्यों को करना पड़ता है राष्ट्रीय राजधानी के अन्दर रहेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित अन्य सभी कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। नए विकसित समुदाय, जिला या उप शहर और शहर केन्द्रों में नए कार्यालय स्थान सुजित नहीं किये जाने चाहिए। भूमि के अनधिकृत बदलाव/भवन उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। <p><u>के.रा.रा.क्षे. के क्षेत्रों के लिए</u></p> <ul style="list-style-type: none"> सरकारी कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिन्हें मंत्रालयिक, विज्ञप्ति, संपर्क प्रकार्य करने होते हैं जिन्हें इसके लिए दिल्ली में ही रहना जरूरी है, को ही पुनःस्थापन अथवा विस्तार में अनुमति दी जानी चाहिए। <p><u>शेष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए</u></p> <ul style="list-style-type: none"> केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिन्हें दिल्ली से स्थानांतरित करने हेतु चयनित किया गया है को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसी अन्य नगर में स्थित किया जाना चाहिए। 	<p>शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।</p> <p>शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम।</p> <p>शहरी विकास मंत्रालय तथा सभी स्थानीय प्राधिकरण।</p> <p>शहरी विकास मंत्रालय तथा सभी स्थानीय प्राधिकरण।</p>
iv)	अन्य आर्थिक गतिविधियां	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को सांझा आर्थिक जोन(सी.ई.जेड.) बनाना। 	<ul style="list-style-type: none"> कर संरचना को युक्तिसंगत बनाना समान वित्तीय/बैंकिंग सेवाओं को विस्तृत करना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों के बीच टैक्सियों और आटो रिक्शाओं के अन्तर्राज्यीय आवागमन प्रतिबंध हटाना एक समान दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करना 	<p>वित्त मंत्रालय और राज्य वित्त विभाग।</p> <p>वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक।</p> <p>जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राज्य परिवहन विभाग।</p> <p>संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</p>

S. No.	Sector	Sector Policy	Strategies	Agency Responsible
1	2	3	4	5
			NCR.	the listed cities and the local development authorities will ensure to make provision in their respective Master Plans, and provide infrastructure thereof.
iii)	Government/ Public Sector and Commercial/ Corporate Offices	<ul style="list-style-type: none"> • Relocate offices based upon nature of working and its importance. 	<p>For <u>NCT-Delhi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Only those central government offices which perform ministerial, protocol functions will be within national capital. All other offices including public sector offices should be shifted from Delhi • No new office spaces should be created in newly developed community, district or sub city and city centres. • No unauthorized change of land/ building use should be allowed. <p>For <u>CNCR areas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Relocation or expansion of government offices/ PSUs which need to perform ministerial, protocol, liaisoning functions which make it incumbent upon them to be located in Delhi alone, should be allowed in CNCR. <p>For <u>rest of NCR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • All Central government offices and PSUs which are considered for shifting from Delhi should be located in any other town of NCR. 	<p>Ministry of Urban Development, GoI.</p> <p>Ministry of Urban Development, GoI, Delhi Development Authority and MCD.</p> <p>Ministry of Urban Development and all local authorities.</p> <p>Ministry of Urban Development and all local authorities.</p>
iv)	Other Economic Activities	<ul style="list-style-type: none"> • To make NCR as Common Economic Zone (CEZ). 	<ul style="list-style-type: none"> • Rationalization of tax structure • Extending Uniform Financial/Banking services • Removing the restrictions on Inter-State movement of taxis and auto rickshaws among NCR States • Providing uniform telecom facilities 	<p>Ministry of Finance and State Finance departments.</p> <p>Ministry of Finance and Reserve Bank of India</p> <p>Ministry of Shipping, Road Transport and Highways and State transport departments.</p> <p>Ministry of Communications and Information Technology.</p>

क्र.सं.	क्षेत्र	क्षेत्रीय नीति	कार्यनीतियां	उत्तरदायी अभिकरण
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> एक समान विद्युत आपूर्ति प्रबंध करना एकीकृत शिक्षा नीति एकीकृत कानून व व्यवस्था यंत्रावली 	<p>विद्युत मंत्रालय, कैन्ट्रीय विद्युत प्राधिकरण और राज्य विद्युत बोर्ड।</p> <p>मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा राज्य शिक्षा विभाग।</p> <p>गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस विभाग।</p>
3.	ग्रामीण विकास	<ul style="list-style-type: none"> कम विकसित जिलों की पहचान की जानी चाहिए तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नगरों के थोक व्यापार वितरण कारोबार के विसर्जन को समर्थक बनाने हेतु कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम के समानांतर सांझा "विशिष्ट वस्तु विपणन अधिनियम" विकसित कर के पर्याप्त कृषि विपणन प्रबंधित कराकर और कृषि-आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के जरिए से प्रेरित विकास से कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भागीदारी राज्यों के संबंधित क्षेत्र के लिए उप-क्षेत्रीय योजना में न केवल क्षेत्रीय योजना-2021 की व्यापक नीति को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए बल्कि निम्नतम स्तर पर श्रेणीबद्द बस्ती प्रणाली विकसित करके पीछे और आगे के संपर्क को भी मजबूत किया जाना चाहिए। कृषि और ग्रामीण विकास पर बल देते हुए जिला योजनाएं तैयार की जानी चाहिए तथा क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों के साथ मिली हुई होनी चाहिए। 	<p>संबंधित राज्य की रा.रा.क्षे. कक्ष बोर्ड के साथ परामर्श और अनुमोदन से उप-क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय योजना-2021 की व्यापक नीतियों को सम्मिलित करेंगी।</p> <p>संबंधित जिलाधिकारी 73वें और 74वें सी.ए.ए. के अनुसार जिला विकास योजनाएं तैयार करने को सुनिश्चित करेंगी। यह नीति क्षेत्रीय योजना-2021 की व्यापक नीति की संगति में होनी चाहिए।</p>	
4.	क्षेत्रीय भूमि उपयोग	<ul style="list-style-type: none"> प्रस्तावित भूमि उपयोग 2021 में प्राकृतिक संरक्षण, अधिक भीड़भाड़, उच्च विकास दबाव तथा पर्याप्त हरित स्थानों के मुद्दों पर व्यापक रूप से संबोधन है जो आगे उप-क्षेत्रीय और महा योजनाओं में प्रतिबिंబित किया जाना चाहिए। 	<p>चार मुख्य जोनों की निम्नवत रूप से पहचान की गई है:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>विनियमित क्षेत्र जोन:</u> विकास के गहन दबाव को प्रभावीशाली रूप से नियंत्रित और निगरानी किया जाना चाहिए, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा घोषित सभी नियंत्रित क्षेत्रों/विकास क्षेत्रों को विनियमित क्षेत्र जोन के रूप में माना जायेगा, बोर्ड द्वारा अनुमोदित और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित क्षेत्रों के लिए महा/विकास योजना के अनुरूप के अलावा इस जोन में कोई विकास नहीं किया जा सकता है। <u>राजमार्ग कोरिडोर जोन:</u> नियंत्रित/विकास क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग के गमनागमनाधिकार के किसी भी ओर 500 मीटर की छौड़ाई, विनियमित जोन को प्रबंधित किया जाना है, जिसके अन्दर क्षेत्रीय योजना में कहे गए हरित प्रतिरोधक जोन के प्रतिबंध को ध्यान में रखने के बाद संबंधित राज्य सरकार द्वारा जरूरी योजनाबद्द विकास किया जाना चाहिए। 	<p>संबंधित राज्य सरकारें, मुख्य समन्वयक आयोजक, स्थानीय/विकास प्राधिकरण</p> <p>जहाज़रानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिलाधिकारी, विकास/स्थानीय प्राधिकरण तथा वन विभाग।</p>

S. No.	Sector	Sector Policy	Strategies	Agency Responsible
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> Providing uniform power supply Integrated Education Policy Integrated law and order machinery 	<p>Ministry of Power, Central Electricity Authority and State Electricity Boards.</p> <p>Ministry of HRD, UGC, AICTE and State education departments.</p> <p>Ministry of Home Affairs and State Police departments.</p>
3.	Rural Development	<ul style="list-style-type: none"> Less developed districts should be identified and agriculture and rural development should be given priority by inducing growth through promoting agro-based industries and by providing adequate agriculture marketing by evolving a Common “Specified Commodities Marketing Act” on the lines of Agricultural Produce Marketing Act, to enable the dispersal of Wholesale Distributive Trades to the NCR towns. 	<ul style="list-style-type: none"> The Sub-regional Plan for the concerned area of the participating States should not only be reflecting broad policy of Regional Plan-2021 but also should reinforce backward and forward linkages by evolving a hierarchical settlement system at lowest level. The District Plans should be prepared with emphasis on agriculture and rural development and should be coterminous with policies of Regional Plan-2021 	<p>The NCR Cells of the concerned State will incorporate the broad policies of Regional Plan-2021 at Sub-regional level in consultation and with approval of the Board.</p> <p>The concerned District Collectors will ensure preparation of District development Plans as per 73rd and 74th CAA. And the policy should be in consonance with the broad policy of the Regional Plan-2021.</p>
4.	Regional Land Use	<ul style="list-style-type: none"> The proposed Land Use 2021 broadly addresses the issues of natural conservation, over congestion, high development pressure, and sufficient green spaces which should be further reflected in the Sub-regional and Master Plans. 	<p>Four major zones have been identified as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Regulated Area Zone</u>: Intense pressure of development, should be effectively controlled and monitored, all controlled areas/development areas declared by respective State governments will be deemed as regulated area zones, no development in this zone can be undertaken except in accordance with the Master/Development Plan for respective areas as approved by the Board and notifies by the State government. <u>Highway Corridor Zone</u>: A width of 500 m. on either side of the ROW of national highways outside the controlled/development area, a regulated zone is to be provided, within which necessary planned development should be undertaken by the concerned State Government after taking into account the restriction of green buffer zone spelt out in the Regional Plan. 	<p>Respective State Governments, NCR Cells, local/development authorities.</p> <p>Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, NHAI, District Collectors, development/local authorities and Forest departments.</p>

क्र.सं.	क्षेत्र	क्षेत्रीय नीति	कार्यनीतियां	उत्तरदायी अभिकरण
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> • प्राकृतिक क्षेत्र संरक्षण जोनः पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई सभी मुख्य प्राकृतिक विशेषताओं को इस जोन में सुरक्षित किया जाना है। क्षेत्रीय योजना में सूचित व्यापक नीतियों का उप-क्षेत्रीय और महा योजनाओं में आगे विस्तृत विवरण किया जाना चाहिए। • विकास/नियंत्रित क्षेत्रों के बाहर कृषि क्षेत्र जोनः को जिला योजना प्रक्रिया के अंतर्गत तैयार की जाने वाली गांव/खण्ड (ब्लाक) योजनाओं द्वारा विनियमित और मार्ग-दर्शन किया जाना है तथा इस जोन को प्राथमिक क्षेत्र उत्पादन के लिए निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। 	<p>संबंधित राज्य सरकारें, रा.रा.क्षे. कक्ष, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य पर्यटन विभाग तथा स्थानीय राजस्व प्राधिकरण।</p> <p>जिलाधिकारी और स्थानीय राजस्व प्राधिकरण।</p>
5.	पर्यावरण और आपदा प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> • रिज़, नदियां, धारा, पेलियो-चेनल आदि जैसी सभी प्राकृतिक विशेषताओं को संरक्षित किया जाना है। • अच्छी कृषि भूमि का परिवर्कण • सतही और भूमिगत जल स्रोतों दोनों की सुरक्षा और संरक्षण • वायु और जल गुणवत्ता तथा धनि/भूमि प्रदूषण के लिए आंकड़ा सृजित किया जाना चाहिए। • विकास के लिए गतिविधियां को कार्यान्वित करते समय ई.पी.ए., 1986 के अंतर्गत प्रावधान तथा इसके तहत नियमों का पालन किया जाना चाहिए। • आपदा प्रबंधन/आपदोत्तर प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिए। 	<ul style="list-style-type: none"> • प्राकृतिक विशेषताओं की सुरक्षा करने के लिए, उप-क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर किसी भी प्राकृतिक विशेषता के छोर से न्यूनतम दूरी "विकास वर्जित जोन" के रूप में सीमांकित किया जाना चाहिए। • किसी कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग के लिए परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। • सतही/भूमिगत जल स्रोतों की सुरक्षा/संरक्षण के लिए उप-क्षेत्रीय/महा योजनाओं में भूमि उपयोग आवर्तन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय योजना में पहचान किए गए भूमिगत जल प्रतिपूर्ति क्षेत्र का उप-क्षेत्रीय/महा योजना में आगे विस्तृत विवरण किया जाना चाहिए तथा उनकी सुरक्षा के लिए इन योजनाओं में नीतियों आगे विस्तृत विवरण किया जाना चाहिए। • उपयुक्त आंकड़ों के आधार पर, क्षेत्र के संपोषणीय विकास के लिए धारण क्षमता संकल्पनात्मक पर योजना और विकास किया जाना चाहिए। • संकटों की उत्पत्ति, भवन और अवसंरचना में क्षति लागत तथा आर्थिक हानि सहन के लिए आंकड़ा संचय सृजित किया जाना चाहिए तथा आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की जाना है। इन योजनाओं को उप-क्षेत्रीय/जिला/महा योजनाओं में सम्मिलित किया जाना है। • प्राकृतिक/मानव-निर्मित संकटों हेतु से सुरक्षा पहलुओं को शामिल करने के लिए मौजूदा भवन उप-नियमों, नगर योजना अधिनियमों, नगर निगम अधिनियमों आदि में संशोधन किये जाने चाहिए। दिशा-निर्देश तैयार किया जाना है। 	<p>सभी रा.रा.क्षे. कक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित राज्यों की उप-क्षेत्रीय/महा योजनाओं में यह प्रावधान को सम्मिलित किया गया है। सभी स्थानीय/विकास प्राधिकरणों को इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।</p> <p>पर्यावरण और वन विभाग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी तथा संबंधित राज्यों के अन्य विभाग।</p> <p>सभी रा.रा.क्षे. कक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित राज्यों की उप-क्षेत्रीय/महा योजनाओं में इस प्रावधान को शामिल किया जाना चाहिए। सभी स्थानीय/विकास प्राधिकरणों को उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।</p>

S. No.	Sector	Sector Policy	Strategies	Agency Responsible
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> • <u>Natural Area Conservation Zone:</u> All major natural features identified as environment sensitive areas are to be protected in this zone. Broad policies indicated in the Regional Plan should be further elaborated in the Sub-regional Plans and Master Plans. • <u>Agricultural Area Zone outside development/controlled areas:</u> to be regulated and guided by Village/Block Plans to be drawn under district planning process and this zone may be designated for primary sector production. 	<p>Respective state Governments, NCR Cells, local authorities, State tourism department and local revenue authorities.</p> <p>District Collectors and local revenue authorities.</p>
5.	Environment and Disaster Management	<ul style="list-style-type: none"> • All natural features such as ridges, rivers, streams, paleo channels etc. are to be conserved. • Preserve good agricultural land • Protect and conserve both surface and ground water resources. • Database for air and water quality and noise/land pollution to be created. • While carrying out activities for development, provision under EPA 1986 and rules thereof to be followed. • A Disaster management/post-disaster management Plan to be prepared. 	<ul style="list-style-type: none"> • In order to protect the natural features, a minimum distance from the edge of any of the natural features should be demarcated as a 'No Development Zone' at the Sub-regional and local level. • No agriculture land will be allowed for conversion to non-agriculture use. • Land use allocation to be done carefully in the Sub-Regional/Master Plans in order to protect/conserve surface/ground water resources. Ground water recharging area identified in the Regional Plan should be further elaborated in the Sub-Regional/Master Plan and policies in these plans should be further elaborated to protect them. • Based on the appropriate database, planning and development should be done on the carrying capacity concept for sustainable development of the region. • Database for occurrence of hazardous, damage cost in the building & infrastructure and economic losses suffered to be created and Disaster management Plans to be prepare. These plans to be incorporated in Sub-Regional/District/Master Plans. • Amendments in the present building bye-laws, town planning acts, municipal acts etc. to be carried out to include safety aspects from natural/man-made hazardous. Guidelines to be prepared. 	<p>All NCR Cells should ensure that this provision has been incorporated in their Sub-regional/Master Plans of the concerned States. All local/development authorities to ensure implementation.</p> <p>Department of Environment & Forests, Pollution control boards, local bodies, development authorities, District Collectors and other departments of concerned States</p> <p>All NCR Cells should ensure that this provision has been incorporated in their Sub-regional/Master Plans of the concerned States. All local/development authorities to ensure implementation.</p>

क्र.सं.	क्षेत्र	क्षेत्रीय नीति	कार्यनीतियां	उत्तरदायी अभिकरण
1	2	3	4	5
6.	पर्यटन और धरोहर	<ul style="list-style-type: none"> पर्यटन को एक रोजगार उत्पन्न करने वाली गतिविधि होनी चाहिए। स्मारकों/धरोहर क्षेत्रों/प्राकृतिक धरोहर स्थलों आदि सहित सभी पर्यटन स्थलों की पहचान तथा उनकी पर्याप्त रूप से सुरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए। 	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकारों को क्षेत्रीय योजना-2021 में उल्लेखित सूचीबद्ध क्षेत्रों के लिए पर्यटन विकास योजनाएं तैयार करनी चाहिए तथा उप-क्षेत्रीय योजनाओं और पर्यटन नीति में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उप-क्षेत्रीय स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर पर पर्यटन सर्किट सृजित किये जाने चाहिए। भूमि उपयोग नीति में मुख्य तत्व होना चाहिए। पर्यटन विभाग को उप-क्षेत्रीय/स्थानीय स्तर पर पर्यटन विकास योजनाएं तैयार करते समय सभी स्मारकों/धरोहरों की भी पहचान करनी चाहिए तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। विभिन्न पर्यटन स्थलों के प्रबंधन हेतु निजी उद्यमियों को वित्त प्रोत्साहन/इमदादों आदि दी जानी चाहिए। 	सभी रा.रा.क्षे. कक्ष, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संबंधित राज्यों के राज्य पुरातत्व/पर्यटन विभाग तथा स्थानीय प्राधिकरण।

S. No.	Sector	Sector Policy	Strategies	Agency Responsible
1	2	3	4	5
6.	Tourism and Heritage	<ul style="list-style-type: none"> • Tourism to be an employment generating activity • All tourism sites including monuments/heritage areas/natural heritage sites etc. should be identified and adequately protected and conserved. 	<ul style="list-style-type: none"> • State Governments should prepare tourism development plans for the listed areas mentioned in Regional Plan-2021 and should be incorporated in Sub-regional Plans and tourism policy. • Tourist circuits should be created at Sub-regional level and at regional level. • Should be a key element in land use policy. • The tourism departments while preparing the Tourism development Plans at sub-region/local level should also identify all monuments/ heritages and should prepare action plan for such areas. • Fiscal incentives/ subsidies etc. should be given to private entrepreneurs for management of various tourist sites. 	All NCR Cells, Archaeological Survey of India, State Archaeology/Tourism departments of concerned States and local authorities.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के तकनीकी खण्ड में प्रस्तावित अधिकारी

पद 1	स्वीकृत संख्या 2	प्रस्तावित संख्या 3	अतिरिक्त संख्या 4
मुख्य क्षेत्रीय नियोजक (रूपये 18,300-22000)	1	1	-
अपर मुख्य क्षेत्रीय नियोजक (रूपये 16,400-20000)	0	1	1
संयुक्त निदेशक (तकनीकी) (रूपये 12,000-16500)	3	4	1
उप निदेशक (तकनीकी) (रूपये 10,000-15200)	2	8	6
सहायक निदेशक (तकनीकी) (रूपये 8,000-13500)	5	16	11
योजना सहायक (रूपये 5,500-9000)	1	4	3
प्रारूपकार (ग्रेड III)/तकनीकी सहायक (रूपये 4,000-6000)	1	2	1

PROPOSED STAFF IN THE TECHNICAL WING OF NCR PLANNING BOARD

Posts	Sanctioned Strength	Proposed Strength	Additional Strength
Chief Regional Planner (Rs.18,300-22,000)	1	1	-
Additional Chief Regional Planner (Rs.16,400-20,000)	0	1	1
Joint Director (Technical) (Rs.12,000-16,500)	3	4	1
Deputy Director (Technical) (Rs.10,000-15,200)	2	8	6
Assistant Director (Technical) (Rs.8,000-13,500)	5	16	11
Planning Assistant (Rs.5,500-9,000)	1	4	3
Draughtsman (Grade III)/Technical Assistant (Rs.4,000-6,000)	1	2	1